चतुर्दश माला, खंड 30, अंक 1

गुरुवार, 15 नवम्बर, 2007
24 कार्तिक, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No ....64....
Dated ....7 July 2008

(खण्ड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)
अंक 1, गुरुवार, 15 नवम्बर, 2007/24 कार्तिक, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(i-x)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xi)
मंत्रिपरिषद्	(xiii-xvi)
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	6
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	6-51
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 110	51-204
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	205
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	206-208
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	209
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	209-210

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगडि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए.आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफजाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री एम.एच. (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदिकेसवुलु, श्री डी.के. (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरून रशीद, श्री जे.एम. (पेरियाकुलम)

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला - असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोबिचेट्टिपालयम)

उरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी, सैलजा (अम्बाला)

कुरुप, एडवोकेट सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरूम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूंटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू. वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस.के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई, उत्तर-मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

गौडा, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

घुरन, श्री राम (पलामू)

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी.के. (त्रिचूर)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगांव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चितन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरूपति)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री बंसगोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरूचेन्गोडे)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जाधव, श्री प्रकाश बी. (रामटेक)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी.के. (अमरेली)

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढिल्लों, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

दरबार, श्री छत्तर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

दूबे, श्री रमेश (मिर्जापुर)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक, (वारंगल)

धूमल, प्रो. प्रेम कुमार (हमीरपुर)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

निखिल, कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका लक्ष्मी, श्रीमती (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपंत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पल्लानीसामी, श्री के.सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पटले, श्री शिशुपाल (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी.बी. (नांदेड़)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक पी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री रामस्वरूप (नालन्दा)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सेलमपुर)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रांसिस (नामनिर्दिष्ट)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

बाउरी, कुमारी सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानू)

बारड, श्री जसुभाई दानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

बेल्लारमिन, श्री ए.वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कोलकाता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी (बोब्बिली)

बोस, श्री सुब्रत (बारासात)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भाईलाल श्री (रॉबर्ट्सगंज)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

मंडल, श्रीअबु अयीश (कटवा)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के.एस. (अलेप्पी)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती सुमन (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उदुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकंठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मोरे, श्री वसंतराव (इरन्डोल)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)
यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)
यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)
यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)
यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)
यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)
यादव, श्री गिरिधारी (बांका)
यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)
यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री धर्मेन्द्र (मैनपुरी)
यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)
यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)
यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)
यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)
यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)
येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)
रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)
रघुपति, श्री एस. (पुदुकोट्टई)
रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)
रवीन्द्रन, श्री पन्नियन (तिरूवनन्तपुरम)
राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)
राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)
राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)
राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)
राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)
राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)
राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)
राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)
राठौड़, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)
राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)
राणा, श्री राजू (भावनगर)
राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)
रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)
रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)
रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)
रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)
राव, श्री के.एस. (एलूरू)
राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)
राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)
राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)
राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)
रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)
रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)
रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)
रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)
रिजीजू, श्री कीरेन (अरुणाचल पश्चिम)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नान्दयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करूणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वारसी, श्री अनिल शुक्ल (बिल्हौर)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी.एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरुपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मोहम्मद (सीवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करूणा (जांजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

संगमा, श्री पी.ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच.टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रूबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कोलकाता उत्तर-पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (मरमुगावो)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री देवव्रत (राजनन्दगांव)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मानिक (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामपाल (विदिशा)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृष्णा नगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. (दावनगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कोलकाता उत्तर-पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी.एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरुई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव एच. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरुचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमजा, श्री टी.के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हसन, चौ. मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे: (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; (2) योजना मंत्रालय; (3) परमाणु ऊर्जा विभाग; (4) अंतरिक्ष विभाग; (5) कोयला मंत्रालय; और (6) पर्यावरण और वन मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	विदेश मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री ए.आर. अंतुले	अल्पसंख्यक मामले मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री राम विलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री

श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
प्रो. सैफुद्दीन सोज	जल संसाधन मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कार्पोरेट कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री ऑस्कर फर्नांडीस	श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जी.के. वासन	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री विजय हान्डिक	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश दास	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री
श्री चन्द्रशेखर साहू	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एच. अम्बरीश	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती वी. राधिका सेल्वी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

अंक 1, खंड 30, चौदहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र का प्रथम दिन

लोक सभा

गुरुवार, 15 नवम्बर, 2007/24 कार्तिक, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महासचिव अब श्री फ्रांसिस्को सारदीना को शपथ ग्रहण करने के लिए बुलायें!

श्री फ्रांसिको सारदीना (मरमुगावो)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभी को इस सभा के वर्तमान सदस्य श्री विजय कुमार खंडेलवाल और हमारे चार पूर्व सहयोगियों श्री मंजय लाल, श्री यशवंत बोरोले, श्री लाला राम केन और डा. एल.एम. सिंघवी के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पूर्व वह 1996 से 2004 तक इस निर्वाचन क्षेत्र से ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री खंडेलवाल अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान वह वित्त संबंधी समिति; अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और वक्फ बोर्ड के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य रहे। बारहवीं लोक सभा के दौरान वह लोक लेखा समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य रहे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान वह परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति; संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री खंडेलवाल एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह 1978 से 1980 तक नगर परिषद, बैतूल के चेयरमैन रहे। वह 1972 से 1977 तक जिला भूमि विकास बैंक, बैतूल और 1990 से 1993 तक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक बैतूल के चेयरमैन रहे।

श्री खंडेलवाल ने पर्यावरण संरक्षण और आदिवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं के लिए चलाए गए अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री खंडेलवाल एक खेल प्रेमी थे और वह मध्य प्रदेश की हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष रहे।

उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं कीं। वह 2003 में फिलीपीन में आयोजित एशियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर पीस कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के चेयरमैन थे।

कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् श्री विजय कुमार खंडेलवाल का निधन 13 नवंबर, 2007 को नागपुर में 71 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री मंजय लाल 1989 से 1996 तथा 1999 से 2004 तक नौवीं, दसवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मंजय लाल 1970 से 1976 तथा 1984 से 1989 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। वह 1977 से 1979 तक बिहार विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री लाल 1977 से 1979 तक बिहार सरकार में कार्मिक और परिवहन राज्य मंत्री भी रहे।

एक योग्य सांसद, श्री मंजय लाल नौवीं लोक सभा के दौरान 1990 में लोक लेखा समिति और कृषि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान श्री लाल 1999 से 2000 तक उद्योग संबंधी समिति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

एक समर्पित सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता श्री लाल ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह भू-दान आंदोलन से भी जुड़े रहे। वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा समाज के गरीब, दलित एवं वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य लिया। उन्होंने राज्य में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री मंजय लाल का निधन 87 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल, 2007 को पटना में हुआ।

श्री यशवंत बोरोले वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री बोरोले वर्ष 1955 से 1957 तक तत्कालीन बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। श्री बोरोले वर्ष 1977 से 1979 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

एक शिक्षाविद्, श्री बोरोले ने कृषि महाविद्यालय, पुणे में प्रवक्ता और विधि महाविद्यालय, जलगांव, महाराष्ट्र में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। वह के. नरखेड़ा विद्यालय भूसावल और ज्योति विद्या मंदिर, सांगवी, जलगांव के उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा वह खानदेश एजुकेशन सोसाइटी, जलगांव; तापी वैली एजुकेशन सोसाइटी, फैजपुर और शिक्षण मंदिर जलगांव, महाराष्ट्र की प्रबंधन समितियों के सदस्य भी रहे।

एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, श्री बोरोले भारत कृषक समाज के आजीवन सदस्य थे और उन्होंने कृषकों के सम्मेलन का भी आयोजन किया। वह दहेज प्रथा के उन्मूलन से जुड़े आन्दोलन से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे।

श्री बोरोले ने "बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958" और "महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1961" पर टीकाएं भी लिखीं।

श्री यशवंत बोरोले का निधन 87 वर्ष की आयु में 16 सितम्बर, 2007 को जलगांव, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री लाला राम केन वर्ष 1982 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने राजस्थान के बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री केन वर्ष 1985 से 1987 तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा 1989-90 के दौरान संकल्पों संबंधी समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक श्री केन ने गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने राजस्थान के भरतपुर जिले में भूमिहीनों को भूमि दिलाने हेतु अथक प्रयास किया। वह अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। उन्होंने वर्ष 1945 से 1950 तक भरतपुर जिले के जाटव नवयुवक संघ, वर्ष 1950 से 1957 तक जिला जाटव सभा, वर्ष 1954 से 1960 तक बाल्मिकी सुधार संघ तथा वर्ष 1957 से 1960 तक दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1978 से 1983 तक भरतपुर के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संघ तथा वर्ष 1979 के दौरान भारत दलित सेवक संघ, आगरा मंडल के संरक्षक के रूप में भी कार्य किया।

श्री लाला राम केन का निधन 5 अक्तूबर, 2007 को 79 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

डा. एल.एम. सिंघवी वर्ष 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह वर्ष 1998 से 2004 तक राज्य सभा के भी सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक समर्पित संसदविद् थे। उन्होंने वर्ष 1962 से 1967 के बीच संसद द्वारा संवैधानिक मामलों पर गठित सभी प्रवर समितियों में कार्य किया।

डा. सिंघवी उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। उन्होंने भारत और विदेश स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण की जिनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कारनैल विश्वविद्यालय तथा इंस्टिट्यूट ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, हैम्बर्ग शामिल हैं। एक प्रखर कानूनविद्, संवैधानिक विशेषज्ञ, राजनयिक, प्रतिष्ठित न्यायविद्, दार्शनिक व राजनेता, डा. सिंघवी का दीर्घ एवं उज्जवल कैरियर रहा है। देश की विधिक प्रणाली में उनके महती योगदान को लम्बे समय तक याद किया जाएगा।

वह उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे तथा वर्ष 1972 से 1977 तक राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता भी

रहे। भारतीय अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्य डा. सिंघवी इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट के संस्थापक सदस्य व प्रथम आयोजक सचिव थे तथा वे इस संस्था के शासकीय परिषद् के निर्वाचित सदस्य थे।

शैक्षिक निकायों व संस्थानों के साथ उनकी घनिष्ठ सम्बद्धता के फलस्वरूप भारत और विदेश में विद्यार्थियों की कई पीढ़ियां लाभान्वित हुईं। वह लीसेस्टर एंड हल यूनीवर्सिटीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम तथा दिल्ली एवं आंध्र विश्वविद्यालयों के मानद प्रोफेसर रहे। इसके अलावा वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के मानद टैगौर लॉ प्रोफेसर भी रहे। डा. सिंघवी की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता किसी देश विशेष तक ही सीमित नहीं थी। वह एशिया व अफ्रीका के कई देशों के संविधान तैयार करने के कार्य से भी सम्बद्ध रहे।

एक प्रतिभा सम्पन्न वक्ता के रूप में डा. सिंघवी की अनेक विषयों पर अच्छी पकड़ थी और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। वह वर्ष 1964 में जमैका में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के भारतीय शिष्टमंडल के उपनेता थे। इसके अलावा उन्होंने कई सम्मेलनों, परिसंवादों व संगोष्ठियों में भाग लिया और इस सिलसिले में उन्होंने विश्व के लगभग सभी देशों का दौरा किया।

डा. सिंघवी ने वर्ष 1991 से 1997 तक इंग्लैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए कूटनीति के क्षेत्र में अपने अंतर्निहित कौशल का परिचय दिया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विश्व के इन दो प्रमुख लोकतंत्रों के बीच सम्बन्ध सुधारने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए।

बहुमुखी व्यक्तित्व का स्वामी होने के साथ ही साथ वह लब्ध प्रतिष्ठ लेखक, कवि, भाषाविद् और साहित्यकार थे और उन्होंने राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। डा. सिंघवी को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे। वह साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों से गहन रूप से जुड़े थे। वह सम्मानित भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के न्यासी भी थे। मानवाधिकारों के प्रबल पक्षधर के तौर पर उनकी सेवाओं के लिए उन्हें एम्बेसडर ऑफ एक्सेलेंस पुरस्कार और साथ ही ऊ थां शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डा. सिंघवी एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी में कई साहित्यक और कानूनी प्रकाशनों का श्रेय प्राप्त था।

उनके निधन से देश ने एक योग्य पुत्र, मानवीय मूल्यों का एक प्रतिबद्ध पक्षधर और एक अति विशिष्ट विद्वान खो दिया है। उनकी अनुपस्थिति अनेक क्षेत्रों में महसूस की जाएगी।

डा. एल.एम. सिंघवी का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् 76 वर्ष की आयु में 6 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में आधुनिकीकरण

*1. **श्री उदय सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कई रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में आधुनिकीकरण किए जाने हेतु किसी योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए 'मॉडल और कन्सेशन एग्रीमेंट' को अंतिम रूप देने हेतु सरकार द्वारा गठित अंतरमंत्रालयीय ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) 22 स्टेशनों को इन स्टेशनों पर और आस-पास

उपलब्ध भूमि एवं वायुस्थान का लाभ उठाते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने का विनिश्चिय किया गया है। इस प्रकार विन्हित स्टेशन हैं: पुणे, कार्नक बंदर (मुंबई), हावड़ा, लखनऊ, आनंद विहार (दिल्ली), बिजवासन (दिल्ली), अमृतसर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, वाराणसी, चेन्नै, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, पटना, भुवनेश्वर, मथुरा, बेंगलुरू, गया, जयपुर, आगरा और भोपाल। इस समय, स्थापत्य/तकनीकी अध्ययनों के पूरा न होने के कारण खर्च होने वाली राशि का कोई सटीक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(ध) प्रश्न नहीं उठता।

कतर से एल.एन.जी. का आयात

***2. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कतर ने भारत को वरीयता के आधार पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की आपूर्ति करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात हेतु तथा देश में इसकी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन देश में प्राकृतिक गैस की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को अन्य उपायों के साथ-साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात द्वारा पाटने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2. पेट्रोनेट एल.एन.जी. (पी.एल.एल.) ने 25 वर्ष की अवधि के लिए 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) एल.एन.जी. के आयात के लिए जुलाई 1999 में कतर की रास गैस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के अनुसार 5 एम.एम.टी.पी.ए. एल.एन.जी. की आपूर्ति 2004 में आरंभ हुई और शेष 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. एल.एन.जी. की आपूर्ति 2009 में आरंभ होगी। इसके अलावा जुलाई, 2007 में पी.एल.एल. ने महाराष्ट्र में रतनागिरी विद्युत परियोजना की मांग पूरी करने के लिए जुलाई 2007 से सितंबर 2008 तक 1.25 एम.एम.टी. एल.एन.जी. की आपूर्ति के लिए रास गैस, कतर के साथ एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

3. हाल ही में कतर के उप प्रधान मंत्री और ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री तथा मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के बीच एक बैठक के दौरान मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) ने भारत को एल.एन.जी. की अतिरिक्त प्रतिबद्ध दीर्घावधि आपूर्ति में भारतीय हित व्यक्त किया। कतरी पक्ष ने इंगित किया कि वे इस अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे।

4. देश को एल.एन.जी. की आपूर्तियों में वृद्धि करने के लिए पी.एल.एल. और गेल एल.एन.जी. के दीर्घावधि अनुबंध के लिए विभिन्न संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ सक्रिय चर्चा कर रही हैं। कोच्चि टर्मिनल की एल.एन.जी. की मांग पूरी करने के लिए पी.एल.एल. एक आस्ट्रेलियाई आपूर्तिकर्ता के साथ दीर्घावधि आधार पर 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. एल.एन.जी. की आपूर्ति के लिए चर्चा कर रही हैं। इसके अलावा आई.ओ.सी. और ओ.एन.जी.सी. क्रमशः एन्नूर और मंगलौर में अपने प्रस्तावित एल.एन.जी. टर्मिनलों के लिए दीर्घावधिक एल.एन.जी. आपूर्ति के अनुबंध के लिए प्रयासरत हैं।

5. वर्तमान में दो एल.एन.जी. टर्मिनल नामत: 5 एम.एम.टी.पी.ए. दाहेज एल.एन.जी.पी.एल.एल. के लिए और 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. हजीरा एल.एन.जी. टर्मिनल हजीरा एल.एन.जी. प्रा.लि. (एच.एल.पी.एल.) के लिए देश में प्रचालनरत हैं।

6. एल.एन.जी. के बढ़े हुए आयात की संभाल करने के लिए देश में अतिरिक्त बुनियादी सुविधा का सृजन किया जा रहा है। दाहेज टर्मिनल की 5 एम.एम.टी.पी.ए. की वर्तमान क्षमता बढ़ाकर 12.5 एम.एम.टी.पी.ए. तक विस्तार किया जा रहा है। दाभोल एल.एन.जी. टर्मिनल बिना ब्रेकवाटर के मार्च 2008 के अंत तक पूरी हो जाने की आशा है। यह टर्मिनल मार्च, 2011 में ब्रेकवाटर सुविधाओं के पूरा होने के बाद पूर्णत: प्रचालनरत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. की क्षमता वाला कोच्चि एल.एन.जी. टर्मिनल जिसके 5 एम.एम.टी.पी.ए. तक विस्तार का प्रावधान है, 2011 में चालू किए जाने की योजना है। एच.एल.पी.एल. की योजना अपने 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. के टर्मिनल का विस्तार 5 एम.एम.टी.पी.ए. तक करने की है। एन्नूर और मंगलौर में भी एल.एन.जी. टर्मिनलों की योजना बनाई जा रही है।

[हिन्दी]

पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में मिलावट

***3. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में मिलावट का पता लगाने के लिए क्या व्यवस्था है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन एजेंसियों को नामित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त एजेंसियों द्वारा मिलावट के कुल कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ग) यह व्यवस्था किए जाने के बाद भी मिलावट के मामले पाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) मोटरस्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा कोई पुलिस अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक से नीचे रैंक का न हो, केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार, जो भी लागू हो, के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अथवा कंपनी का कोई अधिकारी जो बिक्री अधिकारी से नीचे के रैंक का न हो, को तलाशी और जब्ती तथा यह जांच करने के लिए नमूना लेने का अधिकार है कि क्या संबंधित उत्पाद का घनत्व और उसके अन्य प्राचल भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी उक्त नियंत्रण आदेश के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए मिलावट पर नियंत्रण करने का अनुरोध किया है। तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) भी खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं तथा मिलावट के सिद्ध हुए मामलों में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम.डी.जी.) के तहत डीलरशिप की समाप्ति के लिए कार्रवाई करतीं हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी अस्तित्व में है :-

(1) मिलावट के लिए एस.के.ओ. के दुरुपयोग/विपथन को ध्यान में रखते हुए निजी पक्षकारों द्वारा एस.के.ओ. के आयात को ओ.एम.सीज के माध्यम से नियंत्रित किया गया है।

(2) मिलावट पर नियंत्रण रखने के लिए सभी क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए ओ.एम.सीज ने एक पृथक विंग का सृजन किया है।

(3) जन केरोसीन परियोजना नामक एक प्रायोगिक परियोजना 2-10-2005 से 414 ब्लाकों में प्रचालनरत है। इस परियोजना का लक्ष्य पी.डी.एस. मिट्टी तेल के वितरण को कारगर बनाना और मिट्टी तेल के विपथन की रोकथाम करना है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान ओ.एम.सीज द्वारा पता लगाई गई आशंकित मिलावट के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	आशंकित मिलावट के मामलों की संख्या
2004-05	225
2005-06	229
2006-07	187

(ग) उपर्युक्त उपायों के बावजूद, पेट्रोल/डीजल और बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के बीच भारी मूल्य में अंतर और पेट्रोल/डीजल के साथ इन उत्पादों के आसानी से घुलमिल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) मिलावट की रोकथाम करने के लिए सरकार ने अनेक अतिरिक्त पहलें की है जैसे कि खुदरा बिक्री केन्द्रों का आटोमेशन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार अधिमाणन, वैश्विक स्थितिज्ञान प्रणाली (जी.पी.एस.) के माध्यम से टैंक ट्रकों के चलने फिरने की निगरानी, मिट्टी तेल में मार्कर का उपयोग, एम.डी.जी. का संशोधन इत्यादि।

रेलवे की खान-पान संबंधी नीति

***4. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में कोई नई खान-पान नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी नई एजेंसियों को खान-पान संबंधी ठेके दिए गए हैं तथा इस संबंध में ठेके की शर्तें और अपनाई गई प्रक्रिया क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित किए गए नए खान-पान स्टालों की जोन-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इन स्टालों में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों को तर्कसंगत बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) रेलवे की खानपान नीति पिछली बार दिसम्बर, 2005 को संशोधित की गई थी। उसके बाद कोई नई खानपान नीति जारी नहीं की गई।

(ग) और (घ) सामान्यतः बड़ी खानपान इकाइयों को दो पैकेट वाली प्रणाली अपना कर और अन्य इकाइयों को आवेदन पत्र मंगाकर ठेके प्रदान किए जाते हैं। इन ठेकों की अवधि तीन से नौ वर्ष के बीच होती है। गत तीन वर्षों के दौरान नई एजेंसियों को ठेके देने और स्टालों के आबंटन के संबंध में भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) और क्षेत्रीय रेलों से सूचना प्राप्त की जा रही है। सूचना एकत्र एवं संकलित हो जाने के पश्चात् सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) रेलवे बोर्ड द्वारा मानक भोजनों, चाय/कॉफी एवं नाश्ते की कीमतें, कच्ची सामग्रियों, ईंधन, कर्मचारी लागत, पैकेजिंग आदि को ध्यान में रखकर, निर्धारित की जाती हैं। आई.आर.सी.टी.सी. और क्षेत्रीय रेलों द्वारा व्यंजन सूची तथा व्यंजन-सूची के खाद्य पदार्थों की दरसूची भी इसी प्रकार निर्धारित की जाती है। इन कीमतों को युक्तिसंगत समझा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी रखी जाती है कि खानपान लाइसेंसधारी, स्टेशनों पर और गाड़ियों में मानक एवं व्यंजन-सूची के खाद्य पदार्थों की बिक्री करते समय यात्रियों से अधिक वसूली नहीं करते। रेल यात्रियों से अधिक कीमत वसूलने वाले लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

प्राचीन किलों और मंदिरों का जीर्णोद्धार

***5. श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित अनेक प्राचीन किले और मंदिर जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं और उनका जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विशेषरूप से मध्य प्रदेश के संबंध में कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ग) इस संबंध में आवंटित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) देश में बड़ी संख्या में स्मारक, किले तथा मंदिर हैं जिसमें से 3667 स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है तथा 3404 राज्य सरकारों के संरक्षणाधीन हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल की आवश्यकतानुसार और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव तथा पर्यावरण संबंधी विकास करता है। किसी राज्य विशेष के लिए इस प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है।

(ग) संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में 24 मंडल कार्यालय तथा दो शाखा कार्यालय स्थित हैं। वर्ष 2007-08 के लिए संरचनात्मक संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए मंडल/शाखा-वार निधियों के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के लिए संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास हेतु मंडल-वार निधियों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मंडल का नाम	आवंटन (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आगरा	555.00
2.	औरंगाबाद	850.00

1	2	3
3.	बंगलौर	775.00
4.	भोपाल	585.00
5.	भुवनेश्वर	325.00
6.	चेन्नई	515.00
7.	चंडीगढ़	435.00
8.	दिल्ली	800.00
9.	देहरादून	160.00
10.	धारवाड़	575.00
11.	गोवा	80.00
12.	गुवाहाटी	110.00
13.	हैदराबाद	575.00
14.	जयपुर	285.00
15.	कोलकाता	325.00
16.	लखनऊ	450.00
17.	मुम्बई	350.00
18.	पटना	400.00
19.	रांची	60.00
20.	रायपुर	225.00
21.	श्रीनगर	290.00
22.	शिमला	125.00
23.	त्रिशूर	210.00
24.	वड़ोदरा	340.00
25.	मुख्य उद्यानविद् आगरा	1330.00
26.	निदेशक (विज्ञान) देहरादून	710.00
	कुल	11440.00
	महानिदेशक का कार्यालय, भा.पु.स. (रिजर्व)	92.00
	कुल योग	11532.00

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कार्यबल

***6. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार करने संबंधी रूपरेखा का सुझाव देने हेतु नियुक्त किए गए कार्यबल ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिफारिशों पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक वितरण के निहितार्थों की जांच के लिए निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित दिनांक 02 मार्च, 2007 को एक अंतर मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया था:-

(i) उन कस्बों/नगरों की पहचान करना, जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या भारी संख्या में संकेन्द्रित है, और जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ii) ऐसे कस्बों/नगरों में, भारी अल्पसंख्यक जनसंख्या संकेन्द्रित वाले शहरी इलाकों के लिए आवास, स्कूलों और शैक्षिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रोजगार अवसरों जैसी मूल नागरिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु मल्टी-सैक्टरल प्लान के वास्ते दृष्टिकोण तैयार करना।

(iii) ऐसे मल्टी-सैक्टरल प्लानों के कार्यान्वयन के लिए उन वर्तमान योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करना, जहां से ऐसे इलाकों में निधियां निर्दिष्ट की जा सके।

(iv) मल्टी-सैक्टरल प्लानों में शामिल परियोजनाओं के संसाधन की कमी के निधिकरण तथा उन विशिष्ट परियोजनाओं के निधिकरण के लिए, जो किसी भी वर्तमान योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, के वास्ते विशेष योजनाओं का सुझाव देना।

इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

नवरत्न तथा मिनीरत्न कम्पनियों में गैर-सरकारी निदेशक

***7. श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवरत्न और मिनीरत्न कम्पनियों में गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या कितनी है और कितने निदेशकों के पद खाली पड़े हैं;

(ख) उन अन्य उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां गैर-सरकारी निदेशकों के पद खाली पड़े हैं और वे किन-किन क्षेत्रों से संबंधित हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड की सभी बैठकों मे सक्रिय रूप से भाग लेने के निदेश है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहलू की निगरानी के क्या परिणाम निकले?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या 59 तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यमों में गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या 120 है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशकों के 35 पद तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यमों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशकों के 126 पद रिक्त हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन अन्य उद्यमों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशकों के पद रिक्त हैं उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है। वित्त, विपणन, उद्योग एवं व्यापार प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान व परामर्श दायिता इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी निदेशकों से निदेशक मण्डल की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के निदेशक मंडल को व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय परामर्श प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में गैर-सरकारी निदेशकों के पद रिक्त थे उनकी सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम
1	2
1.	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.
2.	एयर इंडिया चार्टर्स लि.
3.	एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लि.
4.	एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया लि.
5.	अकलतारा पावर लि.
6.	अंडमान एवं निकोबार वन एवं पौध विकास निगम लि.
7.	एंड्यू यूले एंड कं. लि.
8.	अंतरिक्ष कारपोरेशन लि.
9.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि.
10.	असम अशोक होटल कारपो. लि.

1	2
11.	बी.ई.एल. आप्ट्रानिक्स लि.
12.	भारत कोकिंग कोल लि.
13.	भारत पम्पस एंड कंप्रेशर्स लि.
14.	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लि.
15.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
16.	बीको लॉरी लि.
17.	बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि.
18.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि.
19.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.
20.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.
21.	ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.
22.	बर्न स्टेंडर्ड कं. लि.
23.	सीमेंट कारपो. ऑफ इंडिया लि.
24.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपो. ऑफ इंडिया लि.
25.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
26.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.
27.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.
28.	कोस्टल गुजरात पावर लि.
29.	कोस्टल कर्नाटक पावर लि.
30.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि.
31.	कोचीन शिपयार्ड लि.
32.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
33.	डोन्य पोलो अशोक होटल लि.
34.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
35.	एजुकेशन कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.
36.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

1	2
37.	एन्नौर पोर्ट लि.
38.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
39.	एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.
40.	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
41.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावनकोर) लि.
42.	भारतीय खाद्य निगम लि.
43.	फ्रेश एंड हेल्थी इंटरप्राइसेज लि.
44.	गुरू गोविंद सिंह रिफाइनिरीज लि.
45.	भारतीय हस्तशिल्प एंड हथकरघा निर्यात निगम लि.
46.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.
47.	हिंदुस्तान केबल्स लि.
48.	हिंदुस्तान कॉपर लि.
49.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.
50.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बंस लि.
51.	हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.
52.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.
53.	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.
54.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म कं. लि.
55.	हिंदुस्तान प्रिफेब लि.
56.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.
57.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.
58.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र. लि.
59.	हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लि.
60.	एच.एम.टी. (धारक) कंपनी लि.
61.	एच.एम.टी. (मशीन टूल्स) लि.

1	2
62.	एच.एम.टी. (बियरिंग) लि.
63.	एच.एम.टी. (चिनार वाचेज) लि.
64.	एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लि.
65.	एच.एम.टी. (वाचेज) लि.
66.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिं.
67.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.
68.	होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
69.	आई.डी.पी.एल. (तमिलनाडु) लि.
70.	इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स लि.
71.	इंडियन ऑयल टेक्नॉलाजीज लि.
72.	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्स कारपो. लि.
73.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि.
74.	इंडियन रेअर अर्थ्स लि.
75.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.
76.	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजवर्स लि.
77.	आई.टी.आई. लि.
78.	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
79.	जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया
80.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फर्मास्युटिकल्स लि.
81.	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
82.	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.
83.	कुमारकुप्पा फ्रेंटियर होटल्स लि.
84.	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लि.
85.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
86.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोमेल्ट लि.
87.	मिलेनियम टेलीकॉम लि.
88.	मिनरल एक्सप्लोरेशन लि.
89.	मुंबई रेलवे विकास निगम लि.
90.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं. लि.
91.	नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपो. लि.
92.	नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि.
93.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
94.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
95.	राष्ट्रीय विक्लांग वित्त एवं विकास लि.
96.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
97.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
98.	नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकारपोरेटेड
99.	नेशनल जूट मेन्युफेक्चर्स कारपो. लि.
100.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लि.
101.	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
102.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
103.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
104.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
105.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
106.	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि.
107.	नेपा लि.
108.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
109.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
110.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
111.	एन.टी.पी.सी. इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.
112.	एन.टी.पी.सी. हाइड्रो लि.

1	2
113.	एन.टी.पी.सी. विद्युत व्यापार निगम लि.
114.	न्यूक्लियर पावर कारपो. ऑफ इंडिया लि.
115.	ओ.एन.जी.सी. विदेश लि.
116.	उड़ीसा ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
117.	पर्बती कोलडाम ट्रांसमिशन कंपनी
118.	पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि.
119.	पीपावाव पावर डेवलपमेंट कंपनी लि.
120.	पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लि.
121.	प्रागा टूल्स लि.
122.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट कंपनी लि.
123.	पंजाब अशोक होटल कारपोरेशन लि.
124.	पायराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि.
125.	रेल विकास निगम लि.
126.	रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लि.
127.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
128.	रांची अशोक होटल कारपोरेशन लि.
129.	रिचर्डसन एंड कूडास लि.
130.	सांभर साल्ट्स लि.
131.	ससन पावर लि.
132.	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
133.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिनिंग कारपो. इंडिया लि.
134.	सेतु समुंद्रम कारपोरेशन लि.
135.	स्प्रिंग आयरन इंडिया लि.
136.	स्टेट फार्म्स कारपो. ऑफ इंडिया लि.
137.	एस.टी.सी.एल. लि.
138.	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
139.	टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
140.	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्ल्स लि.
141.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.
142.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
143.	उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लि.
144.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति की सूची से जातियों को हटाया जाना

***8. श्री मोहन जेना:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों (अ.जा.) की वर्तमान सूची से जातियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार की सिफारिश के बिना किसी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसूचित जातियों की सूची में नई जातियों को सम्मिलित किए जाने के कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) इन सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ङ) 15 जून, 1999 को सरकार द्वारा अनुमोदित और 25 जून, 2002 को संशोधित रूपरेखाओं के अनुसरण में, संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के नाम हटाये जाने सहित, कोई संशोधन, भारत के महापंजीयक को भेजा जाता है। भारत के महापंजीयक द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेजा जाता है। यदि कोई असहमति हो तो प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाता है।

भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा सहमति वाले प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अंतर्गत संसद के विचारार्थ तथा संसद द्वारा पारित कराये जाने के लिए इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस समय, समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में नई प्रविष्टियों के रूप में शामिल किए जाने के लिए तीन मामले लंबित हैं। परामर्श प्रक्रिया और विधि के अधिनियमन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

*9. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो मूल्य में उक्त वृद्धि कितनी बार की गई है;

(ङ) क्या देश में तेल का उत्पादन उसके लक्ष्य से कम रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) जहां तक अति संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और गैस (घरेलू एल.पी.जी.) के मूल्य निर्धारित करने का संबंध है, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करती रही है कि आम आदमी को कोई कठिनाई न हो। आम आदमी और समाज के कमजोर वर्गों के हित की सुरक्षा के लिए सरकार ने न्यायसंगत भार बांटने के सिद्धान्त को अपनाया है। सरकार तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की बारीकी से निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती रहेगी।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की विश्वव्यापी कीमतें ऊंची और अस्थिर रही हैं। कच्चे तेल की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव होता रहता है। अप्रैल 07 से तेल की अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का रूझान नीचे दिया गया है:-

	कच्चा तेल (भारतीय बास्केट) अमरीकी डालर/ बी.बी.एल.	पेट्रोल अमरीकी डालर/ बी.बी.एल.	डीजल अमरीकी डालर/ बी.बी.एल.
अप्रैल, 07	65.52	82.69	77.50
मई, 07	65.74	87.96	78.79
जून, 07	68.19	83.82	79.09
जुलाई, 07	72.60	84.36	82.86
अगस्त, 07	69.03	76.05	79.95
सितंबर, 07	74.83	81.35	88.02
अक्तूबर 07	79.3	87.46	92.62

तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बावजूद, सरकार ने अति संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. की खुदरा बिक्री कीमतों में वृद्धि नहीं की है। वर्ष 2006-07 के उतरार्द्ध के दौरान, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी के आधार पर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30-11-2006 को कम की गई थी और दोबारा 16-2-2007 को कम की गई थी। पेट्रोल और डीजल में क्रमशः 2 रुपये प्रति लीटर और 1 रुपया प्रति लीटर की कमी प्रत्येक बार की गई थी (दिल्ली की कीमत)।

(ङ) और (च) देश में वर्ष 2006-07 के दौरान, घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 33.988 मिलियन मीट्रिक टन था जबकि लक्ष्य/अनुमान 35.540 मिलियन मीट्रिक टन था।

[अनुवाद]

रेल डिब्बों में ओपन टायलेट सिस्टम

***10. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेल डिब्बों में विद्यमान 'ओपन डिसचार्ज टायलेट सिस्टम' को 'वैक्यूम आपरेटिड सिस्टम' में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) भारतीय रेल ने पर्यावरण हितैषी सवारीडिब्बा शौचालय निस्सारण प्रणाली को विकसित करने का कार्य शुरू किया है।

दो प्रकार की पर्यावरण हितैषी शौचालय प्रणाली अर्थात् निर्वात साधित प्रतिधारण किस्म के शौचालय और जैव-नश्य प्रकार के शौचालयों के लिए निष्पादन विशिष्टियां विकसित की गई हैं।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की पर्यावरण हितैषी शौचालय प्रणालियों को प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है और इनके प्राप्त होने पर प्रत्येक का एक गाडी पर फील्ड परीक्षण किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

तेल की खोज/उत्पादन हेतु विदेशों के साथ समझौते

***11. श्री संतोष गंगवार:**

श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों में स्थित तेल क्षेत्रों में तेल की खोज और उसका उत्पादन करने के लिए समझौते किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ ये समझौते किये गए हैं और किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विदेशों के साथ तेल और गैस क्षेत्र में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 और 2006-07 में विदेशी सरकारों अर्थात रोमानिया का अर्थव्यवस्था और वाणिज्य मंत्रालय, टर्की गणराज्य का ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य का वाणिज्य उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय, चीन लोक गणराज्य का राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एन.डी.आर.सी.) (दो समझौता-ज्ञापन) जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एम.ई.टी.आई.), अमरीकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (यू.एस. ई.आई.ए.) और उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय नियंत्रक कंपनी उज्बेकनेफ्टगेज के साथ सहयोग के लिए आठ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. वेनेजुएला के बोलीवेरियाई गणराज्य के साथ करार में हाईड्रोकार्बन संसाधनों, तरल और गैस हाईड्रोकार्बनों और उनके संजातों के क्षेत्र में तथा हाईड्रोकार्बनों के अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण, उत्पादन, संक्रिया, विकास, परिशोधन, विपणन और परिवहन के क्षेत्र में और मानव संसाधनों के विकास के क्षेत्र में सहयोग के परस्पर कार्यों के लिए प्रावधान है।

3. रोमानिया के अर्थव्यवस्था और वाणिज्य मंत्रालय के

साथ समझौता ज्ञापन में मुख्य रूप से आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास, वेधन रिगों और पेट्रोरसायन संसाधन इकाइयों के विनिर्माण उन्नयन और आपूर्ति, तेल ऊर्जा और पर्यावरण मुद्दों, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, जोखिम प्रबंधन, तेल छलकाव आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली इत्यादि सहित पर्यावरणीय रक्षण में तेल और गैस से संबंधित मामलों में सहयोग का प्रावधान है।

4. टर्की गणराज्य के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में टर्की और विदेश में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) तेल और गैस पाइपलाइन पहल शुरू करने के लिए वेधन रिगों और पेट्रोरसायन संसाधन इकाइयों का आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास, विनिर्माण, उन्नयन और आपूर्ति, पर्यावरणीय मुद्दे, क्षेत्रीय ऊर्जा आधारभूत सुविधा नेटवर्क का विकास, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए भारतीय और टर्की कंपनियों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सहयोग का प्रावधान सम्मिलित है।

5. वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय, कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन में भारत और तीसरे देशों में ई एंड पी पहलें करने, आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास, वेधन रिगों के विनिर्माण, उन्नयन और आपूर्ति, भूमिगत पेट्रोलियम भंडारण सुविधा और सहायक क्रियाकलापों में सहयोग, तेल ऊर्जा और पर्यावरणीय मुद्दों, प्रशिक्षण, तेल बिखराव आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों सहित पर्यावरणीय रक्षा में भारतीय और कोरियाई कंपनियों के बीच सहयोग का प्रावधान है।

6. एन.डी.आर.सी., चीन के साथ समझौता ज्ञापनों में भारत, चीन और तीसरे देशों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में सहयोगात्मक प्रतिभागिता, विशेष रूप से ज्यादा तेल निकासी और वर्धित तेल निकासी के क्षेत्रों में आर एंड डी प्रस्तावों में संयुक्त खोज, कच्चे तेल और गैस की संयुक्त खरीदों की संभावना की खोज करने के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाने आदि का प्रावधान है।

7. अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग (एम.ई.टी.आई.), जापान के साथ समझौता ज्ञापन कार्यनीतिक तेल और गैस भंडारों के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ नेटवर्क करने हेतु हस्ताक्षरित किया गया।

8. अमरीकी ई.आई.ए. के साथ समझौता ज्ञापन में वार्षिक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र बाजार सांख्यिकी, अन्य संबंधित आंकड़ों और ईंधन की विशेषताओं से संबंधित जानकारी, शोधन क्षमता, भंडार और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र अन्य जानकारी, सांख्यिकीय पद्धतियों, विश्लेषणात्मक तकनीकों और प्रणाली प्रलेखन और इलेक्ट्रानिक जानकारी प्रचार-प्रसार के आदान-प्रदान का प्रावधान है।

9. उज्जबेकनेफ्टगेज के साथ समझौता ज्ञापन में भारतीय ई एंड पी क्षेत्र में प्रतिभागिता के लिए एन.ई.एल.पी. दौरों में बोली देने, संपत्तियों के लिए संयुक्त बोलियों सहित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग, आर एंड डी प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और पर्यावरणीय अनुकूल ईंधनों के संवर्धन के संबंध में सहयोग का प्रावधान है।

10. रोमानिया के अर्थव्यवस्था और वाणिज्य मंत्रालय, टर्की गणराज्य के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन सहयोगात्मक संस्थागत संबंधों का आधार स्थापित करेंगे और तेल और प्राकृतिक गैस विकास मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग (एम.ई.टी.आई.) मंत्रालय, के साथ समझौता ज्ञापन हमें हमारा कार्यनीतिक भंडारण स्थापित करने में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेगा और आपूर्ति रूकावटों और आपातकालीन आकस्मिकताओं को पूरा करेगा। अमरीकी ई.आई.ए. के साथ समझौता ज्ञापन से वर्तमान हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सांख्यिकी और अन्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र बाजार सूचना को अनुपूरित करने के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सूचना का आदान-प्रदान होगा। उज्बेकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय तेल पी.एस.यूज को उज्बेकिस्तान और तीसरे देशों में तेल और गैस संपत्तियां प्राप्त करने में सहायता करना है।

11. सरकार से सरकार के संवाद और समझौता ज्ञापनों से तीसरे देशों में संपत्तियां अर्जित करने में सहयोग करने के लिए कंपनियों हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड ने चाइना नेशनल पेट्रोलियम कार्पोरेशन (सी.एन.पी.सी.) के साथ सीरिया में और चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कार्पोरेशन (सिनोपेक) के साथ कोलम्बिया में एक अन्य संपत्ति प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त ओ.वी.एल. और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.), इंडियन आयल

कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) जैसी अन्य राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ मिलकर विदेशों में 20 देशों में तेल और गैस परियोजनाओं में प्रतिभागिता हित अर्जित किये हैं। 2006 के अंत में विदेशी ई एंड पी परियोजनाओं में राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा किया गया निवेश लगभग 21000 करोड़ रुपए था। सूडान में ओ.वी.एल. की ग्रेटर नील तेल परियोजना (जी.एन.ओ.पी.), रूस में सखालिन-1 परियोजना, वियतनाम परियोजना (ब्लाक 06.1), सीरिया में ब्लाक 24 और कोलम्बिया में मानसरोवर परियोजना, जिन सभी में ओ.वी.एल. का प्रतिभागिता हित है, में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष का तेल और गैस उत्पादन होता है। अन्य संपत्तियां अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश के लिए बजट अनुमान 2007-08 में लगभग 5500 करोड़ रुपए है। किये गए निवेश का देशवार ब्यौरा और 2007-08 के लिए बजट अनुमान अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

2006 तक के विदेशी निवेश और 2007-08 के बजट अनुमान

(करोड़ रुपए में)

देश	2006 तक संचयी अन्वेषण और उत्पादन निवेश	2006 तक पाइपलाइन निवेश	2006 तक विपणन निवेश	2007-08 के बजट अनुमान
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	6.54	–	–	2.29
ब्राजील	948.57	–	–	256.31
कोलम्बिया	2023.28	–	–	230
क्यूबा	69.12	–	–	37.42
मिस्र	26.18	–	–	49.13
गबोन	57.14	–	–	57.89
ईरान	223.68	–	–	35.22
इराक	4.53	–	–	1
लीबिया	112.6	–	–	212.71
मॉरीशस	–	–	75.67	
म्यांमार	386.71	–	–	99.15
नाइजीरिया	34.22	–	–	44.1
नाइजीरिया साओ टोम प्रमुख जेडीए	9.46	–	–	46

1	2	3	4	5
ओमान	1.78	–	–	15.91
कतर	36.9	–	–	272.99
रूस	7735	–	–	708.4
श्रीलंका	–	–	194.14	–
सूडान	6892.26	750.91		1078.16
सीरिया	1062.59	–	–	48.59
तिमोर व ऑस्ट्रेलिया	–	–	–	18
विएतनाम	1051.27	–		326.84
यमन	–	–	–	11.1
संयुक्त अरब अमीरात		–	1.25	1.26
अन्य	–	–	–	2025.65
योग	20681.82	750.91	271.07	5576.86

[अनुवाद]

नई रेलवे लाइनों हेतु सर्वेक्षण

***12. श्री एस. अजय कुमार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने के लिए रेलवे द्वारा राज्यवार विशेषकर केरल राज्य में किये गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पहचान की गई नई रेल लाइनों पर कार्य आरंभ करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पिछले 3 वर्ष के दौरान संपन्न नई लाइन सर्वेक्षण का राज्यवार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	किमी	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	
1	2	3	4	5	6
1.	मंत्रायलम रोड-कुरनूल	आन्ध्र प्रदेश	111	241	

1	2	3	4	5	6
2.	मछलीपत्तनम-रेपाली	आन्ध्र प्रदेश	45	259	
3.	पोंदारू-राजम	आन्ध्र प्रदेश	19	53	
4.	अंगुल-दोनाकोंडा	आन्ध्र प्रदेश	87	196	
5.	जग्गियापेट-विष्णुपुरम	आन्ध्र प्रदेश	55	156	# (पार्ट)
6.	भद्राचलम-कोव्वूर	आन्ध्र प्रदेश	151	334	
7.	नाडिकुडि-श्री कालाहस्ती	आन्ध्र प्रदेश	308	711	
8.	हैदराबाद-गजवाल-सिरसिल्ला-वेमुलवाडा	आन्ध्र प्रदेश	149	308	
9.	मेडक-अक्कनापेट	आन्ध्र प्रदेश	18	46	
10.	मनोहराबाद-कोठापल्लि	आन्ध्र प्रदेश	148	308	#
11.	कुड्डाप्पाह-बेंगलुरु बरास्ता मदनापल्लि	आन्ध्र प्रदेश/कर्नाटक	255	656	
12.	अट्टीपट्टू-पुत्तूर (पेरियापलायन-तिरवल्लूर सहित)	आन्ध्र प्रदेश/तमिलनाडु	145	635	
13.	तूली-तूली टाउन	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	9	44	
14.	मरकोंगसेलेक-पासीघाट	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	30	123	
15.	बेदेती-इटानगर	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	42	490	
16.	अजरा-बर्नीहाट	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	30	223	#
17.	भैराबी-सैरंग/एजवाल	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	52	519	
18.	दीमापुर-कोहिमा	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	887	912	#
19.	अगरतला-सबरूम	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	110	557	
20.	हथुआ-देवरिया (भटनी)	बिहार	85	200	#
21.	बरियारपुर-मननपुर	बिहार	68	292	#
22.	पीरपैंती से एम.जी.आर.	बिहार	17	45	
23.	औरंगाबाद-बिहटा	बिहार	118	410	#
24.	मोतिहारी से सीतामढ़ी	बिहार	77	211	#
25.	कुशेश्वरस्थान-दरभंगा	बिहार	70	253	#

1	2	3	4	5	6
26.	झाझा-खेड़ा-गढ़ी-नवादा	बिहार	82	629	
27.	बिहारीगंज-सिमरीबख्तियारपुर	बिहार	54	139	
28.	आरा-भभुआ रोड	बिहार	122	380	
29.	मसरख-रीवाघाट	बिहार	30	109	#
30.	छपरा-मुजफ्फरपुर	बिहार, उत्तर प्रदेश	85	378	#
31.	छितौनी-तुमुकी रोड	बिहार, उत्तर प्रदेश	59	264	#
32.	देहरी-ऑन-सोन-बंजारी	बिहार/झारखंड	36	83	
33.	झाझा-गिरीडीह	बिहार/झारखंड	82	624	
34.	नवाडा-गिरीडीह	बिहार/झारखंड	130	580	
35.	गया से डाल्टेनगंज	बिहार/झारखंड	135	540	
36.	अररिया-गलगलिया	बिहार/पश्चिम बंगाल	101	365	#
37.	सुल्तानगंज-कथूरिया	बिहार	75	331	#
38.	पटेल नगर और बरार स्क्वेयर का परिहार करने के लिए दिल्ली कैंट को जोड़ने वाली बाईपास लाइन	दिल्ली	3	49	
39.	खरखोधा-संथलपुर	गुजरात	111	199	
40.	भावनगर-तारापुर	गुजरात	135	411	
41.	छोटा उदयपुर-धार	गुजरात/मध्य प्रदेश	156	608	#
42.	दाहोद-बांसवाड़ा	गुजरात/राजस्थान	120	321	
43.	हिसार से सिरसा	हरियाणा	79	240	
44.	भादू कलां-झाखल	हरियाणा	92	448	
45.	यमुना नगर-पटियाला	हरियाणा/पंजाब	142	530	
46.	रेवाड़ी-भिवाड़ी	हरियाणा/राजस्थान	27	105	
47.	लोहारू-भिवानी	हरियाणा/राजस्थान	64	100	
48.	परवानू-दर्लाघाट	हिमाचल प्रदेश	92	1290	
49.	चंडीगढ़-बद्दी	हिमाचल प्रदेश	33	328	#

1	2	3	4	5	6
50.	बानुपलि-बिलासपुर-बेरी	हिमाचल प्रदेश	63	766	
51.	उधमपुर/कटरा-भैरवा, डोडा-किस्तवाड	जम्मू और कश्मीर	224	3860	
52.	बारामूला-कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	39	359	
53.	रांची-कांद्रा	झारखंड	93	300	
54.	छत्र-गया	झारखंड	101	389	
55.	तोरी-छत्र	झारखंड	66	278	
56.	हंसडीह से गोड्डा	झारखंड	29	144	
57.	रायदुर्ग-तुमकुर	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	212	887	#
58.	पूनालूर से ईरुमेली	केरल	63	345	
59.	तिरुर-अगंदिपुरम	केरल	41	224	
60.	ईरुमेली-पूनालूर-त्रिवेंद्रम	केरल	138	699	
61.	कायनकुलम-कोट्टाकारा	केरल	48	276	
62.	मदुरै-कोट्टायम	केरल/तमिलनाडु	220	1025	
63.	दामोह-कुंदालपुर	मध्य प्रदेश	35	58	
64.	गोटेगांव-रामटेक	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	275	775	
65.	खंडवा-नरदाना	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	225	520	
66.	मनमाड़-इंदौर बरास्ता मलगांव एवं धुले	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	350	1001	
67.	लातूर रोड-मुदखेड़	महाराष्ट्र	138	359	
68.	गोरेगांव-बोरीविली	महाराष्ट्र	7	128	
69.	सोलापुर-तुजलापुर-ओस्मानाबाद	महाराष्ट्र	80	189	
70.	वर्धा-यवतमल	महाराष्ट्र	270	581	
71.	जैपोर-मल्कानगिरि	उड़ीसा	130	562	
72.	बडगढ़-नवपाड़ा रोड	उड़ीसा	136	416	
73.	पुरी-कोणार्क	उड़ीसा	35	100	

1	2	3	4	5	6
74.	रुपसा-बांगरीपोसी का गुरूमाहिसाणी तक विस्तार	उड़ीसा	42	211	
75.	बूरमारा-चाकुलिया	उड़ीसा/पश्चिम बंगाल	50	186	
76.	कदियान-ब्यास	पंजाब	40	142	
77.	रामा मंडी - मोड़ मंडी बरास्ता तलवंडी साहिब	पंजाब	32	115	
78.	रतलाम-बांसवाड़ा	राजस्थान	176	983	
79.	फलौदी-बलतोड़ा	राजस्थान	165	291	
80.	अनूपगढ़-बीकानेर	राजस्थान	155	274	
81.	जैसलमेर-बाड़मेर	राजस्थान	144	263	
82.	बिलाड़ा-बाड	राजस्थान	52	139	
83.	फलौदी-नागरपुर	राजस्थान	147	214	
84.	जैसलमेर-कांडला	राजस्थान/गुजरात	562	991	
85.	बड़ी सराय-नीमच	राजस्थान/मध्य प्रदेश	50	130	
86.	तिंडीवणम-नागरी	तमिलनाडु	179	417	#
87.	रामेश्वरम-धनुषकोट्टि	तमिलनाडु	17	27	
88.	तिंडीवणम-कुड्डालूर	तमिलनाडु	77	157	
89.	चेन्नै-श्रीपरम्बदूर	तमिलनाडु	38	242	
90.	चेन्नै-तंजावूर	तमिलनाडु	314	906	
91.	तिंडीवणम-जोलारपेट्टै बरास्ता तिरुवणमलै, जिंजी	तमिलनाडु	168	406	# (पार्ट)
92.	जोलारपेट्टै-होसूर बरास्ता धर्मापुरी	तमिलनाडु	159	411	
93.	सत्यमंगलम-मेट्टूर	तमिलनाडु	90	326	
94.	मलियादुत्तरै-कैराकल	तमिलनाडु	47	115	
95.	चेन्नै-कुड्डालूर	तमिलनाडु	71	524	
96.	ईरोड-सत्यमंगलम	तमिलनाडु	69	283	
97.	ईरोड-पलानी बरास्ता धारापुरा	तमिलनाडु	92	289	

1	2	3	4	5	6
98.	नागपट्टीनम-तिरुचेरैपूंदी	तमिलनाडु	33	91	
99.	कुड्डालूर-जोलारपेट्ट	तमिलनाडु/पुडुचेरी	236	563	
100.	कोलेनगोडे-त्रिचूर	तमिलनाडु/केरल	59	301	
101.	ऋषिकेश-दोयवाला	उत्तराखंड	20	100	
102.	आनंदनगर-कप्तानगंज	उत्तर प्रदेश	60	145	
103.	चोला-बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	16	59	
104.	गोलागोकरन नाथ-शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	67	172	
105.	एटा-कासगंज	उत्तर प्रदेश	29	132	
106.	पद्रौना-कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	28	110	
107.	नौतनवा-भैरवा	उत्तर प्रदेश	15	176	
108.	अमेठी-साहगंज बरास्ता सुल्तानपुर/कादीपुर	उत्तर प्रदेश	110	296	
109.	संभल-गजरौला	उत्तर प्रदेश	43	165	
110.	नेपालगंज रोड (भारत)-नेपालगंज (नेपाल)	उत्तर प्रदेश	12	149	
111.	बहराज बाजार-फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	194	782	
112.	टनकपुर-बागेश्वर	उत्तराखंड	155	2252	
113.	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार बरास्ता रूड़की	उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश	51	281	# (पार्ट)
114.	बज बज-उल्बेरिया	पश्चिम बंगाल	25	910	
115.	चौड़ीगाछा-कांदी	पश्चिम बंगाल	16	50	
116.	बांदेल-नैहाटी	पश्चिम बंगाल	9	30	
117.	झारग्राम-पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	136	356	
118.	बज बज - नामखाना-फ्रेजरगंज	पश्चिम बंगाल	129	321	
119.	सामसी-हरीशचंद्रपुर	पश्चिम बंगाल	28	91	
120.	बालूरघाट-हिली	पश्चिम बंगाल	30	105	
121.	कैनिंग-सोनाखाली	पश्चिम बंगाल	17	126	

1	2	3	4	5	6
122.	अमटा-बोगांव	पश्चिम बंगाल	16	65	
123.	बुनियादपुर-कलियागंज	पश्चिम बंगाल	35	131	
124.	बज बज-पुजाली	पश्चिम बंगाल	11	37	
125.	मेखलागंज-हल्दीबाड़ी, चंद्रमंगा तक विस्तार सहित	पश्चिम बंगाल	26	186	
126.	बरसोई-चंचल	पश्चिम बंगाल/बिहार	33	131	
127.	सिवोक-गियलीखोला	पश्चिम बंगाल/असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	25	105	
	जोड़		12749	47934	

#उन कार्यों को दर्शाता है जिन्हें शुरू किया जा चुका है।

(ख) उपर्युक्त 127 संपन्न सर्वेक्षणों में से, अभी 20 नई लाइन परियोजनाओं को शुरू किया गया है। निधियों का आवंटन कर दिया गया है और कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर उपकर

***13. डा. चिन्ता मोहन:**

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय तेल कंपनियों से अभी भी घरेलू कच्चे तेल उत्पादन पर उपकर भारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के लिए तत्संबंधी दरें क्या है तथा अब तक कितनी धनराशि वसूली गयी है;

(ग) क्या उक्त उपकर के माध्यम से वसूली गयी धनराशि का मात्र 20 प्रतिशत ही तेल अन्वेषण और विकास पर खर्च किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में इस मद में वसूली गयी धनराशि का कंपनी-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ङ) जी, हां। कच्चे तेल के उत्पादन पर उपकर तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के प्रावधान के अनुसार संदेय है। जबकि खोजे गए क्षेत्रों की नीति के तहत हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के लिए संयुक्त उद्यमों पर उपकर की दर में स्थाइत्व होता है वहीं राष्ट्रीय तेल कंपनियां (एन.ओ.सीज) समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार उपकर का भुगतान करतीं हैं। एन.ओ.सीज नामतः आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) ने 2007-08 में 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उपकर का भुगतान किया। देश में उत्पादित कच्चे तेल पर उपकर 23 जुलाई, 1974 से प्रभावी बनाया गया था। 2006-07 तक एकत्रित धनराशि 68104.79 करोड़ रुपये है। आज की तारीख में तेल उद्योग के विकास के प्रयोजन हेतु तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) को 902.40 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

ओ.एन.जी.सी. ओ.आई.एल. और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए उपकर का कंपनीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

कंपनियां	2004-05	2005-06	2006-07
ओ.एन.जी.सी.	4054.73	3871.03	5661.10
ओ.आई.एल.	558.28	587.21	779.74
निजी/संयुक्त उद्यम	420.96	399.34	434.69
योग	5033.97	4857.58	6875.53

[अनुवाद]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन

***14. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**

श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना की क्रियान्वयन संबंधी वार्ता में धीमापन आया है;

(ख) क्या भारत ने इस वर्ष सितंबर-अक्तूबर के दौरान ईरान में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में भाग नहीं लिया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) भारत ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई.पी.आई.) ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के आयात के प्रयास कर रहा है। भागीदार देशों के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

2. ऐसी बहुपक्षीय परियोजनाओं की दीर्घकालिक चर्चाओं में जैसा कि सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है, और साथ ही परियोजना के सफल संचालन में किन्हीं भावी समस्याओं को रोकने के लिए हर देश के हितों की रक्षा के लिए भागीदार देशों की संतुष्टि के अनुसार विचार-विमर्श किया जाता है।

3. ईरान, पाकिस्तान और भारत का एक त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल गठित किया गया है। इस त्रिपक्षीय कार्यदल की छः बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इसकी अंतिम बैठक 28-29 जून, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। दो अलग सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलों अर्थात भारत-पाकिस्तान संयुक्त कार्यदल और भारत-ईरान विशेष कार्यदल भी गठित किए गये हैं। भारत-ईरान विशेष संयुक्त कार्यदल की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं। भारत-पाकिस्तान संयुक्त कार्यदल की पांच बैठकें आयोजित हो चुकी है, इसकी अंतिम बैठक 27 व 28 जून, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

4. ईरान ने सितंबर, 2007 के अंतिम सप्ताह के दौरान तेहरान में सातवीं त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव किया। भारत ने सूचित किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करना उचित होगा क्योंकि कुछ द्विपक्षीय मुद्दे, जैसे परिवहन प्रशुल्क और पारवहन शुल्क का पहले समाधान करने की आवश्यकता है। भारत और पाकिस्तान को एक नई मूल्य संशोधन खंड जोड़ने की ईरान की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप देने की भी आवश्यकता है। तथापि, ईरान और पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय बैठक आयोजित किए जाने की सूचना है। अब यह प्रस्ताव है कि नवम्बर 28 और 29, 2007 को स्लामाबाद में होने वाली तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-(भारत) टी.ए.पी.आई.) गैस पाइपलाइन परियोजना की संचालन समिति की बैठक के बाद आई.पी.आई. परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाए।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देना

***15. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा योजना आयोग से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के आवंटन हेतु कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ख) विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से मानव संसाधन के विकास हेतु कौन-कौन सी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए योजना आयोग से 5405.58 करोड़ रुपए (10% वृद्धि के आधार पर) और 6569.61 करोड़ रुपए (20% वृद्धि के आधार पर) के परिव्यय की मांग की थी।

(ख) सरकार 26 होटल प्रबंध संस्थान, 6 भोजन कला संस्थान चलाती है और 4 निजी सम्बद्ध संस्थान होटल प्रशासन एवं आतिथ्य कौशल में पाठ्यक्रम चलाते हैं। इन पाठ्यक्रमों का प्रयोजन, विदेशी पर्यटकों सहित, सभी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने केलिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है।

[अनुवाद]

कोकिंग कोल परिसंपत्तियों का अर्जन

***16. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्ष 2010 के बाद वृद्धि हेतु कोई रूपरेखा (ब्लू प्रिंट) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड आस्ट्रेलिया में कोकिंग कोल परिसंपत्तियों का अर्जन करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) अब कार्यान्वयनाधीन सेल की वर्तमान विस्तार योजनाओं में 2010 तक तप्त धातु की वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 26 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई है। 2010 के बाद विकास हेतु सेल एक निदेशात्मक योजना भी तैयार कर रहा है जिसका लक्ष्य वर्ष 2020 तक 60 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है।

(ग) और (घ) सेल, आस्ट्रेलिया जैसे देश में कोककर कोयला खानों में साम्या धारिता अधिगृहीत करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है। यह विभिन्न आस्ट्रेलियाई कंपनियों के साथ विचार-विमर्श के प्रारंभिक चरण में है।

[हिन्दी]

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल

***17. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोल में एथनॉल को मिश्रित करने को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि में देश में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल को मिश्रित करने की अनुमति है;

(ग) क्या देश में एथनॉल के बढ़ते उत्पादन के मद्देनजर पेट्रोल में एथनॉल मिश्रित करने की प्रतिशतता में वृद्धि किए जाने की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथनॉल की प्रतिशतता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ङ) जी हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपनी दिनांक 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को निदेश दिए हैं कि वे 1 नवंबर, 2006 से उत्तर पूर्व राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक अर्थक्षमता के अधीन 5% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई.बी.पी.) बेचें।

इसके अलावा सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर पूर्व राज्यों, जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर, पूरे देश में 5% ई.बी.पी. कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाए। यह प्रस्ताव भी किया गया है कि 10% एथनॉल मिश्रण को वैकल्पिक किया जाए।

तथापि, इस समय राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न करों/शुल्कों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण एथनॉल का स्वतंत्र अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं होता है, जिसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ई.बी.पी. कार्यक्रम के लिए पर्याप्त एथनॉल उपलब्ध किया जा सके।

[अनुवाद]

रेल लाइन नवीकरण पर व्यय

***18. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आमान परिवर्तन के लिए चिन्हित खण्डों पर रेल लाइन के नवीकरण कार्य पर अपव्यय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं। रेलपथ नवीकरण के कार्य रेलपथ अनुरक्षण गतिविधियों का हिस्सा होते हैं जो आयु एवं दशा के आधार पर रेलपथ का नवीकरण अपेक्षित हो जाने पर किए जाते हैं। आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत खंडों के लिए, उन पर यातायात के संरक्षित परिचालन हेतु, अनुरक्षण कार्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए, आमान परिवर्तन के लिए चिन्हित खंडों पर रेलपथ नवीकरण कार्यों पर किया गया खर्च अपव्यय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आमान परिवर्तन कार्यों की प्रगति और रेलपथ की दशा के आधार पर रेलपथ नवीकरण कार्यों की निष्पादन से पहले समीक्षा की जाती है और तदनुसार या तो कार्य को पूर्णतया हटा देने या कार्य के जिस हिस्से पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है उसे निष्पादित करने का निर्णय लिया जाता है।

इस्पात क्षेत्र में विदेशी निवेश

***19. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ देशों ने देश के इस्पात क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) कुछ विदेशी निवेशकों ने देश में इस्पात परियोजनाएं स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) ऐसे प्रमुख विदेशी निवेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) पोस्को इंडिया लि. [दक्षिण कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी (पोस्को) की एक सहायक कंपनी] ने 51,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उड़ीसा में 12 मिलियन टन क्षमता की इस्पात परियोजना स्थापित करने के लिए दिनांक 22-06-2005 को उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) आर्सेलर-मित्तल इंडिया लि. ने 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उड़ीसा में 12 मिलियन टन क्षमता की इस्पात परियोजना स्थापित करने के लिए दिनांक 22-12-2006 को उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) आर्सेलर-मित्तल इंडिया लि. ने 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से झारखंड में 12 मिलियन टन क्षमता की इस्पात परियोजना स्थापित करने के लिए दिनांक 08-10-2005 को झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iv) साइनोस्टील इंडिया प्रा. लि., चीन ने झारखंड में 5 मिलियन टन क्षमता की इस्पात परियोजना स्थापित करने में रूचि व्यक्त की है।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार ऑटोमेटिक रूट के तहत इस्पात क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है और ऑटोमेटिक रूट में, पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं है।

महत्वपुर्ण कच्चा तेल भंडार

***20. श्री निखिल कुमार:**

श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में 5 मिलियन मीट्रिक टन रणनीतिक कच्चा तेल भंडार सृजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितना निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) रणनीतिक कच्चा तेल भंडार के सृजन हेतु वित्तपोषण करेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे रणनीतिक कच्चे तेल भंडारों की कब तक स्थापना की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने 5 सितंबर, 2005 को 3 स्थानों अर्थात विजाग (1.0 मि.मी. टन), मंगलौर (1.5 मि.मी. टन) तथा पंदूर उदीपि (2.5 मि.मी. टन) में 5 मि.मी. टन क्षमता के कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण स्थापित करने का निर्णय किया है। इसकी अनुमानित पूंजी लागत (2005) 2397 करोड़ रुपए थी। कच्चे तेल की फिलिंग लागत अनुमानतः 8870 करोड़ रुपए थी (55 अमरीकी डालर प्रति बैरल क्रूड मूल्य पर आधारित)।

(ग) इस रणनीतिक भंडारण को सृजित करने की पूंजी लागत का वित्तपोषण तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। भंडारण के लिए अपेक्षित कच्चे तेल की लागत के वित्तपोषण के लिए सरकार विद्यमान ओ.आई.डी.बी. उपकर संग्रह से निधियां उपलब्ध न होने के मामले में, घरेलू कच्चे तेल पर अस्थाई रूप से उपकर और/अथवा आयातित कच्चे तेल पर सीमा शुल्क बढ़ा सकती है।

(घ) रणनीतिक कच्चे तेल भंडारों की स्थापना के लिए पूरे किए जाने वाले लक्ष्य इस प्रकार हैः-

विशाखापट्टनम	–	31 जनवरी, 2011
मंगलौर	–	15 जुलाई, 2011
पदूर	–	31 दिसंबर, 2011

*मि.मी. टन से अभिप्रेत है मिलियन मीट्रिक टन

[हिन्दी]

औषधियों की गुणवत्ता तथा मूल्य

1. **श्री सुभाष महरिया:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों के माध्यम से मरीजों को जारी की जा रही औषधियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उपलब्ध तंत्र क्या है;

(ख) कितने नकली औषधि आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाया गया है/गिरफ्तार किए गए हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी स्वास्थ्य - परिचर्या कार्यक्रमों के माध्यम से जारी करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य के 50 प्रतिशत पर केन्द्रीकृत औषधि खरीद करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की पहल औषधि उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्त्ताओं को जनसाधारण के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं दें या अपने लाभ के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए नकली दवाओं की आपूर्ति नहीं करें एक दिशा-निर्देश तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) सरकारी अस्पताल और औषधालय, अस्पतालों अथवा क्रेता एजेंसियों की क्रय समितियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाइसेंसशुदा विनिर्माताओं या केमिस्टों से औषधियां खरीदते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि मरीजों को संवितरण किए जाने हेतु खरीदी गई दवाएं अनुशंसित मानकों के अनुरूप हैं। हाल में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को नकली औषधों की आपूर्ति के लिए किसी ड्रग सप्लायर का पता लगने या गिरफ्तारी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप में, जो फिलहाल मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है, इस विभाग ने सरकार द्वारा औषधों की थोक खरीद को सुधारू बनाने के लिए कतिपय उपायों का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-उदयपुर मार्ग पर "पैलेस ऑन व्हील्स"

2. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या "पैलेस ऑन व्हील्स" जैसी पर्यटक आकर्षण की रेलगाड़ी को अहमदाबाद-उदयपुर मार्ग पर शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिरों हेतु न्यास

3. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हिमालय के पहाड़ों में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गोमुख जैसे विश्व प्रसिद्ध तथा प्राचीन धार्मिक केन्द्रों के प्रबंधन हेतु न्यास गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह न्यास कब तक गठित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 'धार्मिक पर्यटन' सहित, पर्यटन संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनको उनके साथ परामर्श और परस्पर विचार-विमर्श से अभिनिर्धारित किया जाता है और इस प्रकार निर्मित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

हिमालय के पहाड़ों में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ और गोमुख जैसे विश्व प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक केन्द्रों के प्रबंधन के लिए न्यास गठित करने का कोई प्रस्ताव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एकीकृत रेल पूछताछ प्रणाली

4. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में एकीकृत रेल पूछताछ प्रणाली का आरंभ देश के केवल आठ राज्यों में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ता सामान्य पूछताछ नम्बर 139 से पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे सभी राज्यों तथा सभी नेटवर्कों पर इस सुविधा का विस्तार कब तक करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली चरणबद्ध आधार पर इस प्रयोजन के लिए गठित देश के चार क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। तीन क्षेत्रों में अर्थात् उत्तर क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश (17-07-2007 को चालू किया गया है), पश्चिम क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा (29-09-2007 को चालू किया गया है) और दक्षिण क्षेत्र, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडीचेरी, आंध्र प्रदेश (15-10-2007 को चालू किया गया है) कवर किया गया है। बाकी के राज्यों में तथा पूर्व क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों को शीघ्र ही कवर करने की संभावना है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) इस सेवा के टेलीकॉम सर्विस प्रदाता हैं। यथासमय, अन्य नेटवर्कों पर भी यह सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

[हिन्दी]

झारखंड को मिट्टी तेल की आपूर्ति

5. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड को आपूर्ति किये जा रहे मिट्टी के तेल की मात्रा कम है जिससे झारखंड के कई भागों के लोगों को मिट्टी का तेल प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड द्वारा की गई मांग की तुलना में आपूर्ति किये गए मिट्टी के तेल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मांग के अनुरूप मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) मिट्टी तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(पी.डी.एस.) के अंतर्गत वितरण के लिए आबंटित उत्पाद है। मिट्टी तेल का आबंटन भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर अपने पी.डी.एस. नेटवर्क के जरिए आगे वितरण कराना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेवारी है।

(ख) गत तीन वर्षों में झारखंड राज्य को पी.डी.एस. मिट्टी तेल का किया गया आबंटन निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटन (मीटरी टनों में)
2004-05	211175
2005-06	211175
2006-07	211175

(ग) मिट्टी तेल का आबंटन खाना पकाने और रोशनी के प्रयोजनार्थ ही पूर्वाधार पर पी.डी.एस. के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को किया जाता है। सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत वितरण के लिए मिट्टी तेल (एस.के.ओ.) का आवंटन 2001-02 से शुरू करके 2003-04 तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जारी किए गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष कम की गई थी। जबकि 2004-05 के लिए प्रारंभिक आबंटन अब तक अपनाए गए मानदंड के आधार पर किया गया था, तो भी अतिरिक्त आबंटन वर्ष के दौरान अत्यावश्यक आपातिक मांग को पूरा करने के लिए किए गए थे। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए आवंटनों को 2004-05 के स्तर पर रखा गया है जिनमें उस वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आवंटन भी शामिल हैं। वर्ष 2007-08 के लिए पहली तीन तिमाही के लिए आबंटनों को 2006-07 के स्तर पर बनाए रखा गया है।

एस.के.ओ. आबंटन में वृद्धि करने के लिए झारखंड सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने दिसंबर 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) के जरिए मिट्टी तेल की मांग का विस्तृत अध्ययन शुरू कराया था। एन.सी.ए.ई.आर. ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2005 में प्रस्तुत की थी। एन.सी.ए.ई.आर. ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ मिट्टी तेल पर राजसहायता गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक ही सीमित करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त, दीर्घावधि मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कराधान के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए, उनकी कीमतों को स्थिर/युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 17-2-2006 को प्रस्तुत की थी। समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ मिट्टी तेल पर राजसहायता बी.पी.एल. परिवारों तक ही सीमित करने की सिफारिश की थी। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया है कि पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर राजसहायता बी.पी.एल. परिवारों तक ही सीमित रखी जाए। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तरीके पता करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पी.डी.एस. मिट्टी तेल के आबंटन को युक्तियुक्त बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र पिलिकुला, मैंगलोर

6. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पिलिकुला, मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ जिले में एक क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा इस केन्द्र को स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ने 25 एकड़ जमीन प्रदान की है तथा राज्य सरकार ने अपना 50 प्रतिशत इक्विटी अंश 3.25 करोड़ रुपये जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने भी अपना इक्विटी अंश 3.25 करोड़ रुपये एकमुश्त जारी कर दिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पिलिकुला, मैंगलोर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र

स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संसाधनों की सीमाओं के कारण और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चालू वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान कर्नाटक राज्य में धारवाड़ में एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है, वर्ष 2007-08 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के कार्यकारी कार्यक्रम में पिलिकुला में प्रस्तावित परियोजना को शामिल करना संभव नहीं है।

असहाय बच्चों को शिक्षा व प्रशिक्षण

7. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान असहाय बच्चों की शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में स्वयंसेवी संस्थानों को आबंटित और जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूर्वोक्त उद्देश्य हेतु इन संस्थानों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इन संस्थानों ने निर्धारित मानदंड पूरे किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य-वार उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध इस संदर्भ में कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेल पटरियों का अतिक्रमण

8. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रेल पटरियों के बड़े भाग पर मलिन बस्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने पटरियों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलवे रेलपथों के निकट रेल भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु इस प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण, जहां भी व्यावहारिक हो चार दीवारी का निर्माण, ऐसी भूमि की नियमित निगरानी आदि के द्वारा लगातार प्रयास कर रही है।

हरिहर रेलवे स्टेशन

9. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कर्नाटक में हरिहर रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू एवं पूरा होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) हरिहर रेलवे स्टेशन को 2 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अपग्रेड करने के लिए शामिल किया गया है। अपग्रेड करने संबंधी प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:-

(i) स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण करना;

(ii) परिचलन क्षेत्र का सुधार करना;

(iii) अतिरिक्त प्लेटफार्म सायबानों की व्यवस्था;

(iv) प्लेटफार्म सं. 1 की प्लेटफार्म सतह में सुधार करना; और

(v) प्लेटफार्म सं. 2 तथा 3 की सतह को उठाना।

कार्य प्रगति पर है। कार्य को जून, 2008 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

रेलवे अस्पताल, कोटा में चिकित्सा सुविधाएं

10. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 2007 को 'देश की धरती' कोटा (राजस्थान) में 'रेलवे चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संदर्भ में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। यह समाचार कोटा के एक स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसका सर्कुलेशन बहुत कम है। इसलिए, यह रेल प्रशासन के ध्यान में नहीं आया।

(ख) और (ग) 104 बिस्तर वाले कोटा मंडल अस्पताल में मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इस अस्पताल में एक सघन चिकित्सा इकाई, आपरेशन थिएटर और जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ग्यानोकोलोजी, ओफ्थामोलोजी, ओर्थोपेडिक और पीडीऐट्रिक्स के क्षेत्र के नियमित डाक्टर हैं। यूरोलोजी और ओटोलैरीन्गोलोजी (ई.एन.टी.) के भी एक-एक विजिटिंग स्पेशलिस्ट अस्पताल में कार्यरत है। बेसिक जांच की सभी सुविधाएं अस्पताल में ही उपलब्ध हैं और अन्य विशेष जांचों की सुविधा बिना नकद भुगतान के आधार पर आउटसोर्सिंग करा कर उपलब्ध कराई जा रही है। सुधा हास्पिटल, कोटा कार्डिएक ट्रीटमेंट (सुपर स्पेशलियटी केयर) के लिए एक मान्यता प्राप्त अस्पताल है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान

11. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पश्चिम रेल प्राधिकारियों को वरीयता स्तर पर स्वच्छता कार्य करने हेतु अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे ने मुम्बई शहर में तथा उसके आस-पास 31 रेलवे स्टेशनों से कचरा संग्रहण तथा निपटान में सुधार लाने हेतु एक निजी एजेन्सी को नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार पश्चिम मध्य रेलवे सहित पूरे देश में ऐसे स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) सभी क्षेत्रीय रेलों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सफाई में और अधिक सुधार करें क्योंकि वर्ष 2007-08 को "सफाई वर्ष" घोषित किया गया है।

(ग) से (च) प्रमुख रेलवे स्टेशनों से कूड़ा उठाने तथा कूड़े को हटाने के लिए समय-समय पर ठेकों के आबंटन के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं। बहरहाल, मुंबई शहर मे और उसके आस-पास के क्षेत्रों में कूड़ा एकत्रित करने तथा उसे हटाने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा किसी प्राइवेट एजेंसी को कोई अलग से ठेका नहीं दिया गया है।

देश में निगरानी प्रौद्योगिकी

12. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल का विचार पूरे देश में निगरानी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान ऐसे उन्नयन हेतु जोन-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विभिन्न रेल जोनों में निगरानी प्रौद्योगिकी से संबंधित अब तक पूरा हुए कार्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) रेल सुरक्षा बल को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से जैसे वॉकी-टॉकी, हैंड हेल्ड मेटल डेटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स,

ड्रैगन सर्च लाइट, क्लोज सर्किट टेलिविजन तथा कैमरा आदि से सुसज्जित किया गया है।

और अधिक खोजी कुत्ते लगाए जा रहे हैं। बम का पता लगाने तथा उसके विसर्जन करने वाले दस्ते की स्थापना की जा रही है।

(ग) सुरक्षा उपकरण प्राप्त करने तथा रेल सुरक्षा बल का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्ष जैसे निर्माण कार्यक्रम, मशीनरी एवं संयंत्र (एम एंड पी) शीर्ष, यात्री सुविधा शीर्ष से निधि उपलब्ध कराई गई है।

(घ) यह एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

न रुकने वाली गाड़ियों का प्रमुख टर्मिनलों पर ठहराव

13. श्री मनोरंजन भक्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी न रुकने वाली गाड़ियों को 20 मिनट से अधिक समय तक प्रमुख टर्मिनलों पर ठहराने को अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि न रुकने वाली गाड़ियों को 20 मिनट से अधिक समय तक प्रमुख टर्मिनलों पर ठहराने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है और रेलगाड़ियों की समय की पाबंदी का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु गाड़ियों के समय पर चलने की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गाड़ियों के पहले गुजरने, रेलपथ की उपलब्धता, संपर्क गाड़ियों के पहुंचने, टर्मिनल स्टेशन पर सुविधाजनक पहुंच, रेल इंजनों के परिवर्तन, गाड़ियों में पानी भरने आदि जैसे अपरिहार्य परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण कुछ गाड़ियां 20 से अधिक मिनट के लिए रुकती हैं।

(घ) गाड़ियों की नियमितता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) चौबीस घंटे गाड़ियों की मॉनीटरिंग

(ii) अवसंरचना सुविधाओं की योजना और विकास

(iii) निवारात्मक रखरखाव द्वारा उपस्करों की विश्वसनीयता में सुधार लाना और खराबियों को शीघ्र ठीक करना

(iv) आवधिक निष्पादन और सुधारात्मक कार्रवाई के विश्लेषण के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित बैठकें करना

(v) समपारों पर सुरक्षा के संबंध में सड़क उपयोगकर्ताओं को जानकारी देना।

[हिन्दी]

तेल कंपनियों को घाटा

14. श्री रामजीलाल सुमन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की घरेलू बिक्री से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान उक्त उत्पादों की बिक्री से तेल कंपनियों को अनुमानतः कितना घाटा होने की संभावना है;

(ग) क्या देश में तेल कंपनियों ने उक्त घाटे के बावजूद उक्त अवधि के दौरान लाभ कमाया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी ने कितना लाभ कमाया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र

की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. की घरेलू बिक्री में कम वसूलियां झेल रही हैं, क्योंकि इन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट का औसत मूल्य, जो अप्रैल 2007 में प्रति बैरल 65.52 अमरीकी डालर था, सितंबर 2007 में बढ़कर प्रति बैरल 74.83 अमरीकी डालर हो गया है।

अप्रैल-सितंबर, 07 के दौरान संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों, अर्थात पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल एवं घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री पर ओ.एम.सीज की कुल अनुमानित कम वसूलियां निम्नानुसार हैः-

रुपए करोड़ में

कम वसूली*	अप्रैल-सितंबर, 07 (अनंतिम)
पेट्रोल	2637.87
डीजल	9911.23
पी.डी.एस. मिट्टी तेल	8205.37
घरेलू एल.पी.जी.	5608.32
योग	26362.79

*कुल कम वसूलियां तेल बाण्ड, अपस्ट्रीम सहायता एवं रिफाइनरी छूटों पर विचार किए बिना हैं।

(ग) और (घ) जी हां। अपस्ट्रीम तेल कंपनियों से अंशदान और अप्रैल-सितंबर, 07 के दौरान उनकी अनुमानित कम वसूलियों के लिए तेल बाण्ड जारी करने के आश्वासन को ध्यान में रखकर अप्रैल-सितबर, 07 के दौरान के लिए ओ.एम.सीज का करोपरांत लाभ (पी.ए.टी.) निम्नानुसार हैः-

रुपए करोड़ में

करोपरांत लाभ (पी.ए.टी.)	अप्रैल-सितबर, 07
1	2
आई.ओ.सी.	5286.16
बी.पी.से.	1230.90
एच.पी.सी.	766.10

तेल की खोज के लिए म्यांमार के साथ समझौता

15. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार ने तेल ब्लाकों से तेल की खोज और उसके उत्पादन के लिए म्यांमार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते से देश को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) ने हाल ही में म्यांमार में 100% पी.आई. के साथ एडी-2 एडी-3, तथा एडी-9 तीन गहरे समुद्री अन्वेषण ब्लाकों के लिए उत्पादन साझेदारी ठेकों (पी.एस.सीज) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन उत्पादन साझेदारी ठेकों को 23 सितंबर 2007 को म्यांमार आयल एंड गैस एन्टरप्राइजेज (एम.ओ.जी.ई.), म्यांमार के साथ संपन्न किया गया है।

इसके अलावा, ओ.वी.एल. तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के पास म्यांमार अपतट में ब्लाक ए-1 और ब्लाक ए-3 प्रत्येक में क्रमशः 20% और 10% नियंत्रण है।

(ग) तीन गहरे समुद्री अन्वेषण ब्लाक एडी-2, एडी-3 तथा एडी-9 के उत्पादन साझेदारी ठेकों से संभावित लाभ की जानकारी केवल अन्वेषण कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही हो सकेगी।

इसके अलावा, परिसंघ ने म्यांमार में ब्लाक ए-1 और ब्लाक ए-3 में गैस की खोज की है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की दुर्घटना/पटरी से उतरना/आग लगना

16. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

प्रो. एम. रामदास:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त 2007 से लेकर अब तक मालगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने/पटरी से उतरने/आग लगने का दुर्घटना-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है;

(ख) इनमें दुर्घटना-वार कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और रेलवे की संपत्ति को कितना नुकसान हुआ तथा पीड़ितों को कितना मुआवजा/अनुग्रह राशि दी गई है;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं की जांच के संबंध में दिये गए आदेश का ब्यौरा क्या है, उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) रेलवे द्वारा भविष्य में रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) अगस्त से अक्तूबर 2007 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर 50* परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 21* व्यक्ति मारे गए हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति को लगभग 6.0 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। उन मामलों में, जहां स्वीकार्य था, अनुग्रह राशि के रूप में लगभग 1.16 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। बहरहाल, मुआवजा, दावा अधिकरणों में दावा फाइल किए जाने और उनके द्वारा अधिनिर्णय दिए जाने के पश्चात देय होता है।

इन 50* दुर्घटनाओं में से 3 मामलों की संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है, और शेष 47 मामलों में विभागीय जांच समितियों का गठन किया गया है। अभी तक अंतिम रूप दी जा चुकी जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत यथावश्यक कार्रवाई की जा रही है जिसमें दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। दुर्घटनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए सतत आधार पर सभी संभव कदम उठाए जाते हैं। इन कदमों में गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल प्रणाली एवं अंतर्पाशन प्रणाली के उन्नयन एवं अनुरक्षण हेतु उपयुक्त तकनीकों का अपनाना, संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों पर निगरानी रखने एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संरक्षा अभियान एवं निरीक्षण शामिल हैं। परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में अधोगामी रूझान है जो 2000-01 में 473 से घटकर 2005-06 में 234 और 2006-07 में 195 हो गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल 2007 से दिसंबर 2007 तक परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 121 थी जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह संख्या 128 थी।

*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी संख्या	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत	
							मृत	घायल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा-गुडूर	5228 एक्सप्रेस	अगली ट्रॉली से अगला एस.एल.आर. पटरी से उतर गए		
2.	04-08-07	विविध	उत्तर पश्चिम	चित्तौड़गढ़-अजमेर	2595 एक्सप्रेस	पी.डब्ल्यू.आई. पशु ट्रॉली ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	3
3.	05-08-07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्व	कटवा-वर्धमान	288 पैसेंजर	एक लदे हुए ट्रक ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	18
4.	05-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर	मलानी-गोंडा	194 पैसेंजर	गाड़ी इंजन और अगला एस.एल.आर. सभी पहियों से पटरी से उतर गया		
5.	06-08-07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	पठानकोट-अमृतसर	10 पैसेंजर	एक जीप ने गाड़ी से टक्कर मारी	3	6
6.	07-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	कानपुर-टूंडला	2308 एक्सप्रेस	मल्टी डीजल लोको, एक जी.एस. एंड एक एस.एल.आर. पलट गए और दो सवारी डिब्बे एक ट्राली पटरी से उतर गए।		31
7.	08-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तटीय	तालचेर-सांबलपुर	8452 एक्सप्रेस	पांच सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए		
8.	13-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	नांगल डैम-सरहिंद	2 यूएनस पैसेंजर	अगला मोटर कोच पिछली ट्रॉली से पटरी से उतर गया		

9.	16-08-07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	डिंडीगुल-तिरूचिरापल्ली	आर.जे.एस.सी. गुड्स	एक लॉरी ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	
10.	20-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	बुंडामुंडा-हटिया	बी.सी.एन./टी.ओ.पी. एस.वाई. गुड्स	6 बी.सी.एन. पटरी से उतर गए और पलट गए		
11.	21-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व मध्य	दुर्ग-गोंडिया	बी.सी.एन./जी.वी.जी. गुड्स	दो मालडिब्बे पटरी से उतर गए और दो मालडिब्बे पलट गए		
12.	25-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	इगतपुरी-कल्याण	टी.आर./ओ.टी.ई. गुड्स	9 मालडिब्बे पटरी से उतर गए		
13.	27-08-07	विविध	उत्तर	दिल्ली-भटिंडा	2137 एक्सप्रेस	कंटेनर से भरा एक रोड टेलर ऊपरी सड़क पुल से गिर गया		5
14.	31-08-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तटीय	कोरापुट-किरंदूल	के.एन.बी.एल./40-एच.पी.-7 गुड्स	9 बी.ओ.वाई. भार पटरी से उतर गए		
15.	01-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वत्तर सीमा	माल्दा टाउन-बरसोई	के.एन.ई. गुड्स	16 मालडिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए		
16.	03-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम	रतलाम-चित्तौड़गढ	एल.एच.एम. गुड्स	13 बोक्सन पलट गए और 2 बोक्सन पटरी से उतर गए		
17.	04-09-07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पश्चिम	बेल्लारी जं.-रायदुर्ग	251 पैसेंजर	एक लॉरी ने गाड़ी से टक्कर मारी	3	1
18.	06-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम	गांधीधाम-सामख्याली जं.	9032 एक्सप्रेस	एक सवारी डिब्बा दो पहियों से पटरी से उतर गया		
19.	10-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	लालगढ-फलौडी	4702 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन के अगले तीन पहिये पटरी से उतर गए।		
20.	11-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	कोरापुट-किरंदूल	वी.जेड.पी./2/32 गुड्स	एक मालडिब्बा पटरी से उतर गया और एक माल-डिब्बा पलट गया।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	11-09-07	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	ढासा-जेतलसर	302 पैसेंजर	एक मारुति कार ने गाड़ी से टक्कर मारी।	2	4
22.	15-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	सादूलपुर-हिसार	2 एच.एस. पैसेंजर	एक मालडिब्बा पटरी से उतर गया।		
23.	16-09-07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पश्चिम	मैसूर-हसन	268 पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी से टक्कर मारी।	1	1
24.	16-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर	छपरा-गोरखपुर	एन.जी.सी. गुड्स	8 बी.सी.एन. पटरी से उतर गए और 4 मालडिब्बे पलट गए।		
25.	18-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	बास्को-डि-गामा लॉडा	पी-64 गुड्स	एक मालडिब्बा पटरी से उतर गया		
26.	19-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा	डिब्रूगढ टाउन - न्यू तिनसुकिया-लीडो	एन.टी.के.एस. गुड्स	गाड़ी इंजन और 6 बी.सी.एन. पटरी से उतर गए		
27.	22-09-07	चौकीदार वाला समपार	उत्तर पश्चिम	जयपुर-बांदीकुई	2987 एक्सप्रेस	एक ट्रेक्टर ट्रॉली ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	
28.	23-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	लोंडा-वास्को-डिगामा	जी.आर.आर.-39 गुड्स	एक बोक्सन पटरी से उतर गया		
29.	24-09-07	आग लगना	पश्चिम	बड़ोदरा-भरुच	9038 एक्सप्रेस	पांच सवारी डिब्बों में आग लग गई, अप और डाउन शिरोपरि उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गए		
30.	24-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	लखनऊ-सुल्तानपुर वाराणसी	2332 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया		
31.	28-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	गाजियाबाद-टूंडला	ए.डी.-4	एक मोटर कोच पटरी से उतर गया		

32.	29-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	बेल्लारी-होजपेट	ई.आर.-450 गुड्स	3 मालडिब्बे पटरी से उतर गए		
33.	30-09-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व मध्य	गया-पटना	572 एम.ई.एम.यू.	एक सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया		
34.	03-10-07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	दिंडीगुल-कारूर	6340 एक्सप्रेस	एक मेटाडोर बैन ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	2
35.	03-10-07	चौकीदार वाला समपार	उत्तर	राजपुरा-धुरी	4711 एक्सप्रेस	एक ट्रक ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	3
36.	06-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	लखनऊ-रायबरेली	4258 एक्सप्रेस	13 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए		
37.	12-10-07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्वोत्तर	मऊ-वाराणसी	4005 एक्सप्रेस	एक वैन ने गाड़ी से टक्कर मारी	3	2
38.	13-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	बीकानेर-सूरतगढ़	बोक्सन गुड्स	35 बोक्सन पटरी से उतर गए		
39.	13-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू बोंगईगांव-न्यू कूचबिहार	जे.एन.के. गुड्स	16 मालडिब्बे पटरी से उतर गए		
40.	15-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	मणिकपुर-बांदा	बी.ए.डी. गुड्स	3 मालडिब्बे पटरी से उतर गए		
41.	17-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	बाराबंकी-फैजाबाद	वी.एस.के.पी.-एफ.डी. गुड्स	13 मालडिब्बे पटरी से उतर गए		
42.	17-10-07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पूर्व मध्य	नागपुर-रामटेक	1 आर.एन. पैसेंजर	एक ट्रक ने गाड़ी से टक्कर मारी	2	
43.	17-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	चांदिल-अनारा	बी.सी.एक्स.स्पेशल बी.पी.सी. गुड्स	एक बी.सी.एक्स. पटरी से उतर गया		.
44.	18-10-07	आग लगना	उत्तर मध्य	कानपुर-इलाहाबाद	2560 एक्सप्रेस	पिछले एस.एल.आर. में आग लग गई		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	18-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	पुणे-लोणावला	एल-4 सुंदरबन पैसेंजर	एक मोटर कोच पटरी से उतर गया		
46.	19-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	लोंडा-वास्को-डि गामा	आर.एन.जे.पी.-एस.वी.डब्ल्यू. गुड्स	5 मालडिब्बे पटरी से उतर गए		
47.	20-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	मूरी-चांदिल	ई/डी.जेड.के./ई.एस. गुड्स	3 मालडिब्बे पटरी से उतर गए		
48.	22-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व मध्य	गड़वा रोड-चोपाल	टैंक एम.टी. गुड्स	2 मालडिब्बे पटरी से उतर गए 6 मालडिब्बे पलट गए		
49.	24-10-07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम मध्य	मकसी-गुना	4309 एक्सप्रेस	10 सवारीडिब्बे सभी पहियों से पटरी से उतर गए		
50.	31-10-07	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम मध्य	कोटा-चितौड़गढ	जे.एच.एस. गुड्स	एक ट्रेक्टर ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	1
				जोड़			21	77

क्र. सं.	दुर्घटना की तारीख	क्षति की लागत	अनुग्रह राशि/ मुआवजा	दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारण	जांच की किस्म	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	की गई अ. एवं अ. कार्रवाई
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	01-08-07			रेलपथ पर गिट्टी	विभागीय	उतराई के समय रेलपथ पर अतिरिक्त गिट्टी	(i) जे.ई./रेलपथ एवं (ii) गैंगमेट	(i) एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है। (ii) 2007 में एक सेट पास एवं पी.टी.ओ. रोका गया है
2.	04-08-07	40000		रेल कर्मचारी की चूक	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एस.एस.ई./रेलपथ, ड्राइवर एवं ट्रॉलीमैन	कार्रवाई चल रही है
3.	05-08-07	105000	46000	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	रेल संरक्षा आयुक्त	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
4.	05-08-07	5000		ढीला आमान	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	जे.ई./रेलपथ एवं एस.एस.ई./रेलपथ	कार्रवाई चल रही है
5.	06-08-07	500		सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
6.	07-08-07	4300000	64500	रेल कर्मचारी की चूक	रेल संरक्षा आयुक्त	प्रतीक्षारत	–	–
7.	08-08-07	1000000		पटरी की टूटफूट	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	संबलपुर मंडल का इंजीनियरी विभाग	कार्रवाई चल रही है
8.	13-08-07	410000		भारी वर्षा के कारण तटबंध बह गया	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एस.ई./रेलपथ, गैंगमेट, गश्तकर्मी	कार्रवाई चल रही है
9.	16-08-07	592588		सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं

1	2	10	11	12	13	14	15	16
10.	20-08-07	8580000		4 डिगरी वक्र की बाहरी दिशा में पहिया का गिरना और गहरे पटरी जलने के वाक्या	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	लोको पायलट और सहायक लोको पायलट	कार्रवाई चल रही है
11.	21-08-07	2050000		पटरी की टूटफूट	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	इंजीनियरी विभाग के कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
12.	25-08-07	50000		रेलपथ और मालडिब्बे की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	इंजीनियरी एवं यांत्रिक कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
13.	27-08-07	225000		रेल कर्मचारी से इतर व्यक्ति की चूक	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	–	–
14.	31-08-07	6440821		ढीला आमान	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एस.ई./रेलपथ	कार्रवाई चल रही है
15.	01-09-07	7954550		पटरी की टूटफूट	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
16.	03-09-07	4500000		अधिक लदान	विभागीय	रेल कर्मचारी से इतर व्यक्ति की चूक	निजी ठेकेदार (मैसर्स विरमानी सीमेंट प्रा.लि.	लागू नहीं
17.	04-09-07			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
18.	06-09-07	240000		रेलपथ का धंसना और निर्मुक्त पटरियों का फंसना	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एस.एस.ई./रेलपथ	कार्रवाई चल रही है
19.	10-09-07	17750		वेल्ड की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एस.एस.ई./रेलपथ एवं लोको पायलट	कार्रवाई चल रही है
20.	11-09-07	1614252		विषम लदान	विभागीय	रेल कर्मचारी से इतर व्यक्ति की चूक	निजी ठेकेदार (मैसर्स बगाड़िया ब्रदर्स प्रा. लि.	लागू नहीं

21.	11-09-07			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
22.	15-09-07	190650		मालडिब्बे और रेलपथ की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	जे.ई./रेलपथ एवं वरिष्ठ तकनीशियन (सी एंड डब्ल्यू)	कार्रवाई चल रही है
23.	16-09-07			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
24.	16-09-07	1908201		ड्राइवर की गलती	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	1. लोको पायलट, 2. सहायक लोको पायलट, 3. गार्ड	लोको पायलट-सेवा से हटा दिया गया है, बाकी कार्रवाई चल रह है
25.	18-09-07			खाली मालडिब्बे के पिछले ट्रॉली पहिये का उठना	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
26.	19-09-07	650020		एन.टी.के.एस. गुड्स का डिप लॉरियों के साथ टकराना	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
27.	22-09-07		6000	ड्यूटी पर मौजूद सहायक स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
28.	23-09-07			कांटा सं. 4-ए के क्रॉसिंग हिस्से पर	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
29.	24-09-07	4698700		छानबीन की जा रही है	रेल संरक्षा आयुक्त	प्रतीक्षारत	–	–
30.	24-09-07			रेलपथ पर पेड़ का गिरना	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–

1	2	10	11	12	13	14	15	16
31.	28-09-07	102000		गाड़ी के चालन के दौरान ऊपरी हैंगर पिन का टूटना	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	ई.एम.यू. कार शेड कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
32.	29-09-07			एक मालडिब्बे की पिछली ट्रॉली की पुश रॉड टूट गई और दूसरे मालडिब्बे की पिछली ट्रॉली के साथ उलझ गई	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
33.	30-09-07			रेलपथ की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	जे.ई./रेलपथ	कार्रवाई चल रही है
34.	03-10-07	18644		सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
35.	03-10-07	57000		चौकीदार ने स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना फाटक खोल दिया	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	चौकीदार	कार्रवाई चल रही है
36.	06-10-07			फिश प्लेट की टूटफूट	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
37.	12-10-07			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
38.	13-10-07			छानबीन की जा रही है	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
39.	13-10-07	4186535		गर्म धुरा	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
40.	15-10-07	895000		एक मालडिब्बे की शैकल पिन का टूटना	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
41.	17-10-07			मालडिब्बा नं. एस.ई. 37457 की पिछली ट्रॉली का टूटा हुआ जॉ	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–

42.	17-10-07	203623		सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
43.	17-10-07	990000		गर्म धुरा	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	कारखाना कर्मचारी/ दक्षिण रेलवे	कार्रवाई चल रही है
44.	18-10-07	635000		छानबीन की जा रही है	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
45.	18-10-07	20000		मवेशी कुचला जाना	विभागीय	मवेशी कुचले जाने के कारण बाधा	–	–
46.	19-10-07			कांटा नं. 4-ए की क्रॉसिंग पर गाड़ी इंजन से चौथे माल-डिब्बे ने दो रास्ते ग्रहण कर लिये	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
47.	20-10-07	815000		200 में 1 की ढाल और 2.5 डिग्री के वक्र पर अधिक गति। अस्वीकार्य अधितूगता और वरसाइन का विचलन	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	जे.ई./सी एंड डब्ल्यू	कार्रवाई चल रही है
48.	22-10-07	3129000		अधिक गति और रेल-पथ की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सी एंड डब्ल्यू एवं रेलपथ निरीक्षक के कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
49.	24-10-07	3460000		पटरी की टूटफूट	विभागीय	प्रतीक्षारत	–	–
50.	31-10-07			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
जोड़		60084834	116500					

ओ.बी.सी. के आर्थिक पिछड़ेपन संबंधी समिति

17. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री भाई लाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) समुदायों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने और पारम्परिक व्यवसाय/शिल्पकला पर आश्रित लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे तथा सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं। तथापि भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और अन्यों से परामर्श करने तथा रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया है ताकि विद्यमान आरक्षण नीति में कवर न होने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को कार्यरूप दिया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में नूतन दीप योजना

18. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में नूतन दीप योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नूतन दीप योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(घ) उक्त योजना को लागू करने के लिए किन-किन जिलों की पहचान की गई है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत जिलों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा विमानपत्तन

19. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से कोटा विमानपत्तन के शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) राजस्थान राज्य सरकार ने ए-321/बी-737-800 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की प्रस्थापना का प्रस्ताव किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर 4 कि.मी.x1 कि.मी. (लगभग) स्थल की पहचान की है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार के समक्ष अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता की प्रत्याशा की है। राज्य सरकार का प्रति उत्तर प्राप्त होने के बाद आगे कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

[अनुवाद]

सेल और मैसर्स आर्सेलर मित्तल के बीच सहयोग

20. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने तकनीकी, अनुसंधान और विकास तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग हेतु मैसर्स आर्सेलर मित्तल के साथ सहयोग करने की पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) आर्सेलर मित्तल के साथ टाई-अप करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, भारत में इस्पात क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कच्चे माल की पहुंच, आधुनिक प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धित उत्पादों का विपणन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, तकनीकी विकास और अनुसंधान एवं विकास सहित चुनिंदा क्षेत्रों में विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनियों के साथ नीतिपरक टाई-अप करने की संभावनाओं के लिए सेल के विकल्प खुले हैं।

कोचीन-हाई में उत्खनन और ड्रिलिंग

21. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन-हाई में कोई ड्रिलिंग कार्य चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोचीन-हाई में ड्रिलिंग की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) पी.एस.सी. व्यवस्था के तहत केरल-कोंकण बेसिन अपतट क्षेत्र में 17 अन्वेषणात्मक ब्लाक अवार्ड किए गए हैं। अभी तक 2 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया है। दोनों कूप सूखे पाए गए हैं।

वर्तमान में, पी.एस.सी. व्यवस्था के तहत केरल-कोंकण बेसिन में अवार्ड किए गए ब्लाकों में कोई अन्वेषणात्मक वेधन क्रियाकलाप नहीं हो रहे हैं।

केरल में उपनगरीय रेलगाड़ियां शुरू किया जाना

22. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने केरल में उपनगरीय रेलगाड़ियां शुरू करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक बहुल जिले

23. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता देने हेतु कुल 90 जिलों को प्राथमिकता अल्पसंख्यक बहुल जिलों के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की पर्याप्त जनसंख्या रहती है एक भी जिले को प्राथमिकता अल्पसंख्यक बहुत केन्द्र के रूप में घोषित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (घ) 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान, वर्ष 2001 की जनगणना, और साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, कार्य भागीदारी दर, महिला कार्य भागीदारी दर तथा पक्की दीवारों वाले घरों, सुरक्षित पेय जल, बिजली एवं जल वाहित शौचालयों जैसे पिछड़ेपन के मानदंडों और उस जिले में अल्पसंख्यक जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर की गई है। आंध्र प्रदेश का कोई भी जिला, सामाजिक-आर्थिक तथा राष्ट्रीय औसतों की तुलना में, मूल सुविधाओं के मानदंडों के अर्थों में पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या तथा संबद्ध पिछड़ेपन के दोनों मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में वृद्धि

24. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग तथा तेलशोधक कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर आगामी वर्षों में कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए इसके आयात पर और अधिक निर्भर रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो आगामी 5 वर्षों के दौरान अनुमानतः कितने प्रतिशत की निर्भरता होगी; और

(ग) वर्तमान निर्भरता की प्रतिशतता की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) आयातित कच्चे तेल पर तेल शोधक कंपनियों की निर्भरता वर्तमान में (2006-07) 78.7% से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष (2011-12) में 86.9% तक होने का अनुमान है। ऐसा माना गया है कि इस अवधि में रिफाइनरियों द्वारा घरेलू कच्चे तेल संसाधन के 30.16 एम.एम.टी. के वर्तमान स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बेरोजगार विकलांग युवाओं को प्रशिक्षण

25. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बेरोजगार विकलांग युवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए बेरोजगार विकलांग युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितने बेरोजगार विकलांग युवा लाभान्वित हुए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) एन.एस.एस.ओ., के 2002 के सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 1.2% विकलांग व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 0.6% विकलांग व्यक्ति बेरोजगार है। इस प्रकार कुल 1.65 लाख विकलांग व्यक्ति बेरोजगार है। राज्य/संघ राज्य वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयां लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना पिछले साल आरम्भ की गई थी और कर्नाटक तथा राजस्थान में क्रमशः 60 विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 1.22 लाख रु. और 40 विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ 1.71 लाख रु. की राशि जारी की गई। योजना के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है और निधि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा अनुमानित मांग के अनुसार प्रदान की गई है।

वैष्णों देवी तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं

26. **श्री रामदास आठवले:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार वैष्णों देवी तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई व्यय वहन करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान कितने तीर्थयात्री लाभान्वित हुए;

(घ) आज की तिथि तक सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों को प्रदान की गई सुविधाओं तथा इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तीर्थयात्रियों को और सुविधाएं प्रदान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (च) धार्मिक स्थलों सहित, पर्यटक रूचि/स्थलों की पहचान करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद और विनिर्दिष्ट वर्ष के दौरान संबंधित शीर्ष के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान करता है। वर्ष 2003-04 के दौरान, कटरा में निकास के निर्माण/सुधार के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 125.00 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की थी।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने श्री माता वैष्णों देवी तीर्थ मंदिर बोर्ड की स्थापना की है। यह बोर्ड मंदिर के मार्ग और रेलिंग के निर्माण, आवास, मार्गस्थ सुविधाओं, शौचालयों, स्वच्छता, खान-पान के स्थलों, आदि के लिए विकासात्मक कार्य करता है।

पिछले तीन वर्षों में वैष्णों देवी की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	पर्यटक आगमन
2004	6109895
2005	6251998
2006	6950573
2007 (अगस्त तक)	4700080

[अनुवाद]

बी.आर.पी.एस.ई. के अंतर्गत सरकारी उद्यम

27. डा. एम. जगन्नाथ: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कितने रूग्ण उद्यमों को लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) के पास भेजा गया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के कितने रूग्ण उद्यमों के संबंध में बी.आर.पी.एस.ई. ने पुनरूद्धार एवं पुनर्वास पैकेज की सिफारिश की है; और

(ग) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कितने रूग्ण उद्यमों का पुनर्गठन एवं पुनर्वास किया गया है और उन्हें फिर से चालू किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) 31 मार्च, 2007 तक, 56 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ईज) के प्रस्ताव सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) के पास विचार हेतु भेजे गए हैं।

(ख) 30 सितम्बर, 2007 तक सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने 44 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार की सिफारिश की है। इसके अलावा, सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एफ.सी.आई.एल.) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एच.एफ.सी.एल.) के एककों को बन्द करने संबंधी अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बदलने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान कर दिया है ताकि उनके पुनरूद्धार के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके।

(ग) सरकार ने 30 जून, 2007 तक 26 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन को अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा, सरकार ने एफ.सी.आई.एल. तथा एच.एफ.सी.एल. के पुनरूद्धार की संभावना की जांच करने का भी 'सैद्धांतिक रूप से' निर्णय लिया है बशर्ते कि गैस की उपलब्धता की पुष्टि हो।

[हिन्दी]

आई.एस.ओ. 9000 तथा आई.एस.ओ. 14000 प्रमाण-पत्र वाले रेलवे स्टेशन

28. श्री सुभाष महरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने रेलवे स्टेशनों को आई.एस.ओ. 9000 तथा आई.एस.ओ. 14000 प्रमाण-पत्र प्राप्त है;

(ख) इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के जयपुर, कोटा तथा अन्य रेलवे स्टेशनों को इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाषाण युगीन चित्रकला

29. श्री एल. राजगोपाल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल तथा अनंतपुर जिलों में पाषाण युग के कई चित्र पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चित्रों के उचित रख-रखाव तथा संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के जिला कुरनूल में अडोंनी, बोल्लाराम, कलुवाबुग्गा, केथावरम, लांजाबांडा और जिला अनंतपुर में बुड्डागवी, एनुगुगावी, मुराहांडा, नल्लामाडा, तेनागल और वेलपुमाडुगु जैसे स्थानों में प्रस्तर युग के अनेक चित्र पाए गए हैं। इन स्थलों में से केवल केथावरम आंध्र प्रदेश सरकार के संरक्षण में है।

स्वयं सेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों में आरक्षण नीति

30. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय से अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किसी परियोजना में लोगों को नियोजित करते समय अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के मानदण्ड का पालन नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियोजित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या अनन्य रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन इस संबंध में मंत्रालय को ब्यौरे नहीं प्रस्तुत करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) सामान्य वित्तीय नियम 2005 में उन गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सेवी संगठनों के अंतर्गत पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है जो सहायता अनुदान की संस्वीकृति के रूप में निम्नलिखित मानदंड पूरे करते हैं:

(i) संगठन 20 से अधिक व्यक्तियों को नियमित आधार पर नियोजित करता है और इसके आवर्ती व्यय का कम से कम 50% केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है और

(ii) यह निकाय पंजीकृत समिति है अथवा एक सहकारी संस्था है तथा इसे भारत की समेकित निधि से 20 लाख रुपए और अधिक के सामान्य प्रयोजन वार्षिक सहायता अनुदान की प्राप्ति होती है।

सामान्य वित्तीय नियमों के उपर्युक्त प्रावधानों को शर्तों में समाविष्ट किया गया है जिनके अंतर्गत, जहां भी लागू हो, गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जाता है।

इस मंत्रालय से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपनी परियोजनाओं को जारी रखने के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक गैर सरकारी संगठनों को अपने संगठन में अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के रोजगार के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन

31. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इन्हें लगाने के लिए निजी कंपनियों को विज्ञापन स्थान देकर उनके द्वारा कार्य कराए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां, शुरुआत में, मुंबई क्षेत्र के लिए 300 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों (ए.टी.वी.एम.) को स्वीकृति दी गई थी। बाद में, अन्य रेलों के लिए 450 और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों को स्वीकृति दी गई। अब तक मुंबई क्षेत्र में 117 ए.टी.वी.एम. ने कार्य करना शुरू कर दिया है तथा 33 और ऐसी मशीनें शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा, 5594 और ए.टी.वी.एम. को सभी "ए", "बी", "सी" और "डी" श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर लगाने के कार्य को 2007-08 के वार्षिक बजट में शामिल किया गया है।

एक ए.टी.वी.एम. उपकरण की औसत लागत लगभग 1.50 लाख रु. है।

(ग) और (घ) जी हां। उपयुक्त भागीदार उपलब्ध होने पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए 5594 ए.टी.वी.एम. लगाने का प्रस्ताव है।

(ङ) मार्च, 2009 तक चरणबद्ध तरीके से ए.टी.वी.एम. लगाए जाने की संभावना है।

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

32. **श्री जी.एम. सिद्‌दीश्वर: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित देश में कुल कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कोई नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिए प्राप्त/स्वीकृति/अस्वीकृत एवं लंबित आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। वैसे, गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या कर्नाटक सहित निम्नानुसार है:-

वर्ष	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संख्या
2004-05	1139
2005-06	704
2006-07	644

(ख) और (ग) सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वर्ष 2007-08 (14-11-2007 तक) के दौरान 53.62 करोड़ रु. का अनुदान जारी करना अनुमोदित किया है।

(घ) पिछले 3 सालों के दौरान प्राप्त/अनुमोदित/लम्बित/अस्वीकृत परियोजना आवेदनों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले 3 सालों के दौरान प्राप्त/अनुमोदित/लम्बित/अस्वीकृत परियोजना आवेदनों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	प्राप्त	अनुमोदित	लम्बित	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू-कश्मीर	39	13	22	1
2.	हिमाचल प्रदेश	50	23	18	0
3.	पंजाब	74	68	21	5
4.	चंडीगढ	3	1	1	1

1	2	3	4	5	6
5.	उत्तराखण्ड	61	30	30	1
6.	हरियाणा	87	49	23	6
7.	दिल्ली	80	48	17	5
8.	राजस्थान	123	48	52	19
9.	उत्तर प्रदेश	174	124	58	16
10.	बिहार	37	10	15	3
11.	सिक्किम	3	2	1	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	6	1	6	0
13.	नागालैंड	32	3	21	3
14.	मणिपुर	14	4	7	1
15.	मिजोरम	6	0	3	1
16.	त्रिपुरा	3	2	0	0
17.	मेघालय	6	4	1	0
18.	असम	63	32	28	4
19.	पश्चिम बंगाल	150	89	50	10
20.	झारखण्ड	34	16	14	2
21.	उड़ीसा	61	32	13	8
22.	छत्तीसगढ़	23	13	8	0
23.	मध्य प्रदेश	102	50	46	8
24.	गुजरात	116	46	50	7
25.	दमन और दीव	1	0	1	0
26.	महाराष्ट्र	390	204	163	22
27.	आंध्र प्रदेश	239	104	102	25
28.	कर्नाटक	163	76	75	9
29.	गोवा	10	5	5	2

1	2	3	4	5	6
30.	लक्षद्वीप	1	0	1	0
31.	केरल	104	69	32	2
32.	तमिलनाडु	228	127	79	24
33.	पाण्डिचेरी	1	5	0	0
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	3
	अखिल भारत	2487	1298	963	188

[हिन्दी]

रेलवे कालोनियों के लिए निधि

33. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कालोनियों विशेषकर उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य रेलवे की रेलवे कालोनियों में नए निर्माण, रख-रखाव तथा विकास के लिए निधियां स्वीकृत/जारी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन कालोनियों में शॉपिंग काम्प्लेक्स आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक आरंभ होने तथा पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। नए रेलवे क्वाटरों के निर्माण के लिए धनराशि की स्वीकृति योजना शीर्ष 51 के तहत की जाती है तथा रेलवे क्वाटरों की देखभाल/सुधार/विकास के लिए धनराशि की व्यवस्था योजना शीर्ष 52 के अंतर्गत की जाती है। वर्ष 2007-08 के लिए योजना शीर्ष 51 और योजना शीर्ष 52 के तहत रेलवेवार स्वीकृत धनराशि का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2007-08 के लिए योजना शीर्ष 51 और योजना शीर्ष 52 के तहत रेलवे वार स्वीकृत धनराशि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

आंकड़े हजार रु. में

रेलवे/उत्पादन इकाई	योजना शीर्ष 51 के तहत स्वीकृत धनराशि	योजना शीर्ष 52 के तहत स्वीकृत धनराशि
1	2	3
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	5000	4572
मध्य	105864	80157

1	2	3
डीजल रेल इंजन कारखाना	00	28535
पूर्व तट	154056	145631
पूर्व मध्य	147782	140914
पूर्व	58419	197291
सवारी डिब्बा कारखाना	17451	44578
उत्तर	67500	103000
उत्तर मध्य	43617	28600
पूर्वोत्तर	21600	52000
पूर्वोत्तर सीमा	194853	320091
उत्तर पश्चिम	90062	208033
रेल डिब्बा कारखाना	10320	44265
रेल पहिया कारखाना	9000	00
दक्षिण मध्य	215837	124833
दक्षिण पूर्व	15500	72000
दक्षिण पूर्व मध्य	138828	154094
दक्षिण	77000	102460
दक्षिण पश्चिम	92669	129446
पश्चिम मध्य	16642	23500
पश्चिम	123000	56000
जोड़	1605000	2060000

[अनुवाद]

छठा प्राकृतिक गैस सम्मेलन

34. **श्री अधीर चौधरी:**

श्री उदय सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दोहा में छठा प्राकृतिक गैस सम्मेलन आयोजित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) प्राकृतिक गैस पर छठा

दोहा सम्मेलन 29 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2007 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया वे थे - प्राकृतिक गैस की विश्वव्यापी मांग और आपूर्ति, प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) उद्योग की गतिशीलता, प्राकृतिक गैस का मौद्रिकरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा रक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों, गैस का तरलीकरण, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, एल.एन.जी. प्रेषण आदि। सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर, तेल और गैस उद्योग के सदस्यों के बीच संबंध सुदृढ़ किए गए ताकि और सहयोग और सहक्रिया की जा सके।

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन पर हुआ खर्च

35. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है;

(ख) क्या ईरान ने प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राकृतिक गैस के मूल्य में संशोधन का प्रावधान करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पाइपलाइन का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है तथा परियोजना के पूरे होने की तिथि का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार, ईरान और पाकिस्तान में पाइपलाइन की लंबाई का निर्माण संबंधित देशों द्वारा किया जाएगा। पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस के मार्ग के लिए भारत को पारगमन शुल्क के अलावा, परिवहन शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन परियोजना पर भारत की ओर से खर्च परामर्शी व्यय होगा जो कानूनी, वित्तीय और तकनीकी मामलों और साथ ही भारत की सीमा में पाइपलाइन के निर्माण से संबंधित होगा।

(ख) और (ग) मई 29-30, 2007 के दौरान तेहरान में भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच हुई पांचवीं त्रिपक्षीय संयुत कार्यदल की बैठक के दौरान, ईरान ने मूल्य संशोधन खण्ड जोड़ने की मांग की थी। इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच और आगे विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस विषय पर सामान्य स्थिति तैयार की जा सके। यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी त्रिपक्षीय बैठक के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाए।

(घ) ऐसी बहुपक्षीय परियोजनाओं की दीर्घकालिक चर्चाओं में, जैसा कि सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और साथ ही परियोजना के सफल संचालन में किन्हीं भावी समस्याओं को रोकने के लिए हर देश के हितों की रक्षा के लिए भागीदार देशों की संतुष्टि के अनुसार विचार विमर्श किया जाता है।

[हिन्दी]

माल ढुलाई गलियारा परियोजना के लिए चीन के साथ समझौता

36. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रेल माल ढुलाई गलियारा परियोजना के निर्माण के संबंध में चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने/समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान यात्रा किराया

37. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में भारत में विमान यात्रा किराया औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य तथा कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस किराये को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बराबर लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं, अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर किराए को प्रथमतः में अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) टैरिफ सम्मेलन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, मांग और आपूर्ति, मौसमीयता इत्यादि जैसे मार्केट घटकों के कारण, मार्केट में बताए गए किराए आयटा किराए की तुलना में कम होते हैं। मार्केट आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में मार्केट किरायों में बार-बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सी कम लागत कैरियरों के आने के कारण, उचित घरेलू विमान किराये उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों सेक्टरों में विमान यात्रा किराए को विनियमित नहीं करती है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों से वेंडरों को हटाया जाना

38. श्री संतोष गंगवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों से स्थानीय वेंडरों को हटाया जा रहा है तथा भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) को ठेका दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अपनी आजीविका का स्रोत खो देने वाले वेंडरों के लिए रेलवे क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है; और

(घ) कुछ स्थानों पर हड़ताल करने वाले स्थानीय वेंडरों के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) भारत सरकार ने 1999 में भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.), भारतीय रेलवे की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को भारतीय रेलवे की खानपान सेवाओं को सौंपने का विनिश्चय किया था। यथा अधिदेशाधीन, आई.आर.सी.टी.सी. प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए निविदा प्रणाली के अंतर्गत प्रमुख स्टेशनों पर खानपान ठेके प्रदान कर रहा है। मौजूदा नीति के अनुसार, वर्तमान लाइसेंसधारी की निविदा प्रणाली में भाग लेने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन कार्य की धीमी गति

39. श्री एस. अजय कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आमान परिवर्तन परियोजनाएं पूरे देश में धीमी गति से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काफी समय पूर्व शुरू हुए पालधार/पोलाची तथा मदुरै-कोल्लाम मार्ग के आमान परिवर्तन का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आमान परिवर्तन कार्य किए जा रहे हैं और 11वीं योजना अवधि के दौरान ज्यादातर मीटर आमान लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) डिंडीगुल-पोल्लाची-पालघाट आमान परिवर्तन का कार्य पिछले वर्ष अर्थात् 2006-07 में ही शामिल किया गय था। मदुरै से कोल्लम (क्योलोन) (267 कि.मी.) खंड पर मदुरै और विरुधनगर (43 कि.मी.) के बीच एक बड़ी आमान लाइन पहले ही मौजूद है और विरुधनगर-कोल्लम (क्योलोन) (224 कि.मी.) का आमान परिवर्तन का कार्य बजट 1997-98 में शामिल क्योलोन-तिरुनवेली-तिरुचेंदूर एवं तेनकासी-विरुधनगर आमान परिवर्तन (357 कि.मी.) परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। 224 कि.मी. में से तेनकासी के रास्ते विरुधनगर से सेनगोट्टाई तक 130 कि.मी. खंड का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और कोल्लम (क्योलोन) से पुनालूर (46 कि.मी.) को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। पुनालूर से सेनगोट्टाई (48 कि.मी.) एक घाट खंड है, जिसके लिए मौजूदा मीटर आमान संरेखण और बड़ी लाइन परिचालनों के लिए सुरंगों को उपयोग करने की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है ताकि वनभूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण न करना पड़े।

[हिन्दी]

रुपए का मूल्य बढ़ने के कारण तेल कंपनियों को हुआ लाभ

40. डा. चिन्ता मोहन:

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल के व्यापार में लगी सरकारी क्षेत्र की कई तेल कंपनियों को रुपए का मूल्य बढ़ने का कारण अतिरिक्त लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) रुपए का मूल्य बढ़ने के कारण सितम्बर, 2007 से प्रत्येक तेल कंपनी को कंपनी-वार पृथक-पृथक कितना अतिरिक्त लाभ हुआ; और

(घ) रुपए का मूल्य बढ़ने के कारण कंपनियों के कुल लाभ में कितना और लाभ जुड़ा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियां नामत: इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार में लगी हुई हैं। डालर की तुलना में रुपए में तेजी के कारण अप्रैल-सितम्बर, 2007 की अवधि के लिए कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) तथा विनिमय परिवर्तन वृद्धि निम्नवत् है:-

रुपए (करोड़)

	कर पूर्व लाभ	विनिमय परिवर्तन वृद्धि
आई.ओ.सी.	7490	966
बी.पी.सी.	1864	304
एच.पी.सी.	1150	264

[अनुवाद]

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एल.पी.जी. उत्पादन में कटौती

41. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की (आर.आई.एल.) जामनगर तेल शोधन कारखाने को निर्यातोन्मुख इकाई (ई.ओ.यू.) का दर्जा मिलने के बाद रिलायंस द्वारा वर्ष 2008 के मध्य से वहां एल.पी.जी. के उत्पादन में कटौती करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इससे देश में एल.पी.जी. की कितनी कमी होने का अनुमान है तथा देश में घरेलू इस्तेमाल के लिए एल.पी.जी. की उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे समय में जब देश को एल.पी.जी. की कमी का सामना करना पड़ रहा है आर.आई.एल. के तेल शोधन कारखाने को ई.ओ.यू. दर्जा देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) ने सूचित किया है कि जामनगर में उनकी मौजूदा रिफाइनरी को ई.ओ.यू. दर्जा मिलने पर 2008 के मध्य से एल.पी.जी. का उत्पादन घटाकर लगभग 1.6 एम.एम.टी.पी.ए. करने की योजना है। एल.पी.जी. की मांग और इसके घरेलू उत्पादन के बीच कमी वाले अंतर को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा किए जा रहे नियमित आयातों के जरिए पूरा किया जाता है। इसके अलावा जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र के लाइसेंसमुक्त होने से एल.पी.जी. सहित, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मांग पूरी करने के लिए 11वीं योजना के अंत तक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा देश में क्षमता वृद्धि की योजना बनाई जा रही है।

(ग) आर.आई.एल. को भले ही ई.ओ.यू. दर्जा मिल गया है फिर भी एल.पी.जी. का कोई निर्यात भारत सरकार के अनुमोदन से ही किया जाना है।

[हिन्दी]

उड़ानों का रद्द किया जाना

42. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर कार्यरत एक निजी कंपनी के कुप्रबंधन के कारण कई उड़ानें रद्द की गई, उनमें विलंब हुआ तथा वे बाधित हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) नवम्बर, 2006 तथा जनवरी, 2007 के दौरान कितनी उड़ानें रद्द की गई तथा कितनी बार विमानों को उतारा नहीं जा सका;

(घ) क्या संबंधित विमान कंपनियों द्वारा यात्रियों को कोई मुआवजा दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सरकार के ध्यान में नवम्बर, 2006 से जनवरी, 2007 तक दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बदतमीजी की घटना तथा उड़ानें रद्द करने का मामला नहीं आया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों/अवसंरचना हेतु धनराशि की आवश्यकता

43. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों तथा संबंधित अवसंरचना के निर्माण हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विमानपत्तनों तथा विमानपत्तनों पर संबंधित अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की किस प्रकार से इतनी अधिक धनराशि जुटाने की योजना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) हवाईअड्डा अवसंरचना संबंधी नीति 1997 में देश में हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास के लिए अपेक्षित दिशा निर्देशों का प्रावधान किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) परियोजना चलाने वालों को हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के तरीके का निर्णय करने की स्वतंत्रता है। तथापि, केन्द्र सरकार तथा उत्तर पूर्व परिषद उत्तर पूर्व में हवाईअड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

[हिन्दी]

गैर-अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु जनजातियों को सूचीबद्ध करना

44. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों को सूचीबद्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार से अन्य पिछड़ा वर्गों, गैर-अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु जनजातियों की तीसरी सूची तैयार करने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों को भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) और (ग) अनधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के संबंध में, अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जातियों के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने वाले राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

निजी जेट विमानों हेतु विमानपत्तन

45. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में निजी जेट विमानों हेतु विशेष विमानपत्तन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में जेट विमानों की विमानपत्तनों पर अधिभोगिता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ये विशेष विमानपत्तन देश में वर्तमान विमानपत्तनों पर कितनी मात्रा में भीड़-भाड़ कम कर पाएंगे?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

46. श्री रायापति सांबासिवा राव:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

प्रो. एम. रामदास:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण तथा उनकी स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में प्रत्येक विमानपत्तन हेतु इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि आवंटित तथा खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में आधुनिकीकरण हेतु और विमानपत्तनों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण I, II तथा II(क) तथा III में दिया गया है।

(ग) से (ङ) हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे यातायात मांग, एयरलाइन प्रचालकों की मांग, वाणिज्यिक साध्यता आदि के आधार पर चलाया जाता है।

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	हवाईअड्डे की कार्यरत आधुनिकीकरण परियोजनाएं	परियोजना के लिए अनुमोदित राशि	अक्तूबर, 2007 तक परियोजना पर व्यय की गई राशि	की गई प्रगति
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
	तिरूपति			
1.	रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रन, आइसोलेशन बे आदि का पुनसतहीकरण तथा सुदृढ़ीकरण	17.30	12.82	70%

1	2	3	4	5
	वाइजेग			
1.	नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	94.94	26.78	50%
	असम			
	डिब्रूगढ़			
1.	नये एप्रन का निर्माण	19.50		100%
2.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	54.52	20.85	57%
	गुवाहाटी			
1.	360 मीटर तक रनवे का विस्तार, टैक्सी वे लिंक सहित नये एप्रन का निर्माण, निकासी, बाक्स कल्वर्ट तथा पैरीमीटर रोड	45.76	8.44	25%
2.	एयरो ब्रिज का निर्माण			
3.	आइसोलेशन विमान पार्किंग स्टैंड का निर्माण	14.00	3.09	28%
	सिल्चर			
1.	रनवे का विस्तार, भूमि का अधिग्रहण तथा चार दीवारी का निर्माण	33.00	22.55	86%
	बिहार			
	गया			
1.	नये टर्मिनल भवंन का निर्माण	44.52	42.50	100%
2.	एप्रन का विस्तार तथा आइसोलेशन बे का निर्माण	6.70	6.31	100%
	छत्तीसगढ़			
	रायपुर			
1.	नये एप्रन टैक्सी वे का निर्माण	6.03	3.97	92%
	गुजरात			
	अहमदाबाद			
1.	नये आगमन ब्लाक का निर्माण	56.94	27.16	97%
2.	नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	291.00	11.67	10%
3.	नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के लिए नये एप्रन का निर्माण	13.84	5.83	55%

1	2	3	4	5
	वडोदरा			
1.	एप्रन का विस्तार तथा लिंक टैक्सी वे और संबंधित कार्यों का निर्माण	10.00	6.52	100%
	गोवा			
	गोवा			
1.	नये एप्रन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	9.49	2.07	33%
	जम्मू और काश्मीर			
	श्रीनगर			
1.	टर्मिनल भवन कांप्लेक्स का विस्तार तथा आशोधन	101.33	62.03	83%
	झारखंड			
	रांची			
1.	एप्रन का विस्तार तथा आइसोलेशन बे का निर्माण	11.06	0.88	1%
	कर्नाटक			
	मंगलौर			
1.	नये एप्रन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	19.10	3.80	29%
2.	एप्रन सहित नये टर्मिनल भवन का निर्माण	104.00	10.99	10%
	मैसूर			
1.	मैसूर हवाईअड्डे का विकास	69.29	12.83	70%
	(i) पेवमेंट कार्य			
	केरल			
	कालीकट			
1.	इलैक्ट्रिकल पैकेज सहित आई.टी.बी. का विस्तार एवं परिवर्तन	89.48	44.55	99%
2.	रनवे का सुदृढ़िकरण एवं संबंधित कार्य	17.50	1.40	15%
	मध्य प्रदेश			
	खजुराहो			
1.	नये एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	13.47	5.20	70%

1	2	3	4	5
2.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	75.32	2.57	4%
	इंदौर			
1.	रनवे का विस्तार, नये एप्रन का निर्माण, लिंक टैक्सी वे तथा आइसोलेशन बे का निर्माण	74.00	–	हाल ही में कार्य प्रदान किया गया है
	महाराष्ट्र			
	अकोला			
1.	रनवे, एप्रन, टैक्सी वे का सुदृढ़िकरण एवं विस्तार तथा संबंधित कार्य	9.68	6.33	80%
	औरंगाबाद			
1.	नये एप्रन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	7.39	6.04	100%
2.	नये एकीकृत टी.बी. का निर्माण	60.00	9.30	18%
	नागपुर			
1.	अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	83.00	21.51	78%
	पुणे			
1.	नये अंतरराष्ट्रीय आगमन हाल के निर्माण सहित टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आशोधन			
2.	मौजूदा एप्रन तथा टैक्सी ट्रेक का विस्तार तथा सुदृढ़िकरण चरण-I	8.50	6.13	91%
3.	मौजूदा एप्रन तथा टैक्सी ट्रेक का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण चरण-II	7.00	2.82	53%
4.	समानांतर टैक्सी ट्रेक का विस्तार	16.64	4.37	38%
	गोंदिया			
1.	सभी मौसमी परिस्थितियों में एबी-320/बी-737/800 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए हवाईअड्डे का विकास			
	रनवे का निर्माण	40.64	40.20	100%

1	2	3	4	5
	मेघालय			
	बारापानी (शिलांग)			
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण तथा एप्रन का विस्तार	35.00	–	हाल ही में कार्य प्रदान किया गया है
	उड़ीसा			
	भुवनेश्वर			
1.	एप्रन का विस्तार, मौजूदा एप्रन तथा टैक्सी वे का सुदृढ़िकरण, अतिरिक्त टैक्सी वे का निर्माण तथा संबंधित कार्य	13.00	5.77	60%
	पोर्टब्लेयर			
	पोर्टब्लेयर			
1.	एप्रन तथा अतिरिक्त टैक्सी वे का विस्तार	28.00	–	50%
	पंजाब			
	चण्डीगढ़			
1.	नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	47.58	–	1%
	राजस्थान			
	जयपुर			
1.	नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल कांप्लेक्स का निर्माण	94.87	23.25	57%
2.	नये एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	30.32	3.71	36%
	उदयपुर			
1.	नये टर्मिनल भवन कांप्लेक्स का निर्माण	77.44	45.00	85%
2.	एप्रन तथा लिंक टैक्सी वे का निर्माण	14.55	3.60	37%
3.	रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा संबंधित कार्य	44.30	3.25	14%
4.	कंट्रोल टावर तथा तकनीकी ब्लाक का निर्माण	9.38	–	हाल ही में कार्य प्रदान किया गया है

1	2	3	4	5
	त्रिपुरा			
	अगरतला			
1.	एप्रन का विस्तार तथा सुदृढीकरण	18.66	4.05	23%
2.	मौजूदा रनवे का सुदृढिकरण	34.00	–	1%
3.	नये तकनीकी भवन व नियंत्रण टावर का निर्माण	6.00	–	हाल ही में कार्य प्रदान किया गया है
	तमिलनाडु			
	कोयम्बतूर			
1.	रनवे का विस्तार	7.22	8.45	100%
	मदुरई			
1.	रनवे का विस्तार एवं सुदृढिकरण तथा संबंधित कार्य	35.25	23.67	90%
2.	नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण			
	त्रिची			
1.	एप्रन का विस्तार, नये एप्रन व टैक्सी वे का निर्माण	17.71	16.56	90%
2.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	74.70	21.00	68%
3.	रनवे का सुदृढिकरण व विस्तार	25.94	13.43	87%
	उत्तर प्रदेश			
	लखनऊ			
1.	ड्रेनेज तथा वर्षाजल हार्वेस्टिंग प्रणाली	5.50	4.74	100%
2.	500 यात्रियों के लिए नये एकीकृत टर्मिनल (15000 वर्गमीटर), कार पार्किंग आदि का निर्माण	129.38	–	1%
3.	चार चौड़ी बाडी वाले विमानों के लिए नये एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण तथा जी.एस.ई.	41.30	–	2%
	वाराणसी			
1.	500 यात्रियों के लिए नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	94.11	4.50	5%

1	2	3	4	5
	उत्तरांचल			
	देहरादून			
1.	एबी-320/बी737-800 के लिए देहरादून हवाईअड्डे का विकास	72.50	40.60	65%
	पन्त नगर			
1.	रनवे का विस्तार तथा संबंधित कार्य	36.72	6.05	64%
	संघ राज्य क्षेत्र			
	अंगाती			
1.	टी.बी., अग्निशमन तथा नियंत्रण टावर का निर्माण	5.39	3.10	60%
	पश्चिम बंगाल			
	बागडोगरा			
1.	एप्रन का विस्तार	18.53	–	1%
	कूच बिहार			
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	12.46	–	5%

विवरण-II

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	हवाईअड्डे की कार्यरत आधुनिकीकरण परियोजनाएं	परियोजना के लिए अनुमोदित राशि	अक्तूबर, 2007 तक परियोजना पर व्यय की गई राशि	की गई प्रगति
1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
	चेन्नई			
1.	एकीकृत कार्गो टर्मिनल का निर्माण (चरण-II)	34.08	12.30	मार्च, 09
2.	कमांडो और सुरक्षाबलों के लिए बैरकों का निर्माण	6.69	0.96	फरवरी, 08
3.	बे संख्या 24 से 29 के लिए एयरो ब्रिज सहित एयरोलिंक कोरिडोर का निर्माण	49.05	शून्य	मार्च, 09

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल			
	कोलकाता			
1.	19 आर आरंभ से आगे गौण रनवे का विस्तार	13.36	9.30	नवम्बर, 07
2.	बे संख्या 43 तथा बे संख्या 42 के भाग का पुनर्निर्माण और एप्रन टैक्सी (रिजीड पेवमेंट) का सुदृढ़िकरण	5.66	1.54	जनवरी, 08
3.	6 घरेलू पार्किंग का स्टैंड	13.85	10.14	नवम्बर, 07
4.	उत्तर की ओर कार्गो एप्रन का निर्माण	20.16	7.55	मार्च, 08
5.	एकीकृत कार्गो के निर्यात क्षेत्र पर ई.टी.वी. का प्रावधान	17.00	4.62	दिसम्बर, 08
6.	एकीकृत कार्गो कांप्लेक्स का निर्माण क. ए.एस.आर. कार्य	65.00	42.37	दिसम्बर, 08
	केरल			
	त्रिवेन्द्रम			
1.	एयरोब्रिज का प्रावधान एस.एच. भवन,	3.86	3.30	कार्य पूरा हुआ
	एस.एच. एप्रन कार्य	2.56	2.33	कार्य पूरा हुआ
2.	चकई स्थल पर रनवे के आर पार नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल कांप्लेक्स का निर्माण	245.58 चरण-दो सहित	26.90	अगस्त, 08
	क. एन.आई.टी.बी. और अन्य सेवाओं का निर्माण	167.00 (चरण एक)		
3.	अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	7.60	4.20	दिसम्बर, 07
	गुजरात			
	सूरत			
1.	ए.टी.आर. 72 प्रचालनों के लिए सूरत हवाईअड्डे का विकास	49.41	43.48	दिसम्बर, 07
2.	ए.बी.-320 प्रकार के विमानों के लिए रनवे का 2250 मीटर तक विस्तार	19.40	11.48	दिसम्बर, 07
	पंजाब			
	अमृतसर			
1.	टर्मिनल भवन का निर्माण मोर्डयूलर विस्तार (चरण-दो)	80.20	19.21	मार्च, 08

1	2	3	4	5
2.	रनवे का विस्तार, एप्रन और सहायक कार्यों का विस्तार	14.90	4.99	जनवरी, 08
3.	प्रचालनात्मक क्षेत्र कार्य			
	(i) दो डी/दो ई प्रकार के विमानों के लिए चार रिमोट पार्किंग बे का निर्माण	9.56	7.79	नवम्बर, 07

विवरण-IIक

विद्युत कार्य

क्र. सं.	हवाईअड्डे की कार्यरत आधुनिकीकरण परियोजनाएं	परियोजना के लिए अनुमोदित राशि	अक्तूबर, 2007 तक परियोजना पर व्यय की गई राशि	की गई प्रगति
	पश्चिम बंगाल			
	कोलकाता			
1.	एन.एस.सी.बी.आई. हवाईअड्डा कोलकाता पर एकीकृत कार्गो कांप्लेक्स (चरण-एक) के निर्यात क्षेत्र पर ई.टी.बी. का प्रावधान	14.54	4.94	नवम्बर, 07
	पंजाब			
	अमृतसर			
1.	अमृतसर हवाईअड्डा, अमृतसर पर रनवे 34 पर कैट-2 प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था	12.40	शून्य	कार्य 14-9-07 को दिया गया।

विवरण-III

चल रही बड़ी सी.एन.एस. परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना	अनुमानित/दी गई लागत करोड़ रुपये में	वस्तुस्थिति
1	2	3	4
01.	गगन परियोजना (उपग्रह नौवहन)	600	तकनीकी प्रदर्शन प्रणाली चरण पूरा हो गया। प्रारंभिक परीक्षण चरण प्रगति पर है।

1	2	3	4
02.	समर्पित उपग्रह संचार नेटवर्क (वी.एस. ए.टी.) की 80 स्टेशनों पर संपर्कता	19.09	75 स्थलों पर वास्तविक उपकरण संस्थापन कार्य पूरा हुआ। अनुप्रयोग परीक्षण प्रगति पर है। स्थल स्वीकार्य परीक्षण के दिसंबर, 07 में आरंभ होने की आशा है।
03.	दूरी मापक उपस्करों की खरीद-47(40+7)	23.72	पहली चार डी.एम.ई. की खेप और दूसरी 10 डी.एम.ई. की खेप प्राप्त हो गई है। तीसरी 14 डी.एम.ए. की खेप प्रेषित की जा चुकी है। फैक्ट्री स्वीकार्य परीक्षण डी.एम.ए. की चौथी खेप के लिए पूरा हो गया है। 7 डी.एम.ई. के लिए रीपिट आर्डर दे दिया गया है।
04.	6 हवाईअड्डों पर सी.सी. टी.वी. की खरीद और संस्थापन	2.81	स्थापन का कार्य प्रगति पर है।
05.	हैदराबाद और मंगलौर पर एफ.डी.पी.एस.	11.82	स्थापना कार्य पूरा हुआ। स्थल स्वीकार्य परीक्षण जल्दी ही शरू किया जाना है।
06.	डिजीटल वायस टेप रिकार्डरों की खरीद इ31	3.43	सप्लाई पूरी हुई
07.	तीन वी.सी.सी.आर. की खरीद और संस्थापन	1.78	कार्य प्रगति पर है
08.	12 आई.एल.एस. की खरीद (8+4)	13.94	8 आई.एल.एस. की सप्लाई पूरी हुई। 4 आई.एल.एस. के लिए रीपीट आर्डर दे दिया गया है।
09.	22 डी.वी.ओ.आर.एस. की खरीद	57.94*	टेंडर मूल्यांकन प्रगति पर है।
10.	आर.सी.ए.जी. दिल्ली कोलकाता, अहमदाबाद और नागपुर	1.54	कार्य प्रगति पर है।
11.	6 एम.एस.एस.आर. की खरीद	113.38*	निविदा मूल्यांकन प्रगति पर है।
12.	10 हवाईअड्डों उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की खरीद और संस्थापन	11.79	कार्य प्रगति पर है।
13.	हैदराबाद में नये अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सी.एन.एस. की सुविधाओं की व्यवस्था	92.60	उपस्कर की डिलीवरी का कार्य प्रगति पर है।
14.	बंगलौर में नये अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सी.एन.एस. की सुविधाओं की व्यवस्था	83.06	उपस्कर की डिलीवरी का कार्य प्रगति पर है।
15.	250 वी.एच.एफ.टी.एक्स./आर.एक्स. सेटों की खरीद	41.79*	निविदा मूल्यांकन प्रगति पर है।

1	2	3	4
16.	मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता के लिए ए.एस.एम.जी.सी.एस.	44.13*	निविदा मूल्यांकन प्रगति पर है।
17.	आई.जी.आई., दिल्ली, कोचीन और अमृतसर के लिए ए.एस.आर./ए.एस.एम.जी.सी.एस.	76.33*	निविदा मूल्यांकन प्रगति पर है।
18.	आई.जी.आई., दिल्ली और अन्य हवाईअड्डों के लिए केटेगरी-3 और 2 आई.एल.एस. की खरीद	13.0*	निविदा मूल्यांकन प्रगति पर है।
19.	दिल्ली और मुम्बई पर जी.बी.ए.एस.	29.78*	निविदा मूल्यांकन प्रगति पर है।
20.	चेन्नई के लिए एकीकृत ए.टी.एस. आटोमेशन प्रणाली	135.56*	ए.ए. और ई.एस. प्राप्त की गई। जल्दी ही निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
21.	दिल्ली और मुम्बई के लिए नया वी.सी.सी.एस.	34.59*	निविदा आमंत्रित।
22.	14 डी.एटी.आई.एस. की खरीद	2.38	कार्य प्रगति पर है।
23.	21 डी.एटी.आई.एस. की खरीद	3.48*	ए.ए. और ई.एस. प्राप्त की गई। जल्दी ही निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

विनियामक के अधीन तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.)

47. **श्री निखिल कुमार:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) ने सरकार से तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) को विनियामक के अधीन लाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ओ.आई.एस.डी. का पी.एन.जी.आर.बी. के साथ कब तक विलय हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने मामले की जांच की है और ओ.आई.एस.डी. का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण पी.एन.जी.आर.बी. को अंतरित करना संभव नहीं पाया गया है।

अवसंरचना और प्रौद्योगिकीय उन्नयन

48. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपनी अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार शुरू किया है, जैसाकि दिनांक 27-09-2007 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे का ऐसे प्रौद्योगिकीय सुधार के लिए धनराशि का किस प्रकार प्रबंध करने का विचार है; और

(घ) भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान अवसंरचना और प्रौद्योगिकीय उन्नयन पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां, भारतीय रेल ने क्षमता संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक सुधार एवं आधुनिकीकरण की योजना बनाई है जिसमें खनिज मार्गों पर मौजूदा नेटवर्क का उच्चतर

धुरा भार में अपग्रेडेशन, समर्पित माल यातायात गलियारे का निर्माण, आमान परिवर्तन, नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना आदि शामिल है।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था आंतरिक सृजन, बाजार ऋण के मिश्रण, बजटीय तथा गैर-बजटीय संसाधनों जिनमें बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वित्त व्यवस्था शामिल है, के जरिए की जाएगी।

भारतीय रेल ने 2007-08 में नई लाइन के 500 कि.मी. दोहरीकरण के 700 कि.मी. तथा आमान परिवर्तन के 1800 कि.मी. का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय को शैक्षणिक और ऋण सुविधाएं

49. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और ऋण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने किस आधार पर अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय दर्जे में अतर किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मैरिट एवं साधन छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की शैक्षिक योजनाएं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की शैक्षिक ऋण योजना।

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, छात्रावासों का निर्माण और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम की शिक्षा ऋण, की योजनाएं, कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत पांच समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों, जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, को राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(घ) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने शैक्षिक संस्थानों के विकास के लिए 728 गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी है और 1083 लड़कियों को छात्रवृत्तियां वितरित की हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने अल्पसंख्यकों से संबद्ध 4239 छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध 70.36 लाख छात्रों को मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी गई हैं और 28181 छात्रावासों का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित 8345 छात्रों को शैक्षिक ऋण दिया है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

50. श्री रामजीलाल सुमन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलियम क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और क्या तेल कंपनियों से उक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र नीति सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ख) से (घ) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के दिनांक 10-2-2006 की प्रेस

विज्ञप्ति संख्या 4 (2006) क्रम के अनुसार, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए, शोधन कार्य को छोड़कर और बाजार अध्ययन और नियमन, निवेश/वित्त पोषण, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन के लिए संरचना स्थापित करना शामिल करते हुए, सभी कार्यकलापों के वास्ते 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी क्षेत्रीय विनियमों के अधीन विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मार्फत अनुमति है। शोधन क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में 26% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। परन्तु निजी कंपनियों के मामले में शोधन क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति आटोमेटिक रूट से है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का पुनरूद्धार

51. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री एम. रामदास:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण पाए गए और घाटे में चल रहे उपक्रमों की सी.पी.एस.यू.-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) इन इकाइयों में कुल कितने कामगार कार्यरत हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन रूग्ण इकाइयों को बेचने या उन्हें बन्द करने अथवा इनका पुनरूद्धार करने के संबंध में कोई और नीतिगत निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो सी.पी.एस.यू.-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2005-06 के अनुसार, 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत 225 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 58 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने वर्ष 2005-06 के दौरान 5951.62 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है। इसके मुकाबले वर्ष 2004-05 के दौरान 73 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (प्रचालनरत 217 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से) ने 9003 करोड़ रुपये का घाटा उठाया था। इस प्रकार 2004-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान घाटा उठाने वाले तथा उनके घाटे दोनों की संख्या घटी है।

(ख) से (घ) घाटे/रूग्णता के कारण बहुविध हैं तथा प्रत्येक इकाई के भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सामना की जा रही कुछ सामान्य समस्याओं में पुरानी और बेकार प्लांट एवं मशीनरी, प्राचीन प्रौद्योगिकी, संसाधन कमी, कम क्षमता उपयोग, कम उत्पादकता, अधिक श्रमशक्ति, भारी ब्याज बोझ, अपर्याप्त और असंकेन्द्रित मार्केटिंग, कड़ी प्रतियोगिता, कार्यशील पूंजी की कमी, अनुसंधान एवं विकास पर अपर्याप्त जोर, असक्षम प्रबंधन, उच्च इनपुट लागत, लगातार घाटे के कारण निवल धन का क्षरण और उद्यमों पर रूग्ण होने की विरासत की समस्याएं शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के लेखा परीक्षत वित्तीय आंकड़ों के आधार पर 75 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को रूग्ण के रूप में दर्शाया गया है, जिनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में अंतर्निहित नीति के अनुसार, रूग्ण सरकारी कंपनियों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन तथा रूग्ण उद्योग पुनरूद्धार करने के लिए भरपूर प्रयास किया जायेगा, कालक्रमानुसार घाटा उठाने वाली कंपनियों को सभी कामगारों को उनकी वैध देय तथा मुआवजा देने के बाद या तो बेच दिया जायेगा या बन्द कर दिया जायेगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार तथा भविष्य के रूग्ण/घाटा उठाने के अलावा, अन्य सिफारिशें करने के लिए एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) गठित किया गया है। सरकार ने 26 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की पुनरूद्धार योजना तथा 2 केन्द्रीय सरकारी उद्यम, नामतः भारत ऑप्थलैमिक ग्लास लि. तथा भारत यंत्र निगम लि. 31-10-2007 तक बन्द करने को अनुमोदित कर दिया है। इन 26 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए पुनरूद्धार योजना में अनुमोदित धनराशि तथा गैर-नकद सहायता भी विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़ों पर आधारित बी.आर.पी.एस.ई. के संदर्भ में उल्लिखित प्रयोजन के लिए पहचान किए गए 75 रूग्ण सी.पी.एस.ईज की मंत्रालय-वार सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/सी.पी.एस.ई. का नाम	सरकारी उद्यम का पंजीकृत कार्यालय जिस शहर/राज्य में स्थित है	31-3-3006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी सं.
1	2	3	4
	भारी उद्योग विभाग		
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	जयपुर (राजस्थान)	111
2.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	277
3.	एच.एम.टी. बीयरिंग्स लि.	हैदराबाद (आंध्रा प्रदेश)	339
4.	प्रागा टूल्स लि.	सिंकद्राबाद (आंध्र: प्रदेश)	554
5.	भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	1233
6.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.	बीलेरी (कर्नाटक)	342
7.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.	तुली (नागालैण्ड)	294
8.	नेपा लि.	नेपानगर (मध्य प्रदेश	1208
9.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि.	पटना (बिहार)	948
10.	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लि.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	74
11.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	69
12.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दिल्ली	1570
13.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	6
14.	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लिं.	बंगलौर (कर्नाटक)	4386
15.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	रांची (झारखण्ड)	3457
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्लस लि.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	311
17.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि.	विशाखापटनम (आंध्रा प्रदेश	1453
18.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	3153
19.	एच.एम.टी. वाचेज लि.	बंगलौर (कर्नाटक)	2180

1	2	3	4
20.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	कोटा (राजस्थान)	1715
21.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	15839
22.	एच.एम.टी. लि.	बंगलौर (कर्नाटक)	2429
23.	एच.एम.टी. चिनार वाचेज लि.	जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर)	580
24.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	1539
25.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेनुफैक्चरिंग कंपनी लि.	ऊटकमण्ड (तमिलनाडु)	1072
26.	सांभर साल्ट्स लि.	जयपुर (राजस्थान)	137
	वस्त्र मंत्रालय		
27.	बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	131
28.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	2729
29.	ब्रुशवेयर लि.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	–
30.	नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन लि. एण्ड सहायक कंपनियां	दिल्ली, अहमदाबाद (गुजरात) बैंगलोर (कर्नाटक), इंदोर (मध्य प्रदेश), मुम्बई (महाराष्ट्र) कोयम्बटूर (तमिलनाडु), कानपुर (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	21263
31.	नेशनल जूट मेनुफैक्चरिंग कारर्पो. लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	19746
	उर्वरक विभाग		
32.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	मनाली (तमिलनाडु)	1058
33.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	कोच्ची (केरला)	4030
34.	फर्टिलाइजर्स कारर्पो. ऑफ इंडिया लि.	नई दिल्ली	61
35.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पो. लि.	नई दिल्ली	50
36.	पायरिट्स, फोटोफिल्म एण्ड केमिकल्स लि.	रोहतास (बिहार)	16
	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग		
37.	हिन्दुस्तान एंडीबायोटिक्स लि.	पुणे (महाराष्ट्र)	1791
38.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	1513
39.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइडस लि.	दिल्ली	1648

1	2	3	4
40.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	816
41.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	गुडगावां (हरियाणा)	375
42.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लि.	हैदराबाद (आंध्रा प्रदेश)	207
43.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	83
	कोयला मंत्रालय		
44.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	बर्दवान (पश्चिम बंगाल)	101474
45.	भारत कुकिंग कोल लि.	धनबाद (झारखण्ड)	87146
	इस्पात मंत्रालय		
46.	मेकॉन लि.	रांची (झारखण्ड)	1513
47.	हिन्दुस्तान स्टीलवकर्स कंस्ट्रक्शन लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	1843
48.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.	बोकारो (झारखण्ड)	1690
49.	जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	जम्मू एण्ड कश्मीर	7
	नौवहन विभाग		
50.	सेंट्रल इंलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	897
51.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	718
52.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	दिल्ली	3523
	शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय		
53.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.	दिल्ली	431
	कृषि एवं सहकारिता विभाग		
54.	स्टेट फर्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दिल्ली	2065
	खान मंत्रालय		
55.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरशन लि.	नागपुर (महाराष्ट्र)	2217
56.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	5583
	जल संसाधन मंत्रालय		
57.	नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कार्पो. लि.	दिल्ली	2359

1	2	3	4
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
58.	बीको लॉरी लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	494
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग		
59.	हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कार्पो. लि.	नई दिल्ली	160
	रेल मंत्रालय		
60.	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.	दिल्ली	4120
	नागर विमानन मंत्रालय		
61.	एअर इंडिया चार्टर्स लि.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	30
62.	एयर लाईन एलाईड सर्विसिज लि.	नई दिल्ली	–
63.	इंडियन एयरलाइन्स लि.	नई दिल्ली	18504
	वाणिज्य विभाग		
64.	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	बंगलौर (कर्नाटक)	4
	दूरसंचार विभाग		
65.	आई.टी.आई. लि.	बंगलौर (कर्नाटक)	14257
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		
66.	नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफटस एण्ड हैण्डलूम विकास कारपोरेशन लि.	शिलोंग (मेघालय)	137
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
67.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध विकास कारपोरेशन लि.	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार)	1656
	लघु उद्योग मंत्रालय		
68.	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पो. लि.	नई दिल्ली	889
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
69.	आर्टिफिशियल लिम्बस मेनूफैक. कार्पो. ऑफ इण्डिया	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	511
	पर्यटन मंत्रालय		
70.	असम अशोक होटल कार्पो. लि.	गुवाहाटी (असम)	84

1	2	3	4
71.	मध्य प्रदेश अशोक होटल कार्पो. लि.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	63
72.	पांडिचेरी अशोक होटल कार्पो. लि.	पांडिचेरी	24
73.	रांची अशोक बिहार होटल कार्पो. लि.	पटना (झारखण्ड)	48
74.	उत्कल अशोक होटल कार्पो. लि.	पुरी (उड़ीसा)	55
	शहरी आवास और गरीबी उपशमन विकास मंत्रालय		
75.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	नई दिल्ली	2527
	कुल		355822

विवरण-II

31-10-2007 की स्थिति के अनुसार बी.आर.पी.एस.ई. द्वारा अनुशंसित पुनरूद्धार प्रस्तावों के संबंध में अनुमोदित नकद राशि तथा गैर-नकद राशि

क्र.सं.	सी.पी.एस.ई.	सहायता (करोड़ रुपये में)		
		नकद राशि	गैर-नकद राशि @	कुल
1	2	3	4	6
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2.	एन.टी.सी. एनक्ल्यूडिंग सहायक कम्पनियां	39.23	–	39.23
3.	ब्रिड एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
4.	बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.	–	54.61	54.61
5.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.	7.40	43.97	51.37
6.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
7.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि.	4.00	280.21	284.21
8.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि.	47.35	–	47.35
9.	सेंट्रल इंलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.	73.60	280.00	353.60
10.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30

1	2	3	4	6
11.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
12.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	–	–	–
13.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
14.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	250.00	एन.ए.	250.00
15.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	–	670.37	670.37
16.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.	–	–	–
17.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि.	–	267.29	267.29
18.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	–	104.64	104.64
19.	सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	–	6.02	6.02
20.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–*	–*	–*
21.	भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि.	3.37$	153.15	156.52$
22.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
23.	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80
24.	मेकॉन लि.	93.00**	23.08	116.08
25.	एन्ड्रू यूले एण्ड कंपनी लि.	–	457.14	457.14
26.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	–	612.94	612.94
	कुल	1941.30*	6322.38*	8263.68*

\# नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान द्वारा बजटीय सहायता शामिल हो सकती है।

@ गैर नकद सहायता में ब्याज की छूट, दण्डात्मक ब्याज, भारत सरकार का ऋण, गारंटी फीस, ऋण को इक्विटी/ऋण पत्रों आदि में अभिसरण को शामिल किया जा सकता है।

* सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना में अन्य बातों के अलावा, गैर-नकद सहायता रुपए 2470.77 करोड़ तथा कोल इण्डिया लि. से 2004-05 से प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए के सेवा प्रभारों की छूट पर ध्यान दिया गया है।

$ इसके अलावा ओ.एन.जी.सी. और बी.एच.ई.एल. को क्रमशः 150 करोड़ रुपए तथा 20 करोड़ रुपए की सीमा तक नकद सहायता को बढ़ाना।

** वी.आर.एस. ऋणों पर प्रति वर्ष 6.50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं की 50% ब्याज सब्सिडी को जारी रखने को छोड़कर।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्य

52. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में रासायनिक उर्वरकों के मूल्य

निर्धारित करते समय छोटे और मझोले किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चीजों के मूल्य निर्धारित करने में अपनाए जाने वाले मानदण्डों/मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किसानों के लिए निर्धारित मूल्य पर किसानों को रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों के लिए देश में रासायनिक उर्वरकों का मूल्य एक समान है। उर्वरकों का मूल्य फरवरी, 002 से स्थिर रखा गया है ताकि किसानों के लिए वह वहनीय बना रहे। फार्मगेट स्तर पर सुपुर्दगी लागत की तुलना में आज मूल्य काफी कम है। उर्वरकों के अधिसूचित विक्रय मूल्य और फार्मगेट स्तर पर राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की मानकीकृत सुपुर्दगी लागत के बीच के अंतर का भुगतान सरकार उत्पादकों/आयातकर्ताओं को करती है।

(ग) और (घ) राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ङ) रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में देश के किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए, राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत उर्वरकों का मूल्य फरवरी, 2002 से ही स्थिर रखा गया है हालांकि इस अवधि में उर्वरकों के सुपुर्दगी मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है।

रुग्ण रॉलिंग स्टाक इकाइयों का अधिग्रहण

53. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भारत वैगन कंपनी लि. की मोकामा और मुजफ्फरपुर स्थित दो रुग्ण इकाइयों को अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को वर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि. की दो इकाइयों को भी अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव मिला है, जो कि रेलवे द्वारा दिए गए क्रयादेशों को कुशलता से पूरा करती आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने देश में रॉलिंग स्टॉक की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए रॉलिंग स्टॉक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने की योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मोकामा तथा मुजफ्फरपुर में स्थित भारत वैगन इंजीनियरिंग की दो इकाइयों के अधिग्रहण के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी अथवा भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार से प्राप्त इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) हाल ही में निम्नांकित चल स्टॉक विनिर्माण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस समय चल स्टॉक कारखाना स्थापित करने का कोई और प्रस्ताव नहीं है:

1. 1685 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर रायबरेली में नया रेल सवारी डिब्बा कारखाना।
2. 2052 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर मरहोवरा में डीजल रेल इंजन विनिर्माण इकाई।
3. 1293.57 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर माधेपुरा में विद्युत रेल इंजन विनिर्माण इकाई।

समपारों को खोला जाना

54. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल लाइन पर समपार खोले जाने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या रेलवे का विचार देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में चौकीदार/बिना चौकीदार वाले समपार खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समपारों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार, समपारों की व्यवस्था एक नई लाइन बिछाने समय अथवा इसको यातायात के लिए खोलने की तिथि के दस वर्ष के भीतर राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। इसके बाद किसी भी निर्माण कार्य जैसे समपार को निक्षेप शर्तों पर तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान पर मुहैया कराया जा सकता है यदि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित किया जाता है, तथा समपार के निर्माण की प्रारंभिक लागत और आवर्ती अनुरक्षण और परिचालनिक प्रभारों की एकमुश्त पूंजीगत लागत को वहन करने पर सहमत हो। इसके अतिरिक्त, रेल नीति के अनुसार मौजूदा लाइनों पर बिना चौकीदार वाले नए समपारों की अनुमति नहीं है।

उपरोक्त नीति को ध्यान में रखते हुए मौजूदा रेलवे लाइनों पर नए समपारों को रेलवे की लागत पर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटन का विकास

55. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन के विकास हेतु कौन-कौन सी नई योजनाएं क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों एवं ढांचों के संरक्षण और परिरक्षण हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राचीनता, पर्यटन संभावना, संस्कृति एवं स्थापत्यगत संगम समन्वय को ध्यान में रखते हुए देश के प्राचीन शहरों को दाय-शहर घोषित करने का है;

(घ) क्या तिरूवनंतपुरम, केरल को विरासत-शहर घोषित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

1. ग्रामीण पर्यटन सहित गंतव्यों तथा परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास।
2. वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता।
3. कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी।

(ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक रूचि के हैं और जो 100 वर्षों से मौजूद है, उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया जा सकता है। इन स्मारकों में संरक्षण, परिरक्षण, ढांचागत मरम्मत और पर्यावरणीय विकास एवं आगन्तुक सुविधाओं का प्रावधान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, पुरातात्विक मानकों के अनुसार किया जाता है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और नियम 1959 में शहरों को दाय-शहर के रूप में घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की शोधन क्षमता में वृद्धि

56. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आगामी वर्षों में कच्चे तेल की शोधन क्षमता में वृद्धि करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और निजी क्षेत्र की क्षमता सहित आगामी पांच वर्षों में क्षमता में कुल कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त उत्पादन क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की तुलना में अधिक रहने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो देश की अनुमानित खपत और उत्पादन क्षमता क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) रिफाइनरी क्षेत्र में जून,

1998 में लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। तब से किसी निजी अथवा सरकारी क्षेत्र उपक्रम द्वारा अपनी अर्थक्षमता के प्रोमोटर के आकलन के आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार नहीं अपितु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्यम विचार करते हैं। इन कंपनियों ने वर्ष 2011-12 तक अतिरिक्त शोधन क्षमता स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं। वर्ष 2012 तक शोधन क्षमता 240.96 मि.मी. टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 158.96 एम.एम.टी.पी.ए. और निजी क्षेत्र का हिस्सा 82 एम.एम.सी.पी.ए. होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। इस समय शोधन क्षमता 148.97 एम.एम.टी.पी.ए. है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 131.8 मि.मी. टन (एम.एम.टी.) होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

विमानों की उड़ानों में विलम्ब के कारण हानि

57. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानों की उड़ानों में, विशेषकर शीतकाल में विलम्ब एक आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो विमानों की उड़ानों में विलम्ब के कारण सालाना कितनी धनराशि का नुकसान होता है; और

(ग) भविष्य में विमानों की उड़ानों में विलम्ब से बचने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) उड़ान में विलंब के कई कारण होते हैं तथा शीतकाल में भारत के उत्तरी भाग में कोहरा एक ऐसा ही कारण है। एक स्टेशन पर विलंब के फलस्वरूप अन्य स्टेशनों पर भी विलंब की संभावना होती है।

(ख) एयरलाइन उड़ानों के विलंब के कारण हुए व्यय का अलग से रिकार्ड नहीं रखती।

(ग) सरकार द्वारा कोहरे के कारण होने वाले विलंब से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) दिल्ली एयरपोर्ट पर, कैट-III बी आई.एल.एस. प्रणाली अधिकृत की गई है जिससे 50 मीटर से रनवे विजुअल रेंज तक विमान का प्रचालन किया जा सकता है।

(ii) एयरलाइनों को कहा गया है कि वे अपने पायलटों को कैट-III बी आई.एल.एस. प्रणाली का प्रशिक्षण दें तथा कैट-III बी के पायलटों को कोहरा प्रभावित क्षेत्रों पर रोस्टर करें।

(iii) दिल्ली एयरपोर्ट पर सर्फेस मूवमेंट राडार (एस.एम.आर.) के साथ एडवांस सर्फेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम (ए.एस.एम.जी.सी.एस.) लगाया गया है। कोहरे के दौरान उड़ान प्रचालनों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ए.एस.एम.जी.सी.एस. तथा एस.एम.आर., जमीन पर विमानों एवं वाहनों की निगरानी करने में सहायता करते हैं।

(iv) कोलकाता एयरपोर्ट पर, कैट-II आई.एल.एस. प्रणाली को अधिकृत किया गया है। जिससे 350 मीटर के रनवे विजुअल रेंज (आर.वी.आर.) तक विमान प्रचालन किया जा सकता है।

(v) अमृतसर, जयपुर तथा लखनऊ एयरपोर्ट में, कैट-II आई.एल.एस. प्रणाली लगाई जा रही है।

(vi) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड शीतकाल में अपनी उड़ानों को निर्धारित करने के पूरे प्रयास करती है ताकि कोहरे के कारण होने वाले विलंब को कम किया जा सके। यह इन उड़ानों को प्रचालित करने के लिए कैट-II, III प्रणाली में प्रशिक्षित प्रचालक क्रू को रोस्टर करती है ताकि वो खराब दृश्यता की स्थिति में भी लैंड/टेक-ऑफ कर सकें।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र

58. श्री एस.के. खारवेन्थन: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के तंजावुर स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (पी.पी.आर.सी.) को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकसित करने संबंधी मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रस्तावित कार्य क्या हैं;

(ग) उक्त संस्थान को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है;

(ध) क्या राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अनाज प्रसंस्करण में अनुसंधान के लिए धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र को राष्ट्रीय स्तर के विश्वस्तरीय संस्थान के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है। उन्नयन के बाद इस संस्थान के प्रस्तावित संशोधित अधिदेश में मूल, व्यवहारिक अपनाए जा सकने वाले अनुसंधान का आयोजन करना, जल भूमि, बाढ़ और तूफान प्रभावी क्षेत्रों में फसलों के फसलोत्तर प्रसंस्करण के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा उक्त संस्थान अधिदेश में शामिल फसलों के उत्पादन पश्चात् प्रणालियों संबंधी सूचना हेतु एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करेगा, कच्चे और प्रसंस्कृत कृषि वस्तुओं जैसे कि मोटे अनाज, दालों और तिलहनों के लिए प्रौद्योगिकी परामर्श और विश्लेषण सेवाओं का स्थानांतरण करेगा और अपने उद्देश्यों को कारगर ढंग से प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों और अन्य अकदमियों के साथ-साथ अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

(ग) दो वर्षों में बुनियादी विकास सुविधाएं सृजित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए इच्छुक एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है और इस शर्त के साथ अध्यधीन वित्तीय सहायता दी जाती है कि प्रस्ताव हर तरह से पूर्ण है, व्यवहार्य है और धनराशियां उपलब्ध हैं। अब तक मंत्रालय ने तमिलनाडु में 41 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी है और कुल मिलाकर देश में 420 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई है।

उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर अस्वास्थ्यकर जन सुविधाएं

59. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त स्वच्छता प्रणाली नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में जन सुविधाओं की स्वच्छता स्थिति बहुत ही खराब है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में किलों का संरक्षण

60. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोटा, राजस्थान से प्रकाशित "हडौती की हलचल" के दिनांक 8 सितम्बर, 2007 के संस्करण में "जैसलमेर रियासत के कई किले और कोट जर्जर हालत में" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार विद्यमान स्मारकों और पुरातात्विक महत्व के खंडहरों के संरक्षण के प्रति सचेत है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान में पुरातात्विक महत्व के विद्यमान स्थलों/ढांचों और भवनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दलाल और अवैध ट्रेवल एजेन्ट

61. श्री अधीर चौधरी:

श्री निखिल कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दलालों तथा अन्य अवैध ट्रेवल एजेन्सियों से टिकट लेने वाले यात्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारी कई रेलवे स्टेशनों पर कार्य कर रहे दलालों पर उचित रूप से काबू नहीं पा सके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे ने दलालों और अन्य अवैध ट्रेवल एजेन्सियों की रेलवे बुकिंग स्टाफ के साथ मिली-भगत को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। दलालों और अन्य अनधिकृत यात्रा एजेंटों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 की धारा 142 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें तीन माह तक का कारावास तथा जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, का प्रावधान करता है।

(ख) वर्ष 2007-08 (सितम्बर, 2007 तक) के दौरान हस्तांतरित टिकटों के 14440 मामले पाए गए और उनसे 87.00 लाख रुपये की राशि वसूली गई।

(ग) और (घ) दलालों और अन्य असामाजिक तत्वों की गैर-कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे आरक्षण कार्यालयों के अंदर एवं बाहर नियमित तथा निवारक जांच की जाती है। अति व्यस्त अवधि के दौरान आरक्षण कार्यालयों में निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, अनधिकृत लोगों से टिकट खरीदने से रोकने के लिए यात्रा करने वाले लोगों को अनेक माध्यमें से शिक्षित भी किया जाता है। इस प्रकार से पकड़े गए दलालों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। दलालों से मिलीभगत में पाए गए रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

नए कार्गो हब

62. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में और अधिक संख्या में कार्गो हबों की स्थापना हेतु राज्यों में शहरों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक कार्गो हब की लागत का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में कितने कार्गो हबों में कार्य प्रगति पर हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार नए कार्गो यान खरीद रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) वर्तमान में केवल नागपुर एयरपोर्ट को मल्टी-मॉडल अंतरराष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो हब में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2600 करोड़ रुपए है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों के लिए नई ग्राउंड हैंडलिंग पालिसी

63. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन सहित देश के अन्य विमानपत्तनों का ग्राउंड हैंडलिंग कार्य विदेशी कंपनियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी कंपनियों को ग्राउंड हैंडलिंग कार्य सौंपते समय अलग से सुरक्षा उपाय किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं, सरकार द्वारा बनाई गई नई ग्राउण्ड हैंडलिंग नीति के अनुसार निम्नलिखित निकाय महानगरीय हवाईअड्डों पर ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र हैं जो वे हवाईअड्डे हैं जो दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, बंगलौर और हैदराबाद में स्थित है:-

1. (i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एयरपोर्ट आपरेटर स्वयं ही अथवा इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी; (ii) राष्ट्रीय विमान कम्पनी की अनुषंगी कम्पनी अर्थात् नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा कार्य निष्पादन मानकों के संतोषजनक पालन के आधार पर, हवाईअड्डा आपरेटर के साथ राजस्व शेयरिंग आधार पर ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं में विशेषता प्राप्त ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं में इसके संयुक्त उपक्रम (iii) कार्य निष्पादन मानकों के अनुपालन तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा क्लीयरेंस के आधार पर, राजस्व शेयरिंग आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुने गए कोई अन्य ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवा प्रदाता।

2. सभी अन्य हवाईअड्डों पर, विशेषता प्राप्त निकायों के अतिरिक्त, विदेशी एयरलाइनों को छोड़कर, एयरलाइनों को स्वतः हैंडलिंग की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) और (घ) ग्राउण्ड हैंडलिंग कार्य में लगे हुए सभी निकायों को केन्द्र सरकार से सुरक्षा क्लीयरेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें सुरक्षा कारणों से अनिवार्य रूप से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनुदेशों/निबन्ध का भी पालन करना होगा।

[अनुवाद]

मानक भोजन के लिए मेन्यू तथा प्रशुल्क निर्धारण हेतु समिति

64. श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्री निखिल कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेलगाड़ियों में/प्लेटफार्मों पर परोसे जा रहे भोजन की घटिया गुणवत्ता संबंधी बढ़ती शिकायतों और इससे यात्रियों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का मानक भोजन के लिए मेन्यू तथा प्रशुल्क निर्धारण हेतु एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 14 सितंबर, 2007 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे स्टेशनों पर और गाड़ियों में यात्रियों को स्वास्थ्यकर भोजन मुहैया कराती है। 2006-07 के दौरान, कुल 2656 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रमाणित हो चुकी शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाईयां जैसे चेतावनी, जुर्माना, ठेके की समाप्ति, सलाह देना आदि की गई है।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के यात्रियों को दिए जाने वाले मानक भोजन, चाय/कॉफी और नाश्ते के मेन्यू (भोज्य तालिका) और दरसूची की पुनरीक्षा के लिए एक समिति गठित की है।

(घ) समिति को अपनी रिपोर्ट 15-11-2007 तक प्रस्तुत करनी है।

आई.ओ.सी. द्वारा उड़ीसा में पारादीप तथा हल्दिया रिफाइनरी में संयंत्रों की स्थापना

65. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल ने उड़ीसा में हल्दिया रिफाइनरी

तथा पारादीप में क्रायोजेनिक नाइट्रोजन तथा क्रम्ब रबड़ परिशोधित बिटुमन संयंत्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इंडियन आयल का हल्दिया तथा पारादीप में एक पेराजाइलम संयंत्र स्थापित करने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक संयंत्र की स्थापना करने के लिए इंडियन आयल द्वारा कितना व्यय किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) द्वारा फरवरी, 2007 में हल्दिया रिफाइनरी में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से 1350 एन घन मीटर प्रति घंटा* (गैसीय नाइट्रोजन) + 275 एन घन मीटर प्रति घंटा (तरल नाइट्रोजन के बराबर गैस) की क्षमता का एक क्रायोजेनिक नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया था। सितम्बर, 1999 में हल्दिया रिफाइनरी में 400 एन घन मीटर प्रति घंटा (गैसीय नाइट्रोजन) + 200 एन घन मीटर प्रति घंटा (तरल नाइट्रोजन के बराबर गैस) की क्षमता का एक अन्य पुराना क्रायोजेनिक नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया था।

2x8000 एन घन मीटर प्रति घंटा (गैसीय नाइट्रोजन) की क्षमता का एक क्रायोजेनिक नाइट्रोजन संयंत्र ग्रासरूट्स पारादीप रिफाइनरी परियोजना के अंतर्गत पारादीप में स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

हल्दिया रिफाइनरी में 50,000 मीटरी टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक क्रम्ब रबर संशोधित बिटुमिन संयंत्र सार्वजनिक टेंडर के जरिए फरवरी, 2007 में स्थापित किया गया था और संविदा 9-5-2009 तक वैध है। इस संयंत्र पर आई.ओ.सी. द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया था क्योंकि इसकी स्थापना मैसर्स टिन्ना ओवरसीज लिमिटेड, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर की गई है। तथापि ठेकेदार क्रम्ब रबर मोडिफायर, संसाधन/संशोधन और पैकिंग की आपूर्ति के लिए प्रभार मांगता है।

हल्दिया रिफाइनरी और पारादीप रिफाइनरी में एक एक नए पैरा-जाइलीन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। हल्दिया रिफाइनरी में एक नया पैरा-जाइली संयंत्र स्थापित करने के लिए हल्दिया रिफाइनरी में प्रारम्भिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। पारादीप में पैरा जाइलीन परियोजना के लिए प्रोसैस लाइसैंसर को लगाया गया है और बुनियादी इंजीनियरी कार्य किए जा रहे हैं। हल्दिया रिफाइनरी और पारादीप रिफाइनरी में इन संयंत्रों के लिए अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया है।

*नौर्मल घन मीटर प्रति घंटा।

विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

66. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्गो प्रचालन, गैर-सारणीकृत एयरलाइनों, हेलीकॉप्टर तथा सीप्लेन प्रचालनों में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग

67. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी के एक विशेषज्ञ दल ने विभिन्न चालू परियोजनाओं में भारतीय रेल के साथ तकनीकी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) अक्तूबर, 2007 में डच बेन एजी (जर्मन रेलवे) से विशेषज्ञों के एक दल द्वारा भारतीय रेल का दौरा किया गया है। यह दौरा अन्वेषणात्मक प्रकृति का था और इस दल द्वारा रेल मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया और कुछ क्षेत्रीय रेलों का दौरा किया गया। इस दल में रेलपथ और पुल तथा ओ.एच.ई. (शिरोपरि उपस्कर), दूरसंचार और सिगनल व्यवस्था, चल स्टाक, ट्रेन स्टेशन अभिकल्प और सेवाएं, परिचालन, संभार तंत्र, सामग्री प्रबंधन और प्रशिक्षण के क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल थे।

विदेश के लिए विमान सेवा प्रदान करने वाली एयरलाइनें

68. श्री मनोरंजन भक्त:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश के लिए विमान सेवा प्रदान करने वाली भारतीय एयरलाइनों हेतु पात्रता मानदंडों में छूट का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस मामले का निवारण प्रस्तावित राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के अन्तर्गत किया जाएगा, जो वर्तमान में मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कला और संस्कृति का प्रचार-प्रसार

69. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

प्रो. एम. रामदास:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनेक देशों में भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को भी इस कार्य में भागीदार बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय कला और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के लिए भारत से टीमों को विदेश भेजा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजी गयी टीमों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छोटे विमानपत्तनों का उन्नयन

70. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में छोटे विमानपत्तनों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तनों के उन्नयन में विमानपत्तन-वार कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारें इन विमानपत्तनों के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार के साथ समझौता करने के लिए सहमत हो गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के लिए सहमत हो चुकी राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) हवाई अड्डों का स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात की मात्रा एयरलाइन आपरेटरों की मांगों, वाणिज्यिक साध्यता इत्यादि पर आधारित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भागीदारी सहित अथवा अपने स्वयं के संसाधनों से उपरोक्त दृष्टि को ध्यान में रखकर, इस संबंध में समय-समय पर पहल की है।

(घ) से (च) सूरत हवाईअड्डे के स्तरोन्नयम के लिए गुजरात राज्य के साथ तथा वारांगल और कुड्डापाह हवाईअड्डे के विकास के लिए आंध्र प्रदेश, राज्य सरकार के साथ मैसूर हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार

के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन हवाईअड्डों पर कार्य आरंभ कर दिया है तथा ये निष्पादन/पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

तेल भण्डारों की स्थिति

71. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के तेल भंडार घट रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा समुचित कार्य नीतियों के माध्यम से इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। तेल उत्पादन अनुपात (आर/पी अनुपात) के लिए भंडार वृद्धि एक से अधिक है क्योंकि तेल भंडारों में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। देश में शेष वसूली योग्य कच्चे तेल भंडारों की स्थिति वर्ष 2003-04 के 713.550 मि.मी. टन से बढ़कर वर्ष 2005-07 में 766.880 मि.मी. टन तक पहुंच गई है।

(ग) देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई कदमों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) एन.ई.एल.पी. के विभिन्न दौरों के तहत अन्वेषण के लिए प्रस्तुति हेतु अधिक से अधिक क्षेत्रों को तैयार करना।

(2) उत्पादन शुरू करने में सक्षम बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का तेजी से विकास।

(3) मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्दीपन तकनीकों का प्रयोग।

(4) मौजूदा वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(5) पुराने तेल क्षेत्रों के ह्रास को रोकना।

(6) इक्विटी तेल हेतु विदेश में उत्पादन गुणधर्मों तथा अन्वेषण रकबों का अधिग्रहण।

(7) ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

[हिन्दी]

रेल दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजा संबंधी दावों के मामले

72. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान रेल दावा अधिकरण द्वारा जोन-वार दुर्घटना मुआवजा संबंधी दावों के कितने मामलों का निपटारा किया गया और इस दौरान कितनी मुआवजा राशि का दावा किया गया और कितना भुगतान किया गया;

(ख) रेल दावा अधिकरण के समक्ष आज तक जोन-वार मुआवजे के कितने दावे लंबित हैं;

(ग) ये मामले कितने समय से लंबित हैं और ऐसे मामलों को निपटाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे मामलों को निपटाने में औसतन कितना समय लिया जा रहा है और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2006-07 के दौरान रेल दावा अधिकरण द्वारा 297 गाड़ी दुर्घटना मुआवजा के मामले निपटाए गए और 35.88 करोड़ रुपये की राशि डिक्री की गई। मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपये रही और चोट के मामले में 32,000 रु. से 3.6 लाख रुपये के बीच अधिकतम दावा योग्य राशि रही।

जोनवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

जोन का नाम	निपटाए गए मामलों की संख्या	डिक्री राशि (रुपयों में)
उत्तर	09	989000
पूर्व	18	867000
पश्चिम	71	5347259
दक्षिण	199	28682000

(ख) 1-10-2007 को 262 मामले लंबित हैं। जोनवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

जोन का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2
उत्तर	91
पूर्व	85
पश्चिम	48
दक्षिण	38

(ग) 1-10-2007 को दुर्घटना के आयुवार निलंबित मामले निम्नलिखित हैं:-

एक वर्ष से कम	एक वर्ष पुराने	दो वर्ष पुराने	तीन वर्ष पुराने	चार वर्ष पुराने	पांच वर्ष पुराने तथा इससे अधिक	जोड़
99	86	33	20	22	02	262

मामले निपटाने में विलंब के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) समय-समय पर सदस्यों की रिक्तियां

(2) दावेदारों के पास उत्तराधिकारी के नाम की अनुपलब्धता

(3) गवाहियां या अन्य सबूत पेश करने के लिए आवेदन-कर्ताओं/उनके वकीलों द्वारा मामले को आस्थगित करने की मांग

(4) एक पीठ से दूसरी पीठ में दावा मामलों का अंतरण

(घ) 2006-07 के दौरान दावों के मामले निपटाने के लिए लगने वाला औसत समय 381 दिन है। रेल दावा अधिकरण (आर.सी.टी.) एक न्यायवत निकाय है, इसलिए मामलों को निपटाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अध्यक्ष/रेल दावा अधिकरण को बकाया मामलों को निपटाने के लिए सर्किट बेंच आयोजित करने के लिए एक से दूसरे बेंच के किसी सदस्य को प्रतिनियुक्त करने का अधिकार है।

[अनुवाद]

दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना

73. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक आधार पर स्वीकृत लगभग 60 परियोजनाओं हेतु धनराशि का प्रबंध करने की चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि की कमी के कारण लंबित इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 2004-05 में दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना (रिमोट एरिया रेल संपर्क योजना) घोषित की गई थी ताकि प्रमुखतः सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से प्रारंभ की गई चालू नई लाइनों तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस योजना को पूरा करने के लिए 5 वर्षों की अवधि में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता थी। बहरहाल, धन की व्यवस्था न होने के कारण योजना शुरू नहीं की जा सकी।

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी, राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधनों के सृजन द्वारा भी धन का आबंटन किया गया है।

हुछावनचल्ली गांव में यात्री ट्रेन का ठहराव

74. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जिला दावणगेरे, कर्नाटक में मायाकोंडा रेलवे स्टेशन के पास हुछावनचल्ली गांव में हुबली-बंगलौर यात्री ट्रेन के ठहराने का प्रबंध करने के बारे में कर्नाटक में दावणगेरे जिले की जनता से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने जनता की मांग को विचार करने के बाद स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) दावनगेरे जिला, कर्नाटक में मायाकोंडा रेलवे स्टेशन के निकट हुछावनचल्ली गांव में हुबली-बंगलोर यात्री गाड़ी का ठहराव देने के बारे में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर विचार किया गया था और इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक और वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

ट्रेनों का ठहराव

75. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 12 सितंबर, 2007 के यात्री/माल गाड़ियों को रेल विभाग द्वारा स्वयं रोका गया अथवा जनता द्वारा रोका गया था अथवा क्या रेलवे द्वारा इन गाड़ियों को ठहराव के निर्धारित समय से अधिक समय तक रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो रोकी गई ट्रेनों का जोन-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भेषज कंपनियों के लाइसेंसों को रद्द करना

76. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि नियंत्रण प्रशासन ने यह सिफारिश की है कि राज्य औषधि नियंत्रक अग्रणी भारतीय भेषज कंपनियों के कई ब्राण्डों के निर्माण एवं विक्रय लाइसेंस रद्द कर दें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी औषधि-वार तथा कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने प्राप्त शिकायत के आधार पर, उपलब्ध सूचना से देश में उपलब्ध गैर अनुमोदित फार्मूलेशनों की संख्या का पता लगाने का कार्य किया। जिन नैदानिक समूहों की जांच की गई, उनमें एनाल्जेसिक्स, एंटिपाइरेटिक्स, एंटिइनफ्लेमेटरी, मसल रिलैक्सेंट्स, एंटिबायोटिक्स इत्यादि शामिल थे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा ऐसे 294 फार्मूलेशनों की एक सूची तैयार की गई थी और इस मुद्दे को औषध परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाया गया था, जिसमें सभी राज्य औषध नियंत्रकों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

[हिन्दी]

नगवां विमानपत्तन

77. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखण्ड के हजारीबाग स्थित नगवां विमानपत्तन की स्थिति दयनीय है और पिछले पचास वर्षों के दौरान इस विमानपत्तन

की मेटलिंग और विकास पर कोई खर्च नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप विमानों और हेलिकॉप्टरों को अनमेटल्ड हवाई पट्टियों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नगवां विमानपत्तन के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) हजारीबाग में नगवां विमानपत्तन झारखंड राज्य सरकार से संबद्ध है। इस विमानपत्तन के विकास के लिए न तो राज्य सरकार और न ही किसी एयरलाइन प्रचालक ने अनुरोध किया है। अतः वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इस विमानपत्तन के विकास के लिए कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

जी.ए.आई.एल. (गेल) द्वारा पाइप लाइन नेटवर्क का विस्तार

78. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल का विचार वर्ष 2011 तक दो चरणों में अपने पाइप लाइन नेटवर्क का विस्तार और गैस की खोज करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गेल द्वारा दोनों चरणों में गैस ट्रेडिंग से प्राप्त होने वाले राजस्व के लक्ष्य का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने हाल में गेल को निम्नलिखित पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकार प्रदान किए हैं:-

- दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन
- चैन्सा-गुड़गांव-झज्जर-हिसार पाइपलाइन
- जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन
- कोच्चि-कंजिरकांड-मंगलौर/बंगलौर पाइपलाइन
- दाभोल-बंगलोर पाइपलाइन

ये पाइपलाइने, परियोजना के आरम्भ की तिथि अर्थात् पाइपलाइन से संबंधित भूमि के संबंध में पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपभोक्ता के अर्जन का अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 3 उप खण्ड (1) के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने की तारीख से 36 महीने के भीतर अवश्य चालू की जानी हैं।

आगे भारत सरकार ने एन.ई.एल.पी. के 6 दौरों के तहत अभी तक गेल एवं अन्य कंपनियों के परिसंघ को 28 अन्वेषणात्मक ब्लाक अवार्ड किए हैं। इनमें से 2 ब्लाकों अर्थात सी.वाई.-ओ.एस./2 और एम.एन.-ओ.एस.एन.-2000/2 में गैस की खोज की गई है।

(ग) दीर्घकाल आधार पर गैस कारोबार से मिलने वाला राजस्व, पाइपलाइनों के माध्यम से किए जाने वाली गैस की वास्तविक मात्रा के व्यापार और वर्ष दर वर्ष में विद्यमान प्राकृतिक गैस के मूल्य पर निर्भर होगा।

रेलगाड़ियों में जैव-शौचालय

79. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने हाल ही में चुनिंदा रेलगाड़ियों में जैव-शौचालय परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे की योजना सभी रेलगाड़ियों में इसे चरणबद्ध प्रक्रिया से आरंभ करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) भारतीय रेलवे ने यात्री डिब्बों के लिए पर्यावरण अनुकूल शौचालय प्रणाली का विकास किया है तथा जैविक शौचालय परीक्षण के तौर पर चयन किए गए ऐसे शौचालयों में से एक है। जैविक शौचालय के लिए निष्पादन विनिर्दिष्टी को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 80 अदद (20 डिब्बों के लिए) विकसित करने का आदेश दे दिया गया है। 4 अदद (एक डिब्बा के लिए) प्रोटोटाइप जैविक शौचालय प्राप्त हो गए हैं तथा इस समय नई दिल्ली-इलाहाबाद के बीच चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस के एक एसी 3 टीयर डिब्बे में इन्हें लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के शौचालयों का एक रेक पर फील्ड परीक्षण कराए जाने की योजना है। पर्यावरण अनुकूल शौचालय प्रणाली को लागू करने का अंतिम

निर्णय इस परीक्षण तथा अन्य प्रकार के पर्यावरण अनुकूल शौचालय के परीक्षण के परिणाम के अनुसार लिया जाएगा।

केन्द्र सरकार के रूग्ण उपक्रमों की अधिशेष भूमि की बिक्री

80. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, केन्द्र सरकार के (सी.पी.एस.यू.) घाटे में चल रहे उपक्रमों की अधिशेष भूमि को बेचकर उनका पुनरूद्धार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी बिक्री कब तक किये जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सरकार की सरकारी उपक्रमों संबंधी नीति में यह उल्लेख किया गया है कि रूग्ण सरकारी कम्पनियों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने तथा रूग्ण उद्योग के पुनरूद्धार का भरपूर प्रयास किया जायेगा। अधिशेष भूमि की बिक्री करने को प्रत्येक मामले के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज की लागत को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के एक साधन के रूप में किया जा सकता है।

(ग) अधिशेष भूमि की पहचान और बिक्री संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सी.पी.एस.ई.) द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज के अनुसार की जाती है।

इण्डियन एयरलाइंस का घाटा

81. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

प्रो. एम. रामदास:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियम एयरलाइंस को लगातार घाटा हुआ है जिसके फलस्वरूप बाजार में इसकी हिस्सेदारी में लगातार गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन एयरलाइंस को अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(ग) इस घाटे के क्या कारण है; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी नहीं, जबकि वर्ष 2006-07 के लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इंडियन एयरलाइन के वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पाइपलाइन ट्रांसमिशन नेटवर्क

82. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डेडिकेटेड पाइपलाइन ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थापना पर ज्यादा जोर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाइपलाइन ट्रांसमिशन की मौजूदा क्षमता कितनी है;

(घ) वर्ष 2012 तक इसमें कितनी वृद्धि की जानी है;

(ङ) पाइपलाइन ट्रांसमिशन के लिए पहचाने गए मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (च) पक्षपात सहित आधार पर पाइपलाइन नेटवर्क की सभी कंपनियों के लिए खुली पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, निकायों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाकर और इसके द्वारा किसी भी निकाय द्वारा प्रभावी हैसियत के दुरुपयोग से बचा कर और गैस की उपलब्धता और उपयुक्त दर की शर्त में उपभोक्ता के हित की सुरक्षा के लिए, सरकार ने "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति" अधिसूचित की है।

पाइपलाइनों के ब्यौरे जिनके अनुमोदन हाल ही में जारी किए गए हैं विवरण के रूप में संलग्न हैं। इन पाइपलाइनों की अनुमानित लम्बाई 6243 किलोमीटर है। इन

पाइपलाइनों को परियोजना प्रारम्भ करने की तारीख अर्थात पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन अधिनियम) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत पाइपलाइन से संबंधित भूमि की अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 36 मास के भीतर अवश्य ही चालू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी. आई.एल.) 1385 कि. मीटर लम्बी काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद पाइपलाइन बिछा रही है।

प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, गेल लगभग 142 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) की क्षमता से देश में लगभग 6700 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क प्रचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त, गेल की देश में 1927 कि.मी. की एल.पी.जी. पारेषण पाइपलाइन है। आई.ओ.सी.एल. 61.72 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) की कुल क्षमता की 9273 कि.मी. की उत्पाद कच्चा तेल पाइपलाइन नेटवर्क प्रचालित कर रही है। एच.पी.सी.एल. लगभग 14.7 एम.एम.टी.पी.ए. की क्षमता की 2127 कि.मी. उत्पाद पाइपलाइन/उत्पादक पाइपलाइन का प्रचालन कर रही है। ओ.आई.एल. के स्वामित्व में इस समय 1157 कि.मी. लम्बा कच्चे तेल की ट्रंक पाइपलाइन है जिसका वह प्रचालन करती है। जी.एस.पी.एल. के पास गुजरात में लगभग 1070 कि.मी. की मौजूदा पाइपलाइन संरचना है।

विवरण

क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम	पाइपलाइन की अनुमानित प्रस्तावित लंबाई
1.	दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन	590 कि.मी.
2.	छैंसा-गुड़गांव-झज्झर-हिसार पाइपलाइन	310 कि.मी.
3.	जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन	876 कि.मी.
4.	कोच्चि-कांजिरकोड-मंगलोर पाइपलाइन	862 कि.मी.
5.	दाभोल-बंगलौर पाइपलाइन	730 कि.मी.
6.	काकीनाडा-बासुदेवपुर-हावड़ा पाइपलाइन	1100 कि.मी.
7.	विजयवाड़ा-नेल्लोर-चेन्नै	445 कि.मी.
8.	चेन्नै-तूतीकोरिन	670 कि.मी.
9.	चेन्नै-मंगलोर-बंगलोर	660 कि.मी.
	कुल	6243 कि.मी.

जन केरोसीन परियोजना

83. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन केरोसीन परियोजना (जे.के.पी.) के उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जे.के.पी. की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरोसीन के घरेलू उपयोग के बजाय व्यावसायिक उपयोग किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के पुनरोद्धार के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) सरकार ने मूलतः पी.डी.एस. मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क के नवीकरण के उद्देश्य से जन केरोसीन परियोजना (जे.के.पी.) के नाम से 2 अक्तूबर, 2005 से 23 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 414 ब्लाकों में एक नवोन्मेषी प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत इस दृष्टि से की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारी राज सहायता प्राप्त यह उत्पाद वास्तव में इसके अभिप्रेत लाभ भोगियों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अपेक्षित प्रमात्रा में उपलब्ध हो सके और, दूसरा यह कि मिलावट के लिए पी.डी.एस.एस.के.ओ. के विपथन को रोका जाए और अंततः उसे समाप्त कर दिया जाए।

2. यह निर्णय लिया गया था कि प्रारम्भ में इस योजना को छः माह की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर देश के 10% ब्लाकों में लागू किया जाए और तत्पश्चात् योजना की कार्यप्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाए। जे.के.पी. के लिए ब्लाकों की पहचान राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित राज्यों के परामर्श से किया गया था।

3. जे.के.पी. की लागत और प्रभाव विश्लेषण पर अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा तैनात एन.सी.ए.ई.आर. ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नवम्बर, 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है:-

- विपथन में अनुमानित कटौती का मूल्य 21 पैसे प्रति लीटर है, जबकि प्रोद्भूत अनुमानित लागत 36 पैसे प्रति लीटर है।
- कार्यक्रम की कार्य कुशलता में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि अनुमानित लागतें लाभों से अधिक हैं।
- बेहतर लक्ष्य निर्धारण के उद्देश्य से रिसाव में कमी को कम करने की आवश्यकता है। पी.डी.एस. के तहत एस.के.ओ. की आपूर्ति पर निगरानी रखने में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी से संभव है।

4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मामले पर आगे विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा एक अन्य अध्ययन कराया जाए:-

(क) वर्ष 2006 के अध्ययन में जे.के.पी. की अनुमानित लागतों और लाभों की समीक्षा तथा नए आंकड़ों के आधार पर एक व्यापक निर्धारण उपलब्ध कराना ताकि जे.के.पी. के कुछ दीर्घकालिक प्रभाव का पता लगाया जा सके।

(ख) जे.के.पी. पर निगरानी रखने के साथ-साथ शिकायत निवारक की भूमिका में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) तथा अन्य एजेंसियों की भागीदारी का मूल्यांकन। जे.के.पी. के प्रति जागरूकता के रूप में उनकी कारगरता का एक मात्रात्मक निर्धारण तथा एस.के.ओ. कार्ड धारकों की शिकायतों को दूर करने और उस पर निगरानी रखने के लिए गांव पंचायत/ब्लाक/जिला स्तर पर आयोजित बैठकों की संख्या बताएं।

(ग) तीन स्तरीय वितरण प्रणाली तथा दो स्तरीय वितरण प्रणाली तथा विभिन्न राज्यों के परिप्रेक्ष्य से दोनों प्रणालियों के लाभ व हानियों के साथ लागत व लाभों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

(घ) उपलब्धता और हकदारी की शर्तों पर पी.सी.एस. कार्डधारकों के लिए एस.के.ओ. के वितरण और जे.के.पी. योजना के प्रति जागरूकता में सुधार का मूल्यांकन करना।

(ङ) वर्तमान में यह योजना, प्रायोगिक परियोजना के रूप में दिनांक 31-12-2007 तक बढ़ा दी गई है।

अल्पसंख्यक समुदाय की नागरिक आवश्यकताओं संबंधी कृतिक बल

84. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में 338 अल्पसंख्यक कस्बों को प्रेरित और सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कस्बे केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई 338 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों की सूची का भाग हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन 338 कस्बों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना

हेतु दृष्टिकोण पत्र तैयार करने हेतु योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीन कृतिक बल पहले से ही इस कार्य को कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इस कृतिक बल द्वारा अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं और इसके द्वारा रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (च) भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक वितरण के निहितार्थों की जांच के लिए निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित दिनांक 02 मार्च, 2007 को एक अंतर मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया था:-

(i) उन कस्बों/नगरों की पहचान करना, जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या भारी संख्या में संकेन्द्रित है, और जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ii) ऐसे कस्बों/नगरों में, भारी अल्पसंख्यक जनसंख्या संकेन्द्रित वाले शहरी इलाकों के लिए आवास, स्कूलों और शैक्षिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रोजगार अवसरों जैसी मूल नागरिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु मल्टी-सैक्टरल प्लान के वास्ते दृष्टिकोण तैयार करना।

(iii) ऐसे मल्टी-सैक्टरल प्लानों के कार्यान्वयन के लिए उन वर्तमान योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करना, जहां से ऐसे इलाकों में निधियां निर्दिष्ट की जा सके।

(iv) मल्टी-सैक्टरल प्लानों में शामिल परियोजनाओं के संसाधन की कमी के निधिकरण तथा उन विशिष्ट परियोजनाओं के निधिकरण के लिए, जो किसी भी वर्तमान योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, के वास्ते विशेष योजनाओं का सुझाव देना।

इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत कर दी है।

पारली एवं पारस संयंत्र

85. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनी, महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के महाराष्ट्र स्थित पारली एवं पारस संयंत्रों पर जुर्माना लगाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनी, महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) ने पारली-1 और पारस-1 परियोजनाओं के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर निर्धारित जुर्माना लगाने के अपने आशय को व्यक्त किया है। भेल महाजेनको से सहमत नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण निवेश मुहैया कराने में उन्हीं के द्वारा पर्याप्त विलंब हुआ था तथा सिविल कार्यों में ठेका एजेंसी द्वारा विलंब हुआ था। यह मामला भेल तथा महाजेनको के बीच विचाराधीन है।

दोनों परियोजनाओं के लिए, भेल की संविदा का कार्यक्षेत्र, इलेक्ट्रिकल्स के साथ-साथ बायलर और टरबाईन जनरेटर पैकेज तक सीमित था जो कुल परयोजना कार्य का लगभग 55-60 प्रतिशत होता है। सिविल कार्य तथा संयंत्र पैकेज का शेष कार्य महाजेनको द्वारा अन्य ठेकेदारों के जरिए कराया जा रहा है तथा यूनिट को आरंभ करने का कार्य महाजेनको द्वारा मुहैया कराए जाने वाले निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। महाजेनको द्वारा भेल को महत्वपूर्ण निवेशों को मुहैया कराने में 8 से 28 माह का पर्याप्त विलंब हुआ है। मुख्य रूप से आयातित कच्चे मालों की अनुपलब्धता के कारण भेल से कुछ मदों की आपूर्ति में भी कुछ विलंब हुआ है। महाजेनको द्वारा विलंब के बावजूद, भेल अपने कार्यकलापों में तेजी लाया तथा जुलाई, 2006 की संविदात्मक अनुसूची के अनुसार 10वीं योजना के दौरान फरवरी, 2007 में पारली-1 परियोजना को नियत समय पर पूरा किया। पारस-1 को नवम्बर, 2006 की संविदात्मक अनुसूची के स्थान पर

मई, 2007 में आरंभ किया गया था जिसमें लगभग 6 माह का विलंब हुआ।

पारली यूनिट-1 ने 2 अप्रैल, 2007 से विद्युत उत्पादन करना आरंभ कर दिया तथा 19 मई, 2007 को पूर्ण भार प्राप्त कर लिया और इस समय पूर्ण भार पर चल रहा है तथा प्रारंभिक परीक्षण का कार्य भी चल रहा है। पारस-1 की कोल फायरिंग अक्तूबर, 2007 में किया गया तथा दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण भार प्राप्त कर लेने की आशा है क्योंकि ग्राहक द्वारा ल्यूब आयल यूनिट (मिल 2) का फाउन्डेशन 17 नवम्बर, 2007 तक प्राप्त होने की आशा है।

देश में एल.पी.जी. एजेन्सियां खोलना

86. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और अधिक संख्या में एल.पी.जी. एजेन्सियां खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए स्थलों की पहचान कर ली है;

(ग) उत्तर प्रदेश में अभी तक स्थापित की गई एजेन्सियों की संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को, अपनी स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को वहनीय बनाने के लिए उपलब्ध रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर उनके द्वारा पता लगाए गए स्थलों तथा उनके वाणिज्यिक निर्धारण के अनुसार एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने की स्वतंत्रता दी है। तथापि, सरकार ने ओ.एम.सीज को सलाह दी है कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करें। ओ.एम.सीज ने एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना हेतु 841 स्थलों के लिए एक साझी औद्योगिक विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे 47 स्थल शामिल हैं जो मुख्यतः ग्रामीण तथा शहरी-ग्रामीण (अर्ध शहरी) स्थल हैं। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उचित स्थल का पता लगाना, गोदाम स्थापना के लिए भूमि व्यवस्था तथा अन्य सांविधिक मंजूरियां शामिल हैं। 47 स्थलों के लिए विज्ञापन दिनांक 7-9-2007 को जारी किया गया है और आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख 19-10-2007 थी।

दिनांक 1-10-2007 को, ओ.एम.सीज 1169 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 99.8 लाख एल.पी.जी. ग्राहकों की सेवा कर रही हैं।

कर्नाटक में विमानपत्तनों का विकास

87. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गुलबर्ग-हासन, बीदर, बीजापुर, करवार, शिमोगा, हुबली, बेलगाम, मैंगलोर, मैसूर तथा बेल्लारी विमानपत्तनों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार इन के लिए पहले से ही बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये सभी परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी हां, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बेलगांव, हुबली, मंगलौर तथा मैसूर स्थित मौजूदा हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन करने; बेल्लारी, बीजापुर, गुलबर्गा, हासन, शिमांग के नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मार्ग से विकसित करने; तथा बिदार तथा कारवार में सिविल एन्क्लेवों की स्थापना के प्रस्ताव हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक राज्य सरकार को बेलगांव, हुबली तथा मैसूर में हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन/विकास करने के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करानी है। आगे, मंगलौर तथा मैसूर हवाईअड्डों के विस्तार कार्य के राज्य सरकार द्वारा सड़कों को मोड़े जाने की भी आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने बीजापुर, गुलबर्गा, हासन तथा शिमोगा में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए रूचि अभिव्यक्तियां आमंत्रित की है।

रक्षा मंत्रालय ने बिदार में भारतीय वायुसेना की हवाईपट्टी

पर एक सिविल एंक्लेव के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ मिलकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्राकृतिक बाधाओं की वजह से मौजूदा बेल्लारी हवाईअड्डे के विकास को व्यवहार्य नहीं पाया है। कारवार में एक सिविल एन्क्लेव का प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है चूंकि अभी हवाईपट्टी को भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया जाना है।

कर्नाटक से विमान सेवाएं

88. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन कुल कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) कितने विमानपत्तनों का उन्नयन कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानपत्तन बनाये जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या सरकार के पास कर्नाटक से देश के अन्य मार्गों के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) कर्नाटक राज्य में (सिविल एन्क्लेवों सहित) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पांच हवाईअड्डे है।

(ख) मंगलौर हवाईअड्डा अपेक्षित सुविधाओं से स्तरोन्नयन किया गया है तथा इसे 3-5-2007 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए सीमा शुल्क हवाईअड्डा घोषित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए है। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यात्री यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग, संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर देश में किसी भी स्थान पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

तमिलनाडु में विमानपत्तन

89. श्री एम. अप्पादुराई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु स्थित त्रिची, मदुरै तथा तूतिकोरिन विमानपत्तनों के उन्नयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन विमानपत्तनों का उन्नयन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) त्रिरूचिरापल्ली हवाईअड्डा-आईसोलेशन वे तथा नए अग्निशमन स्टेशन के निर्माण तथा नए एकीकृत टर्मिनल सहित रनवे के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है। मुख्य कार्य के फरवरी, 2008 तक पूरा होने की आशा है।

मदुरै हवाईअड्डा-एप्रन के विस्तार सहित रनवे का विस्तार, आई.एल.एस. के संस्थापन का कार्य तथा नए एकीकृत टर्मिनल के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। दिसंबर, 2007 तक एयरसाइड के कार्य को पूरा होने की आशा है। जबकि टर्मिनल भवन के कार्य 2009 तक आरंभ होने की आशा है। नए अग्निशमन स्टेशन का निर्माण किया गया है तथा दिसंबर 2006 में इसे आरंभ कर दिया गया है।

तूतिकोरीन हवाईअड्डा-तमिलनाडु सरकार से सभी दायित्व से मुक्त अतिरिक्त निःशुल्क भूमि की उपलब्धता के मद्देनजर एबी-320 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए रनवे के विस्तार तथा संबद्ध सुविधाओं हेतु प्रस्ताव है। वर्तमान में कोई विशिष्ट समय-कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नागर विमानन परियोजनाएं

90. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में पूरी की गई नागर विमानन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत नागर विमानन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं में से कौन-कौन सी परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है और परियोजनाओं का समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, नागर विमानन आधार संरचना से संबंधित निम्नलिखित कार्य उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। लखनऊ हवाईअड्डे पर, टैक्सी ट्रैक के पुनः सतहलेपन तथा एप्रन का विस्तार, आईसोलेशन बे 11.81 करोड़ रु. की लागत से मई 2003 में पूरा हो गया है तथा फरवरी, 2004 में 32.91 करोड़ रु. के व्यय से रनवे के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है। वाराणसी पर, 22.77 करोड़ रु. की व्यय से जनवरी, 2005 में रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन इत्यादि का कार्य पूरा हो गया है। सी.ए.टी.सी. इलाहाबाद पर प्रस्तावित नये एयरोड्रम विज़ुअल सिमुलेटर के लिए भवन का निर्माण 1.01 करोड़ रुपए के व्यय के साथ जून, 2006 में पूरा हो गया है।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित नागर विमानन परियोजनाओं का प्रस्ताव है/प्रगति पर है:

लखनऊ हवाईअड्डे पर

(i) अप्रैल, 2009 में पूरा होने के लिए 129.38 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 500 यात्रियों, कार पार्क इत्यादि के लिए नये एकीकृत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ii) सितम्बर, 2008 में पूरा होने के लिए 41.30 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर डी.एस.ई. तथा टैक्सी वे तथा 4 विशालकाय विमानों के लिए नये एप्रन का निर्माण पहले ही प्रगति पर है।

(iii) दिसम्बर, 2007 तक, राज्य सरकार द्वारा भूमि को सौंपने के आधार पर, जनवरी, 2008 में पूरा होने के लिए 45 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से भूमि अधिग्रहण सहित श्रेणी-II प्रचालन के लिए ग्राउंड प्रकाश सुविधा का स्तरोन्नयन।

वाराणसी हवाईअड्डे पर

(i) नवम्बर, 2008 में पूरा होने के लिए 94.11 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 500 यात्रियों के लिए नये एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ii) बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए धावन पथ के सुदृढ़ीकरम तथा विस्तार 2200 मीटर से 2745 मीटर तक के लिए 35 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर पूरा होने की योजना बनाई गई है तथा ऐसा राज्य सरकार द्वारा विस्तार क्षेत्र से होकर गुजरती हुई सड़क के मार्ग परिवर्तन के आधार पर है।

इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं

91. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन स्थानों से विमान सेवाओं को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है, जहां से इंडियन एयरलाइंस (आई.ए.) की उड़ानें बंद कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिलासपुर के चक्रभाट क्षेत्र के लिए विमान सेवाएं दोबारा शुरू करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.ए.सी.आई.एल.), जिसमें पूर्ववर्ती एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का विलय हुआ है, समय-समय पर अपने प्रचालनों की समीक्षा करती है तथा अपने बेड़े में उपलब्ध क्षमता और प्रचालनों की वाणिज्यिक साध्यता को ध्यान में रखते हुए उड़ानों के प्रचालन का निर्णय करती है।

(ग) से (ङ) एन.ए.सी.आई.एल. की इस समय बिलासपुर (चक्रभाटा) के लिए प्रचालन आरंभ करने की कोई योजना नहीं है चूंकि इसके आकलन के अनुसार इस मार्ग पर यातायात सम्भाव्यता इसके बेड़े में उपलब्ध जेट श्रेणी के विमानों के साथ वाणिज्यिक रूप से साध्य प्रचालनों का वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास

92. श्री मिलिन्द देवरा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुंबई के सांता क्रूज विमानपत्तन के निकट भूमि पर बनी मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए हाऊसिंग डिवेलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एच.डी.आई.एल.) के पक्ष में एक मेगा परियोजना को अपनी स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकासकर्त्ता द्वारा इस पुनरूद्धार परियोजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) मुम्बई हवाईअड्डे की भूमि का अधिभोग करने वाले स्लमवासियों का पुनर्वास मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रा.लि. (एम.आई.ए.एल.), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है। इसके लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। एम.आई.ए.एल. ने सूचित किया है कि उन्होंने स्लम पुनर्वास के लिए मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) तथा हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एच.डी.आई.एल.) के साथ करार किया है। पुनर्वास कार्य महाराष्ट्र स्लम (सुधार, सफाई तथा विकास) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

उत्कृष्टता केन्द्र

93. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अनुसंधान और विकास तथा स्वचालित परीक्षण अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसे केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी हां। सरकार ने "राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना" (नैट्रिप) के अंतर्गत 10 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने का अंतिम रूप दे दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब

94. श्री रामदास आठवले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और अन्य राज्यों में फ्लाईंग/ग्लाइडिंग क्लबों का ब्यौरा क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी और आज की तिथि से इनके पास उपलब्ध विमानों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्लब को दी गई राजसहायता और वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नागर विमान महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक क्लब को दिए गए दर्जे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त फ्लाईंग/ग्लाइडिंग क्लबों की उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

[अनुवाद]

खरीद वरीयता नीति

95. डा. एम. जगन्नाथ: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक उद्यमों की खरीद वरीयता नीति की प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास खरीद वरीयता नीति के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ईज) के उत्पादों और सेवाओं हेतु क्रय अधिमानता नीति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30-6-2005 को समीक्षा की थी। यह निर्णय लिया गया था कि इस नीति को 31-3-2005 से आगे के तीन वर्षों के लिए कतिपय संशोधनों के साथ इस शर्तानुसार बढ़ाया जायेगा कि इसे 31-3-2008 से समाप्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में नीति दिशा-निर्देश दिनांक 18-7-2005 को जारी कर दिए गए थे।

सरकार ने क्रय अधिमानता नीति की मैसर्स केटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा इसके दिनांक 30-6-2005 के पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराते हुए कि नीति को 31-3-2008 से समाप्त कर दिया जायेगा, के मद्देनजर दिनांक 25-10-2007 को पुनः समीक्षा की गई है।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों हेतु निर्मित अधिमान्य क्रय नीतियां संसद के संगत अधिनियम के अंतर्गत हो या अन्यथा उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित निर्णय के दायरे में ना आती हों। संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने से संबंधित क्षेत्र हेतु अधिमान्य नीतियां अपनी अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से खोज/समीक्षा कर सकते हैं।

हवाई यातायात को संभालने संबंधी नीति

96. श्री एल. राजगोपाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के छह बड़े विमानपत्तनों पर हवाई यातायात के काफी बड़े हिस्से को संभालने के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित नीति के शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित निकाय, महानगरीय हवाईअड्डों पर ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र हैं जो वे हवाईअड्डे हैं जो दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, बंगलौर और हैदराबाद में स्थित हैं:-

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एयरपोर्ट आपरेटर स्वयं ही अथवा इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी; (ii) राष्ट्रीय विमान कम्पनी की अनुषंगी कम्पनी अर्थात् नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा कार्य निष्पादन मानकों के संतोषजनक पालन के आधार पर, हवाईअड्डा आपरेटर के साथ राजस्व शेयरिंग आधार पर ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं में विशेषता प्राप्त ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं में इसके संयुक्त उपक्रम (iii) कार्य निष्पादन मानकों के अनुपालन तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा क्लीयरेंस के आधार पर, राजस्व शेयरिंग आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुने गए कोई अन्य ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवा प्रदाता।

सी.सी.आई. एककों का निजीकरण

97. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) के कुछ एककों को बेचने या उनका निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन एककों में उत्पादन रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे एककों को बंद करने के कारण कितना घाटा होने का अनुमान है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा संस्वीकृत स्कीम के अनुसार, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सी.सी.आई.) की मंढार (छत्तीसगढ़) कुर्कुटा (कर्नाटक), नयागांव (मध्य प्रदेश), अकलतारा, (छत्तीसगढ़), चरखी दादरी (हरियाणा), आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट (दिल्ली) स्थित सात गैर-प्रचालनरत यूनिटों को बंद किया जाना है तथा इन संयंत्रों की बिक्री प्राप्तियों का उपयोग सी.सी.आई. की बोकाजन (असम), तंदूर (आन्ध्र प्रदेश) तथा राजबन (हिमाचल प्रदेश) स्थित शेष तीन प्रचालनरत यूनिटों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए किया जाना है।

(ग) इन सात यूनिटों को आर्थिक अजैव्यता के कारण 1996 से 1999 की अवधि के दौरान बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इन सात यूनिटों में सीमेंट का कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

(घ) कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विगत तीन वर्षों में इन सात गैर-प्रचालनरत यूनिटों के बंदीकरण की अवधि के दौरान उठायी गई हानि के ब्यौरे नीचे दिये गए है:-

2004-05	:	(-) 196.29 करोड़ रुपये
2005-06		(-) 92.86 करोड़ रुपये*
2006-07	:	(-) 45.64 करोड़ रुपये*

*संस्वीकृत स्कीम के अनुसार 801.59 करोड़ रुपये तथा 95.74 करोड़ रुपये के ब्याज की माफी को छोड़कर।

मुंबई जाने वाले विमान का बाल-बाल बचना

98. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आस्ट्रेलियाई तथा भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों को मुंबई ले जा रही विमान में नागपुर में पक्षी के टकराने से उत्पन्न हुई बाधा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दिनांक 15-10-2007 को नागपुर एयरपोर्ट पर टेक-ऑफ के दौरान जैट एयरवेज से विमान वीटी-जेजीआर से पक्षी टकरा गया था। पक्षी के टकराने के बाद, पायलट ने वापस लैंड करने का निर्णय लिया तथा नागपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर दी गई। इसमें किसी यात्री को कोई क्षति नहीं हुई।

(ग) सरकार ने अनेक निवारक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन एयरपोर्टों पर एयरफील्ड वातावरण प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है जहां से निर्धारित उड़ानें प्रचालित होती हैं जिससे पक्षियों के आकर्षित होने के स्रोत का पता लगाया जा सके तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपचारी कदम उठाए जा सकें। एयरपोर्ट के अंदर तथा बाहर पक्षियों के टकराने में कमी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं; जैसे कचरे का समुचित निपटान, पानी के भराव (वाटर लॉगिंग) को रोकना, कचरा, फिन, आधुनिक बूचड़खाने की स्थापना तथा पक्षियों को डराना तथा गोली चलाना आदि।

तिरुवनन्तपुरम विमानपत्तन

99. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरुवनन्तपुरम में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रशासनिक संवर्ग को चेन्नई में एक प्राधिकारी के अधीन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त व्यवस्था से विमानपत्तन के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्व स्थिति बहाल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। ***एकल बिन्दु प्रशासन*** के अन्तर्गत एकीकृत नियंत्रण रखने के उद्देश्य से संबंधित स्थापनाओं को दो विभिन्न स्थलों से नियंत्रित किया जा रहा है यथा मध्य मुख्यालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय मुख्यालय, चेन्नई जो अब निदेशक विमानपत्तन, के समान नियंत्रण के अधीन है जो ए.टी.सी., संचार तथा अन्य प्रचालनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों को देखेगा, समन्वय करेगा। इससे तिरुवनन्तपुरम हवाईअड्डे पर कार्यशील पैटर्न में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है चूंकि यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक उपाय है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिलासपुर में एयरोड्रम

100. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में एयरोड्रम बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। बिलासपुर में पहले से ही एक हवाईअड्डा विद्यमान है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम और डीजल की चोरी

101. श्री रामदास आठवले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पेट्रोल अथवा डीजल की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ख) भविष्य में चोरी के ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी पर्यटकों हेतु विशेष सुविधा

102. श्री सुभाष महरिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत की ओर और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वायु यात्रा के दौरान कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुविधाओं को प्रदान करने के बाद कितने विदेशी पर्यटकों के भारत आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने की दृष्टि से, नेशनल एविएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विशेष होलीडे पैकेज आरंभ किए हैं जिसे एअर इंडिया फ्लाईवेज के नाम से जाना जाता है। ये पैकेज घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में विक्रय योग्य है। एन.ए.सी.आई.एल. भारत के लिए इनबाउंड पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए इसके सभी विदेशी गंतव्य स्थानों से व्यस्ततम अवधि की समाप्ति के दौरान, ऑफ सीजन किरायों को छोड़कर प्रोत्साहक किराये भी ऑफर कर रही है। 1 अक्तूबर, 2007 से प्रभावी, निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है:-

(i) इकोनॉमी श्रेणी में यात्री होल्डिंग होलीडे पैकेज टिकट, एन.ए.सी.आई.एल. शहर/हवाईअड्डा बुकिंग काउंटर पर किराए में लागू अंतर के भुगतान पर एग्जीक्यूटिव श्रेणी में अपनी टिकट का दर्जा बढ़ा सकते हैं। (ii) होलीडे पैकेज टिकटों के वापसी सेंगमेंट के पुनः मार्ग करना।

(ग) जबकि इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बाद, यह व्यवहार्य नहीं हो सकता, एक भारत की यात्रा करने के लिए पर्यटकों पर विश्वसनीय अनुमान नहीं है, जनवरी से अक्तूबर 2007 की अवधि के दौरान लगभग 3.89 मिलियन विदेशी पर्यटकों के यात्रा करने की आशा है।

[अनुवाद]

नवरत्न का दर्जा प्राप्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

103. श्री एल. राजगोपाल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को नवरत्न उपक्रमों का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवरत्न का दर्जा प्राप्त उपक्रम सूचीबद्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक सूचीबद्ध किया जायेगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सरकार ने 12 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.ईज) अर्थात् (i) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि., (ii) भारत हैवी-इलैक्ट्रिकल्स लि., (iii) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि., (iv) जी.ए.आई.एल. (इंडिया) लि., (v) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि., (vi) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., (vii) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि., (viii) महानगर टेलिफोन निगम लि., (ix) एन.टी.पी.सी. लि., (x) ऑयल एण्ड नेच्युरल गैस कारपोरेशन लि. (xi) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. तथा (xii) स्टील अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया लि. को नवरत्न का दर्जा दिया है।

(ग) से (ङ) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि. को छोड़कर सभी नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ साथ यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कंपनियों को संसाधन बढ़ाने तथा फुटकर निवेशकों के लिए नए निवेश अवसर देकर पूंजी मार्किट में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उपर्युक्त नीति के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने के संबंध में प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लेते हैं।

वायु मार्ग निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश

104. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में वायु परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्धारण दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वायु मार्गों को श्रेणीबद्ध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी निजी एयरलाइन निर्धारित वायु मार्गों का पालन कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन प्राप्त करने के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रचालकों से अपेक्षित होता है कि वे श्रेणी-I (अर्थात् प्रमुख मार्गों) के मार्गों पर उनके द्वारा तैनात क्षमता का कम से कम 10% श्रेणी-II (अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के लिए/से/में मार्ग) में तैनात करें तथा इस प्रकार श्रेणी-II में तैनात किए जाने के लिए अपेक्षित क्षमता में से कम से कम 10% विशेष रूप से अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के लिए/से/में मार्ग के भीतर प्रचालित सेवाओं अथवा इनके भागों पर तैनात करें। श्रेणी-I-II, II-I तथा III को मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है। श्रेणी-I में 12 प्रमुख मार्ग हैं, श्रेणी-II में वे मार्ग हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के लिए/से/में मार्ग में स्थित स्टेशनों को जोड़ते हैं, श्रेणी-II क मार्ग वे मार्ग हैं जो विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के लिए/से/में मार्ग के भीतर आते हैं तथा प्रचालक को श्रेणी-I के मार्गों पर तैनात क्षमता में से कम से कम 50% श्रेणी-III में तैनात करना भी अपेक्षित है। बेहतर हवाई सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए, सरकार को कोचीन-अगाति-कोचीन मार्ग को भी श्रेणी-II के रूप में वर्गीकृत किया है।

(ग) और (घ) वे सभी अनुसूचित प्रचालक जो श्रेणी-I पर प्रचालन करते हैं, अर्थात् एअर इंडिया, पेट एयरवेज, जेटलाइट, एयर डेक्कन, किंगफिशर, स्पाइसजेट, गो एयर तथा इंडिगो मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रेणी-II तथा II क मार्गों पर भी प्रचालन करते है। दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर नागर विमानन महानिदेशक द्वारा की जाती है। सामान्यतः सभी एयरलाइनें इन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं।

रेलवे की अतिरिक्त भूमि

105. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास पूरे देश में अपनी अतिरिक्त भूमि पर "लॉजिस्टिक्स पार्क" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से दक्षिण रेलवे में इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इन "पार्कों" की उपयोगिता क्या होगी; और

(ग) इन "लॉजिस्टिक्स पार्कों" को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) राइट्स (रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक्स सर्विसेज) से वापी, नागपुर, दुर्गापुर और लाडोवाल में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन करने हेतु कहा गया है। इस स्थिति में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

पायलटों की सेवानिवृत्ति आयु

106. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पायलटों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पायलटों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के द्वारा पायलटों की कमी को किस हद तक पूरा किया जाएगा; और

(घ) इस निर्णय का उन युवा प्रशिक्षु पायलटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो नागरिक विमानों को उड़ानें की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विमानन उद्योग में तीव्र वृद्धि के कारण हुई पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए पायलटों को विमान नियम, 1937 के नियम 28(क) के तहत 65 वर्ष की आयु तक अपने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस/एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के प्राधिकारी का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) पायलटों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि से अल्प अवधि में पायलटों की कमी को महत्त्वपूर्ण रूप से कम किया जाएगा तथा इससे दीर्घकाल में युवा प्रशिक्षु पायलटों के आने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

वैकल्पिक उन्नत स्वच्छ ईंधन

107. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों की दिनानुदिन बढ़ती खपत से होने वाली क्षति से पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो देश में वैकल्पिक उन्नत स्वच्छ ईंधन कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) पर्यावरण अनुकूल ईंधनों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आटो ईंधन नीति की घोषणा की है। आटो ईंधन नीति में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:-

- दिनांक 1-4-2010 से संपूर्ण देश में चार पहिया वाहनों के संबंध में यूरो-III समतुल्य (भारत स्टेज-III) उत्सर्जन मानदंड।
- दिनांक 1-4-2010 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, सिकन्दराबाद सहित हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा शहरों में चार पहिया वाहनों के संबंध में यूरो-IV समतुल्य (भारत स्टेज-IV) उत्सर्जन मानदंड।
- दिनांक 1-4-2010 से संपूर्ण देश में 2/3 पहिया वाहनों के संबंध में भारत स्टेज-III मानदंड।

उपरोक्त के अलावा, बायो-ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के विकास के लिए भी कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

उपक्रमों के शीर्ष प्रबंधन द्वारा नीतिगत पहल

108. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने भारी औद्योगिक उपक्रमों तथा सरकारी उद्यमों में नीतिगत पहल के रूप में शीर्ष प्रबंधन का व्यवसायीकरण आरंभ किया गया है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कार्यनिष्पादन में कोई सुस्पष्ट लाभ अथवा सुधार हुआ है और इस क्षेत्र की सभी इकाइयों में इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो कितनी इकाइयों को बंद किया जा चुका है, कितनी इकाइयां चालू हैं तथा चालू इकाइयों की आर्थिक व्यवहार्यता क्या है; और

(घ) इन इकाइयों का श्रेणी-वार भविष्य-कालिक संभावना क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सरकार द्वारा जारी शीर्ष प्रबंधन तथा नैगम अभिशासन के व्यावसायीकरण संबंधी दिशा-निर्देश सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ईज) पर लागू होते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्य निष्पादन व्यापार वातावरण, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी स्तर आदि सहित कई कारकों

पर निर्भर करता है। गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्तियां एक अनुवर्ती प्रक्रिया है।

(ग) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के अनुसार 225 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे तथा 4 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को वर्ष 2005-06 के दौरान बन्द कर दिया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान 157 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने लाभ अर्जित किया तथा 58 केन्द्रीय सरकारी उद्यम घाटे में थे।

(घ) राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्ता प्रतियोगितात्मक वातावरण में लगातार सफलतापूर्वक लाभ अर्जित करने वाले कम्पनियों को मिलेगी। इसके अलावा, एन.सी.एम.पी. में उल्लेख है कि रूग्ण सरकारी कंपनियों के पुनर्स्थापन एवं रूग्ण उद्योग पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा और कालक्रमानुसार घाटे वाली कंपनियों को सभी कामगारों को उनकी वैध देय और मुआवजा देने के बाद या तो बेच दिया जायेगा या बंद कर दिया जायेगा। उपर्युक्त नीति की शर्तानुसार, सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रचालनात्मक शक्तियों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, सरकार ने रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार आदि का परामर्श देने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) गठित किया है। बी.आर.पी.एस.ई. की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने 26 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। वर्ष 2004-05 में लाभ अर्जित करने वाले 138 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुकाबले वर्ष 2005-06 में यह संख्या बढ़कर 157 हो गई है तथा वर्ष 2004-05 में घाटे वाले 79 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या घट कर वर्ष 2005-06 में 58 हो गई है।

पायलटों की कमी

109. श्री मिलिन्द देवरा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नागरिक विमानन क्षेत्र को पिछले कुछ समय से पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तेजी में चल रहे नागरिक विमान उद्योग को पायलटों की कुल आवश्यकता कितनी है और सरकार का इस आवश्यकता को किस तरह पूरा करने का विचार है;

(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय नागरिक विमानन विमान क्षेत्र के लिए 1490 विदेशी पायलटों को काम करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) उनकी नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय नागर विमानन उद्योग में व्यापक विकास से, अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित प्रचालकों की संख्या में वृद्धि हुई है जिनमें से अनेक प्रचालक नए प्रकार के विमानों सहित बेड़ा विस्तार कार्यक्रम बना रहे हैं। इससे पायलटों की कमी दृष्टिगोचर हुई है।

(ग) अनुसूचित, गैर अनुसूचित तथा निजी प्रचालकों के लिए आवश्यक टाइप रेटिंड पायलटों की संख्या 4754 है। इसमें से 3950 भारतीय टाइप रेटेड पायलट हैं तथा 804 विदेशी पायलट हैं। सरकार ने कुशल पायलटों की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निर्धारित शर्तों के अंतर्गत वाणिज्यिक परिवहन प्रचालकों के लिए उनके लाइसेंसों के विशेषाधिकारों का उपयोग करने के लिए पायलटों की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) की प्रशिक्षण अवसंरचना का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण करके इसकी प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना, गोंदिया, महाराष्ट्र में एक विश्व स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा नागर विमानन महानिदेशालय। एयरो क्लब ऑफ इंडिया के जरिए प्रशिक्षण विमान आवंटित करके उड़ान क्लबों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

(घ) से (च) नागर विमानन महानिदेशालय ने टाइप रेटिड भारतीय पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए केवी 804 विदेशी पायलटों को क्लियर किया है। वैधता नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी विमानन अपेक्षाओं के अनुसार दी जाती है।

नई क्षेत्रीय एयरलाइनें

110. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई क्षेत्रीय एयरलाइनें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके प्रचालन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय एयरलाइनों की शुरूआत किए जाने से सभी गैर-महानगर विशेषकर छोटे और बड़े कस्बे देश के समस्त भागों के साथ आसानी से जुड़ जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई क्षेत्रीय एयरलाइनों का प्रचालन कब तक शुरू हो जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने अनुसूचित क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवा के लिए नागर विमानन आवश्यकताएं जारी की हैं।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय एयरलाइन की अवधारणा एक क्षेत्र के भीतर विमान सम्पर्कता को प्रोत्साहित करने, टायर II तथा टायर III श्रेणी के शहरों के लिए तथा विशिष्ट क्षेत्रों के मध्य विमान यात्रा सेवाओं को बढ़ाने की दृष्टि से आरम्भ की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा परिभाषितानुसार उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफ.आई.आर.) के अनुरूप चार क्षेत्रों यथा दक्षिण, पश्चिम, पूर्व/पूर्वोत्तर क्षेत्रों की पहचान की गई है। क्षेत्रीय एयरलाइनों को श्रेणी I मार्गों पर प्रचालन की अनुमति नहीं दी गई है। बहरहाल, दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें तीन मैट्रो शहर हैं, की क्षेत्रीय एयरलाइनों को दक्षिण क्षेत्र के मैट्रो यथा बैंगलोर, चेन्नई तथा हैदराबाद के मध्य प्रचालन की अनुमति दी जाएगी।

एयरलाइन कम से कम 3 विमानों से प्रचालन कर सकती है तथा इक्विटी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) 3 विमानों तथा 40,000 कि.ग्रा. के बराबर या अधिक टेक-ऑफ मास वाले विमानों को प्रचालित करने वाली एयरलाइनें - 30 करोड़ रुपए।

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त विमान के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश की आवश्यकता होगी बशर्ते यह राशि अधिकतम 50 करोड़ रुपए हो जिसके पश्चात् आगे इक्विटी संवर्धन की आवश्यकता नहीं है।

40,000 कि.ग्रा. से कम टेक ऑफ मास वाले विमानों को प्रचालित करने वाली एयरलाइनें:

(क) 3 विमान तक - 12 करोड़ रुपए

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त विमान के लिए 20 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि के मद्देनजर करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता होगी जिसके पश्चात आगे इक्विटी को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि एयरलाइनों के पास 50 करोड़ रुपए की प्रदत्त इक्विटी/आरक्षित निधि उपलब्ध हो तो इक्विटी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

(ङ) क्षेत्रीय एयरलाइनों से प्राप्त आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय: सभा 16 नवम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 19 नवम्बर, 2007/24 कार्तिक, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चूंकि शुक्रवार, 16 नवम्बर, 2007 को होने वाली लोक सभा की बैठक तदनुसार 15 नवम्बर, 2007 को मध्याह्न 12.00 बजे हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रद्द कर दी गयी है इसलिए लोक सभा अब सोमवार, 19 नवम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होगी।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री उदय सिंह	1
2.	श्री अधीर चौधरी	2
3.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	3
4.	श्री हरिकेवल प्रसाद	4
5.	श्री चन्द्रभान सिंह	5
6.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्रीमती निवेदिता माने	6
7.	श्री काशीराम राणा श्री वी.के. ठुम्मर	7
8.	श्री मोहन जेना	8
9.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री रवि प्रकाश वर्मा	9
10.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	10
11.	श्री संतोष गंगवार श्री गुरूदास दासगुप्त	11
12.	श्री एस. अजय कुमार	12
13.	डा. चिन्ता मोहन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	13
14.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री रघुवीर सिंह कौशल	14
15.	श्री भुनेश्वर प्रसाद मेहता	15
16.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	16
17.	श्री हंसराज गं. अहीर	17
18.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	18
19.	श्री रायापति सांबासिवा राव	19
20.	श्री निखिल कुमार श्री बाडिगा रामकृष्णा	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	20, 53
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	17, 51, 52, 70, 82
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	5
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	44
5.	अजय कुमार, श्री एस.	39
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	89
7.	आठवले, श्री रामदास	26, 94, 101
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	37
9.	भक्त, श्री मनोरंजन	13, 49, 68, 80
10.	भाईलाल, श्री	17
11.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	41
12.	चिन्ता मोहन, डा.	40
13.	चौधरी, श्री अधीर	34, 61
14.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	41
15.	देवरा, श्री मिलिन्द	11, 92, 98, 106, 109
16.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	24, 56, 72, 107
17.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	3
18.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	35, 62, 76, 85
19.	गंगवार, श्री संतोष	38
20.	जगन्नाथ, डा. एम	27, 95
21.	खारवेनथन, श्री एस.के.	8, 31, 58, 105, 110

1	2	3
22.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	10, 33, 60, 75
23.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	14, 50
24.	महरिया, श्री सुभाष	1, 19, 28, 102
25.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	15
26.	माने, श्रीमती निवेदिता	62, 76, 85
27.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	42, 63, 77
28.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	25, 91, 100
29.	निखिल कुमार, श्री	47, 61, 64
30.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	12, 48, 67
31.	प्रसाद श्री हरिकेवल	90
32.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	22, 55, 99
33.	राजगोपाल, श्री एल.	4, 29, 96, 103
34.	रामदास, प्रो. एम.	16, 46, 51, 69, 81
35.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	46, 66, 79
36.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	7, 57, 97, 104, 108

1	2	3
37.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	23, 68, 93
38.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	6, 30, 73, 84, 87
39.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	17, 51, 52, 62, 70
40.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	16, 46, 51, 69, 81
41.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	9, 32, 59, 74, 88
42.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	43, 64
43.	सिंह, श्री सुग्रीव	12, 18, 48
44.	सिंह, श्री उदय	34
45.	सुमन, श्री रामजीलाल	14, 40, 50
46.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2
47.	थामस, श्री पी.सी.	21
48.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	45, 65, 78
49.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	54, 71, 83, 86
50.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	36

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	
नागर विमानन		
संस्कृति	:	5
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	7
अल्पसंख्यक मामले	:	6
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2, 3, 9, 11, 13, 14, 17, 20
रेल	:	1, 4, 10, 12, 18
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	8
इस्पात	:	16, 19
पर्यटन	:	15.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक		1, 52, 76
नागर विमानन		19, 37, 42, 43, 45, 46, 57, 62, 63, 66, 68, 70, 77, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 109, 110
संस्कृति		6, 29, 60, 69
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		32, 58
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	27, 51, 80, 85, 93, 95, 97, 103, 108
अल्पसंख्यक मामले	:	23, 49, 84
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	5, 14, 15, 18, 21, 24, 34, 35, 40, 41, 47, 50, 56, 65, 71, 78, 82, 83, 86, 101, 107
रेल	:	2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 28, 31, 33, 36, 38, 39, 48, 53, 54, 59, 61, 64, 67, 72, 73, 74, 75, 79, 105
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	7, 17, 25, 30, 44
इस्पात	:	20
पर्यटन	:	3, 26, 55.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/30/1/2007/1929 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्ग प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।